# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 3rd
# LOK SABHA DEBATES

[ नवां सत्र / Ninth Session ]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[ खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1—10 ]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025.
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT**
**NEW DELHI**

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

## विषय-सूची

अंक 4—10 सितम्बर, 1964/19 भाद्र, 1886 (शक)

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित


| प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 91 | खाद्यान्नके अतिरिक्त अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य | ३३१—३६ |
| 92 | भू-संरक्षण . . . . | ३३६—३९ |
| 93 | विद्युत् जनन . . . . | ३३९—४४ |
| 94 | बाढ़ नियंत्रण पर सम्मेलन . . | ३४४—४८ |
| 95 | गैर-योजना व्यय . . . . | ३४८—५१ |
| 96 | नागार्जुनसागर बांध स्थल पर विस्फोट . . . | ३५२—५४ |
| 97 | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों की "काली सूच" बनाना | ३५४–५५ |


### प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या


| | | |
|---|---|---|
| 98 | मेसर्स स्कोडा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | ३५५–५६ |
| 99 | कृष्णा और गोदावरी के पानी का बंटवारा | ३५६–५७ |
| 100 | देहाती इलाकों के लिये पीने का पानी . | ३५७ |
| 101 | छिपाया हुआ धन . . . | ३५८ |
| 102 | पश्चिमी जर्मनी द्वारा पूंजी विनियोजन . | ३५९ |
| 103 | योजना आयोग . . . | ३५९ |
| 104 | तीसरी योजना में आवास . . . | ३६० |
| 105 | दिल्ली में बाढ़ . . . . | ३६०–६१ |
| 106 | नर्मदा घाटी परियोजना . . . . | ३६१ |
| 107 | पाकिस्तान को भेजे जाने वाले हथियारों का जब्त किया जाना | ३६२ |
| 108 | लोदी हाउस होस्टल . . . | ३६२–६३ |
| 109 | फिल्म कलाकारों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन | ३६३ |
| 110 | परिवार नियोजन . . . . | ३६४ |
| 111 | दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार | ३६५ |
| 112 | विदेशी सार्थ के कार्यालय की तलाशी . | ३६५–६६ |
| 113 | भूमि सुधार . | ३६६ |
| 114 | ब्रिटिश ऋण . . . | ३६७ |
| 115 | सोने का पकड़ा जाना . . | ३६७–६८ |
| 116 | खण्डसारी पर शुल्क . . . . . | ३६८ |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

## CONTENTS

**No. 4**—*Thursday, September 10, 1964/Bhadra 19, 1886 (Saka)*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| **Starred Questions Nos.* | *Subject* | PAGS |
|---|---|---|
| 91 | Prices of Essential Commodities other than Food-grains | 331—36 |
| 92 | Soil Conservation | 336—39 |
| 93 | Power Generation | 339—44 |
| 94 | Conference on Flood Control | 344—48 |
| 95 | Non-Plan Expenditure | 348—51 |
| 96 | Explosion at Nagarjunasagar Dam Site | 352—54 |
| 97 | Blacklisting of C.P.W.D. Contractors | 354–55 |


WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| *Starred Questions Nos.* | | |
|---|---|---|
| 98 | M/s Skoda (India) Private Ltd. | 355–56 |
| 99 | Sharing of Krishna-Godavari Waters | 356–57 |
| 100 | Drinking Water for Rural Areas | 357 |
| 101 | Unaccounted Money | 358 |
| 102 | Investment of West German Capital | 359 |
| 103 | Planning Commission | 359 |
| 104 | Housing in Third Plan | 360 |
| 105 | Floods in Delhi | 360–61 |
| 106 | Narmada Valley Project | 361 |
| 107 | Seizure of Pakistan-Bound Arms | 362 |
| 108 | Lodi House Hostel | 362–63 |
| 109 | Violation of Foreign Exchange Regulations by Film Artistes | 363 |
| 110 | Family Planning | 364 |
| 111 | Extension of C.G.H. Scheme in Delhi | 365 |
| 112 | Search of a Foreign Firm's Office | 365–66 |
| 113 | Land Reforms | 366 |
| 114 | British Loan | 367 |
| 115 | Seizure of Gold | 367–68 |
| 116 | Levy on Khandsari Sugar | 369 |


*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 246 | राजस्थान में सिचाई योजनाओं के लिये सहायता | ३६९ |
| 247 | राज्य मंत्रियों के विदेशों के दौरे | ३६९ |
| 248 | ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग | ३७० |
| 249 | प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति | ३७० |
| 250 | कुट्टियाडी नदी घाटी योनजा | ३७०–७१ |
| 251 | सुनार | ३७१ |
| 252 | महालेखापाल, उड़ीसा | ३७२ |
| 253 | उड़ीसा में ग्राम्य जल सम्भरण योजनायें | ३७२ |
| 254 | संसद् सदस्यों का क्लब व होस्टल | ३७२–७३ |
| 256 | नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गाप्रसाद का मामला | ३७३ |
| 258 | फरक्का बांध | ३७३–७४ |
| 259 | जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन | ३७४ |
| 260 | दिल्ली के लिये तपेदिक-रोधी योजना | ३७४–७५ |
| 261 | सरकारी भवनों की मरम्मत पर रोक | ३७५ |
| 262 | दिल्ली में बन्ध्यीकरण आन्दोलन | ३७६ |
| 363 | गैस्ट्रो-एन्टेरेटीस | ३७६–७७ |
| 264 | महिला डाक्टरों के लिये अवकाश गृह | ३७७ |
| 265 | औषधि अधिनियम | ३७८ |
| 266 | अपर कृष्णा परियोजना | ३७८–७९ |
| 267 | "शान्ति घाट" दिल्ली | ३७९ |
| 268 | पेरिस में हुआ तकनीकी विशेषज्ञों का सम्मेलन | ३७९–८० |
| 269 | अधिक देर बैठने का भत्ता | ३८० |
| 270 | सहकारी संस्थाओं को भारत के रक्षित बैंक द्वारा ऋण | ३८० |
| 271 | एकाधिकार आयोग | ३८१ |
| 272 | अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी | ३८१–८२ |
| 273 | समुद्र द्वारा भूमि का कटाव | ३८२ |
| 274 | राज्यों की बहुमुखी परियोजनायें | ३८२–८३ |
| 275 | आयकर प्राधिकारियों द्वारा जांच | ३८३ |
| 276 | दिल्ली का पागलखाना | ३८३ |
| 277 | बांस की घास से कैंसर औषध | ३८३–८४ |
| 278 | मद्रास नगर के लिए पीने का पानी | ३८४ |
| 279 | दिल्ली क्लाथ मिल | ३८४ |
| 280 | दिल्ली विकास प्राधिकार | ३८५ |
| 281 | चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दो कमरों के क्वार्टर | ३८५ |
| 282 | अमरीका निर्यात-आयात बैंक द्वारा दिया गया कर्जा | ३८६ |
| 283 | पंजाब के लिए पीने का पानी | ३८६ |
| 284 | व्यास परियोजना | ३८६–८७ |

| *Unstarred Questions Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 246 | Aid for Irrigation Schemes in Rajasthan | 369 |
| 247 | Foreign Tours of State Ministers | 369 |
| 248 | Coal Fuel | 370 |
| 249 | Direct Taxes Administration Enquiry Committee | 370 |
| 250 | Kuttiyadi River Valley Scheme | 370–71 |
| 251 | Goldsmiths | 371 |
| 252 | Accountant General, Orissa | 372 |
| 253 | Rural Water Supply Schemes in Orissa | 372 |
| 254 | M.Ps. Club cum Hostel | 372–73 |
| 256 | Affairs of Shri Sriram Durga Prasad of Nagpur | 373 |
| 258 | Farakka Barrage | 373–74 |
| 259 | Investments by L.I.C. | 374 |
| 260 | Anti-T.B. Scheme for Delhi | 374–75 |
| 261 | Ban on Repairs to Government Buildings | 375 |
| 262 | Sterlisation Campaign in Delhi | 376 |
| 263 | Gastro-Enteritis | 376–77 |
| 264 | Holiday Home for Lady Doctors | 377 |
| 265 | Drug Act | 378 |
| 266 | Upper Krishna Project | 378–79 |
| 267 | 'Shanti Ghat' Delhi | 379 |
| 268 | Conference of Technical Experts held in Paris | 379–80 |
| 269 | Overtime Allowance | 380 |
| 270 | Reserve Bank of India Loans to Cooperatives | 380 |
| 271 | Monopolies Commission | 381 |
| 272 | Under-Staffed Hospitals | 381–82 |
| 273 | Sea Erosion | 382 |
| 274 | Multipurpose Projects in States | 382–83 |
| 275 | Enquiry by Income-tax Authorities | 383 |
| 276 | Mental Hospital, Delhi | 383 |
| 277 | Cancer Drug from Bamboo Grass | 383–84 |
| 278 | Drinking Water Supply for Madras City | 384 |
| 279 | Delhi Cloth Mills | 384 |
| 280 | Delhi Development Authority | 385 |
| 281 | Two-roomed Quarters for Class IV Staff | 385 |
| 282 | Loan given by U.S. Export-Import Bank | 386 |
| 283 | Drinking Water for Punjab | 386 |
| 284 | Beas Project | 386-87 |

| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 285 | सिगरेट संबंधी विज्ञापन | ३८७–८८ |
| 286 | नजफगढ़ नाला | ३८८–८९ |
| 287 | सोने की वस्तुओं का निर्यात | ३८९–९० |
| 288 | सेवानिवृत कर्मचारियों का सरकारी क्वार्टरों में रहना | ३९० |
| 289 | सरकारी क्वार्टरों में मुर्गीपालन | ३९० |
| 290 | कालाकोट तथा सलाल जल-विद्युत् परियोजना | ३९१ |
| 291 | दिल्ली में बिजली श्मशान गृह | ३९१ |
| 292 | बिक्री कर | ३९२ |
| 293 | भाखड़ा बांध | ३९२ |
| 294 | पंजाब में मकानों की योजनायें | ३९३ |
| 295 | मद्रास सरकार के कर्मचारियों के लिये वेतन वृद्धि | ३९३ |
| 296 | सफेद रोटी और हृदय रोग | ३९३–९४ |
| 297 | तृतीय योजना | ३९४ |
| 298 | कोठार बांध | ३९४ |
| 299 | प्रधान मंत्री का निवास स्थान | ३९४–९५ |
| 300 | दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी हटाने की योजना | ३९५ |
| 301 | मक्खियों का उत्पात | ३९५–९६ |
| 302 | औषधीय पौधों संबंधी समिति | ३९६ |
| 303 | जीवन बीमा निगम | ३९६–९७ |
| 304 | मुरादाबाद में सोने का पकड़ा जाना | ३९७ |
| 305 | उत्तर प्रदेश में स्वर्णकारों को ऋण | ३९७ |
| 306 | ब्रह्मपुत्र को गंगा नदी से मिलाना | ३९७–९८ |
| 307 | कृषि प्रयोजनों के लिये सहायता | ३९८ |
| 308 | एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम | ३९८–३९९ |
| 309 | 'ओल्ड सैक्रेटेरियट' भवन | ३९९ |
| 310 | बड़ी परियोजनायें | ३९९ |
| 311 | सरसों का तेल | ४०० |
| 312 | मेडिकल कालिजों में दाखिला | ४००–०१ |
| 313 | चलचित्र "संगम" | ४०१–०२ |
| 314 | दिल्ली में सुनार | ४०२ |
| 315 | दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी योजना | ४०२–०३ |
| 316 | तृतीय योजना में विदेशी सहायता का उपयोग | ४०३–०४ |
| 317 | दिल्ली में आय-कर देने वाले | ४०४ |
| 318 | हौजरी वस्तुओं पर बिक्री कर | ४०४–०५ |
| 319 | समवायों के सन्तुलन-पत्र | ४०५ |
| 320 | दामोदर घाटी निगम | ४०५ |
| 321 | राज्य स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन | ४०५–०६ |

| *Unstarred Questions Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 285 | Cigarette Advertisements | 387–88 |
| 286 | Najafgarh Drain | 388–89 |
| 287 | Export of Gold Articles | 389–90 |
| 288 | Retired Employees occupying Government Quarters | 390 |
| 289 | Poultry Farms in Government Quarters | 390 |
| 290 | Kalakote and Salal Hydro Electric Project | 391 |
| 291 | Electric Crematorium for Delhi | 391 |
| 292 | Sales Tax | 392 |
| 293 | Bhakra Dam | 392 |
| 294 | Housing Schemes in Punjab | 393 |
| 295 | Increased Salary for Madras Government Employees | 393 |
| 296 | White Bread and Heart Disease | 393–94 |
| 297 | Third Plan | 394 |
| 298 | Kothar Dam | 394 |
| 299 | Prime Minister's Residence | 394–95 |
| 300 | *Jhuggi-Jhonpri* Removal Scheme in Delhi | 395 |
| 301 | Fly Nuisance | 395–96 |
| 302 | Medicinal Plants Committee | 396 |
| 303 | Life Insurance Corporation | 396–97 |
| 304 | Seizure of Gold at Moradabad | 397 |
| 305 | Loans to Goldsmiths in U.P. | 397 |
| 306 | Linking of Brahmaputra with Ganga | 397–98 |
| 307 | Assistance for Agricultural Purposes | 398 |
| 308 | M.B.B.S. Course | 398–99 |
| 309 | Old Secretariat Building | 399 |
| 310 | Major Projects | 399 |
| 311 | Mustard Oil | 400 |
| 312 | Admission to Medical Colleges | 400–01 |
| 313 | Film 'Sangam' | 401–02 |
| 314 | Goldsmiths in Delhi | 402 |
| 315 | Jhuggi and Jhonpri Scheme in Delhi | 402–03 |
| 316 | Utilisation of Foreign Aid During Third Plan | 403–04 |
| 317 | Income-Tax Assessees in Delhi | 404 |
| 318 | Sales Tax on Hosiery Goods | 404–05 |
| 319 | Balance Sheets of Companies | 405 |
| 320 | D.V.C. | 405 |
| 321 | State Health Ministers' Conference | 405–06 |

| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 322 | केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय | ४०६–०७ |
| 324 | तीन पैसे का सिक्का | ४०७ |
| 325 | पंचकुई रोड, नई दिल्ली पर क्वार्टर | ४०७ |
| 326 | रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में क्वाटर | ४०७–०८ |
| 327 | मृत्यु दर | ४०८ |
| 328 | पलाइ सेंट्रल बैंक | ४०८–०९ |
| 329 | बोकारों और दुर्गापुर बिजली घर | ४०९ |
| 330 | तेनुघाट बांध | ४१० |
| 331 | अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि | ४१० |

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—**

गोंडा चुनाव में भ्रष्टाचार ४१०

श्री स० मो० बनर्जी ४१०

श्री अ० कु० सेन ४११

**इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाओं के स्थगित किये जाने के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में 9 सितम्बर, 1964 को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य के बारे में प्रश्न**

**सभा पटल पर रखे गये पत्र**

**विधेयक पर राय**

**प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित**

**खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव**

श्री नम्बियार ४२०

श्री हिम्मतसिंहका ४२१–२२

श्री बिशनचन्द्र सेठ ४२२–२३

श्री तुलशीदास जाधव ४२३

श्री मौर्य ४२३–२४

श्री मणियंगाडन ४२४–२५

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती ४२५–२६

श्री विश्वनाथ राय ४२६–२७

श्री कोया ४२७

श्री ज० रा० मेहता ४२७–२८

श्री विश्राम प्रसाद ४२८–२९

डा० पं० शा० देशमुख ४२९

श्री क० ना० तिवारी ४२९–३०

श्री चि० सुब्रह्मण्यम ४३०

**केरल राज्य के बारे में उद्घोषणा** ४३०—३८

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*


| *Unstarred Questions Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 322 | Central Government Health Scheme Dispensaries | 406–07 |
| 324 | Three-Paisa Coin | 407 |
| 325 | Quarters at Panchkuin Road, New Delhi | 407 |
| 326 | Quarters in Ramakrishnapuram, New Delhi | 407–08 |
| 327 | Death Rate | 408 |
| 328 | Palai Central Bank | 408-09 |
| 329 | Bokaro and Durgapur Power Houses | 409 |
| 330 | Tenughat Dam | 410 |
| 331 | International Monetary Fund | 410 |

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

Corruption in Gonda Elections

Questions in respect of Calling Attention statement *re*: suspension of IAC services laid on the Table on 9-9-64

Papers laid on the Table

Direct Taxes (Amendment) Bill—Introduced

Opinions on Bill

Motion *re*: Food Situation—

| | |
|---|---|
| Shri Nambiar | 420 |
| Shri Himatsingka | 421–22 |
| Shri Bishanchander Seth | 422–23 |
| Shri Tulshidas Jadhav | 423 |
| Shri Maurya | 423–24 |
| Shri Maniyangadan | 424–25 |
| Shri Siddhanti | 425–26 |
| Shri Bishwanath Roy | 426–27 |
| Shri Koya | 427 |
| Shri J. R. Mehta | 427–28 |
| Shri Vishram Prasad | 428–29 |
| Dr. P. S. Deshmukh | 429 |
| Shri K. N. Tiwary | 429-30 |
| Shri C. Subramaniam | 430 |

Proclamation in regard to Kerala State 437–38

# लोक सभा
# LOK SABHA

**गुरुवार, 10 सितम्बर, 1964/19 भाद्र, 1886 (शक)**

*Thursday September* 10, 1964/*Bhadra* 19, 1886 (*Saka*)

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**

*The Lok Sabha met at Eleven of the clock*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य**

+

श्री स० मो० बनर्जी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री रा० गि० बुवे :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री घवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री अ० सिं० सहगल :
*91. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

श्री क० ना० तिवारी :
श्री बाल्मीकी :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री प्र० के० देव :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बड़े :
श्री हेमराज :
श्री बासप्पा :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री ह० चं० सोय :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) मूल्य में इस वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ग) मूल्यों को स्थिर रखने के लिये गत तीन महीनों में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) क्या मूल्यों के सम्बंध में किसी व्यापक नीति तथा उस नीति को कार्यान्वित करने के लिये किसी संस्थात्मक साधन पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) खाने के तेलों, खासकर मूंगफली, तिल और सरसों के तेलों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। इन तेलों में पिछले वर्ष की अपेक्षा 30 प्रतिशत से 52 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। सरकार ने मई 1964 में चीनी के मूल्य में औसतन करीब 5 प्रतिशत की वृद्धि की। गुड़ और चाय के मूल्य इस वर्ष गिर गये हैं। निर्मित वस्तुओं में ऊनी माल के मूल्यों में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मिल के कपड़े के मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहे ; इनमें वर्ष के दौरान 2 प्रतिशत से कम वृद्धि हुई। हथकरघे के कपड़े और रेशम तथा रेयन के कपड़े के मूल्यों में वर्ष के दौरान 2 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई। एल्यूमिनियम के बरतनों के मूल्य भी उतर गये हैं और औषधियों (ड्रग) तथा औषधों (मेडिसिन) के मूल्य अप्रैल, 1963 के स्तर पर बने रहे।

(ख) कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उसका मुख्य कारण यह है कि मांग को देखते हुए काफी उत्पादन नहीं हुआ।

(ग) जहां तक खाने के तेलों का सम्बंध है, सरकार ने 2 जून, 1964 को तेलहन, तेलों और खली की 14 किस्मों में वायदे के सौदों पर प्रतिबंध लगा दिया। 11 जुलाई से खाने के तेलों का निर्यात रोक दिया गया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने वनस्पति और वनस्पति तेलों के आधार पर ऋण देने

पर पाबन्दियां लगा दीं । मिल के कपड़े की कीमतों के ऐच्छिक विनियमन की योजना को जारी रखा गया । औषधियों और औषधों की कीमतें भारत रक्षा नियमों के अधीन उसी स्तर पर निश्चित कर दी गयी हैं जो अप्रैल, 1963 में थीं । मांग को काबू में रखने के लिए सरकार ने चालू वर्ष में खर्च में 75 करोड़ रुपये की कमी करने का निश्चय किया है ।

(घ) अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए उपयुंक्त कार्रवाई करना सरकार की नीति है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किये गये कुछ उपायों का उल्लेख प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में किया जा चुका है । विशिष्ट वस्तुओं से सम्बद्ध मंत्रालयों के अतिरिक्त कई अन्तर्ममंत्रालय संस्थाएं भी कीमतों पर प्रभाव डालने वाली घटनाओं पर नजर रखती हैं, और उनके सम्बंध में जरूरी कार्रवाई की सिफारिश करती हैं ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि मूल्य बढ़ने के मुख्य कारण घाटे की अर्थ व्यवस्था तथा छिपे हुए धन का जनता में फैलना है ? यदि हां, तो घाटे की अर्थ व्यवस्था को कम करने तथा छिपे हुए धन को, जो 500 करोड़ रुपये के लगभग है, वापिस लेने के संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**श्री ब० रा० भगत** : यह मुख्य कारण नहीं है । यह भी एक कारण हो सकता है । छिपे हुए धन के विषय में एक अन्य प्रश्न भी है, उसके आने पर ब्योरे की बातों पर विचार किया जा सकता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह भी एक कारण है तो भी उत्तर दिया जाना चाहिए कि सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ।

**श्री ब० रा० भगत** : जहां तक घाटे की अर्थ व्यवस्था का संबंध है, व्यय को जितना हो सके कम करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है । वित्त मंत्री केन्द्रीय सरकार के इस वर्ष के व्यय में 70–75 करोड़ रुपये की कटौती करने की घोषणा कर चुके हैं । राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि जितनी संभव हो उतनी मितव्ययता करें ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि 500 करोड़ रुपये का छिपा हुआ धन जनता में फैला हुआ है उसको वापस लेने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ।

**अध्यक्ष महोदय** : कैसे यह निश्चय से कहा जा सकता है कि यह 500 करोड़ रुपये है ?

**श्री स० मो० बनर्जी** : कुछ समाचारपत्रों ने ऐसा बताया है ।

**श्री हनुमन्तैया** : 3000 करोड़ रुपया ।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न पूछें ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या छिपा हुआ धन भी मूल्य बढ़ने का एक कारण है, तथा इस धन को वसूल करने के लिये और जो लोग इस प्रकार देश को आतंकित कर रहे हैं उन्हें जेल में डालने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**अध्यक्ष महोदय** : वह धारणा बनाते हैं, सुझाव देते हैं, निर्णय करते हैं तथा निष्कर्ष निकाल लेते हैं ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : यह बताया जा सकता है कि उस धन को वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ।

**श्री ब० रा० भगत** : छिपे हुए धन का प्रश्न बड़ा कठिन है । पहले तो यह ही मालूम नहीं है कि वह धन कितना है । दूसरे खाद्यान्नों आदि के वितरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है । इसके अतिरिक्त यह भी पता नहीं है कि यह मुद्रा में है अथवा अन्य किसी रूप में है । यदि मुद्रा में है तो आप इसको जब्त कर सकते हैं । परन्तु यदि यह सोने चांदी अथवा शहरी संपत्ति आदि के रूप में हैं तो इसका कोई एक हल नहीं हो सकता है । सरकार इस प्रश्न पर कोई ध्यान दे रही है । हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इस बुराई को किस प्रकार दूर किया जाये ।

**Shri Yashpal Singh** : Whether this difficulty is due to capital intensive investment ? If so, whether Government have encouraged the cottage Industries mentioned by Mahatma Gandhi to overcome this difficulty ?

**Shri B. R. Bhagat** : I think this difficulty is due to the fact that the production of essential commodities has not increased adequately. If the production, thereof increases, there will not be any difficulty due to capital intensiue Projects even,

**डा० रानेन सेन** : योजना आयोग ने कुछ समय पहले बताया था कि मूल्य नियंत्रण का एक संगठन बनाने का विचार है । मैं जानना चाहता हूं कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

**श्री ब० रा० भगत** : बहुत से सरकारी संगठन जैसे अन्तर विभागीय समितियां आदि समस्या को हल करने के प्रयत्न कर रहें ।

**श्री विश्वनाथ राय** : जब कच्ची सामग्री खरीदी गई थी तब सामग्री के मूल्य काफी कम थे इसलिये निर्मित वस्तुओं तथा व्यापारियों द्वारा बेची गई वस्तुओं के मूल्य घटाने के बारे में सरकार उपेक्षा क्यों दिखा रही है ?

**श्री ब० रा० भगत** : निर्मित वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने पर सरकार उनको कम करने का प्रयत्न करती है । अतः यह समझना ठीक नहीं है कि सरकार केवल कच्ची सामग्री के मूल्यों पर ही ध्यान दे रही है और निर्मित वस्तुओं के मूल्यों पर नहीं । कच्ची सामग्री के मूल्य अधिक न बढ़ने देने पर निर्मित वस्तुओं के मूल्य कभी भी नहीं बढ़ेंगे ।

**Shri Sidheshwar Prasad** : Is it a fact that during the last several years the expenditure incurred on unproductive works was more than that incurred on productive works ? If so, whether it is proposed to reverse this process now and spend more money on productive works ?

**Shri B. R. Bhagat** : It is not so. Every effort is made to reduce expenditure on unproductive items, but when more expenditure is incurred on productive works like Projects etc., along with that, the expenditure on unproductive works also increases to some extent.

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या रिजर्व बैंक ने सटोरियों को हतोत्साहित करने के लिए कदम उठाये हैं जिससे धन जमाखोरी आदि में न लगे अपितु व्यापार में लगें ।

**श्री ब० रा० भगत** : रिजर्व बैंक सभी प्रकार के उपाय कर रहा है जिससे धन सट्टा व्यापार में न लग कर व्यापार में लगे और वस्तुओं के मूल्य न बढ़ पायें ।

**Dr. Ram Manohar Lohia :** Whether hon. Minister kindly tell us roughly the average break of the prices of essential commodities into the following :

1. Cost including the transportation charges
2. tax
3. Profit and
4. Wastage

**Mr. Speaker:** This can not be covered by a supplementary .

**Dr. Ram Manohar Lohia :** I asked this,.....

**Mr. Speaker :** You are right in asking this.

**Dr. Ram Manohar Lohia :** It is difficult to reply in regard to 2, 3 and 4 unless Hon. Minister comes prepared to reply.

**Mr. Speaker:** But I say that the answer to your question can not be given through a supplementary. That will be very long and I suggest that he may give a statement regarding this.

**Shri Onkar Lal Berwa :** Is it a fact that due to introduction of controls by Government and due to emergency, prices of food grains and essential commodities are increasing ?

**Shri B. R. Bhagat :** Sometimes prices shoot up not due to introduction of controls but due to the difficulties which came in the way of their introduction.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Whether the prices have not gone up due to the taxes levied to the tune of Rs. 519 crores ?

**Shri B. R. Bhagat :** The Hon. Finance Minister and official spoksman had told the House during the last budget session that they had kept this in their mind when levying taxes that prices should not shoot up. Moreover when taxes were levied under central excise, we had made it clear that the prices should not go up more than what we had contemplated.

**Shri Vishram Prasad :** In the statement it has been given that prices of groundnut oil and mustard oil have gone up by 30 to 52 percent but in the market they have gone up by 70 to 100 percent. About sugar they have told us that the rise in about 5 percent but that is not available in the market. It has been stated that the prices of Gur and tea declined but that is not the case. I want to know from where these figures have been collected.

**Shri B. R. Bhagat :** This is a fact that Government increased the prices of sugar by 5 percent as it became necessary due to less production of sugar cane and due to other causes but this is also a fact that due to the scarcity of sugar people pay more. The prices of other commodities are wholesale prices.

**Shri K. N. Tewari:** If the integrated prices of food grains are fixed keeping in mind the prices of other essential commodities, the prices of the latter will fell down. Are Government taking any action in this regard ?

**Shri B. R. Bhagat :** This is a very difficult and complictated question but we are investigating.

**श्री बासप्पा :** क्या कपड़े के मूल्य निश्चित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो कब ?

**श्री ब० रा० भगत** : प्रश्न विचाराधीन है ।

**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या खाद्यान्नों के मूल्य निश्चित करने के साथ साथ अन्य सभी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य भी निश्चित किए जा रहे हैं तथा यदि हां, तो थोक तथा खुदरा मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है ?

**श्री ब० रा० भगत** : विवरण में मैंने बताया है कि कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं । खुदरा वस्तुओं के भावों के तुलनात्मक आंकड़े नहीं हैं । हमारे पास जून, 1964 के उपभोक्ता मूल्य देशनांक हैं । परन्तु जून से अब तक मूल्य और बढ़ गये हैं ।

**भू-संरक्षण**

\+

*92. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
**श्री रामेश्वर टांटिया** :
**श्री भी० प्र० यादव** :
**श्री धवन** :
**श्री बिशनचन्द्र सेठ** :
**श्री यशपाल सिंह** :
**श्री पें० वेंकटासुब्बया** :
**श्री ओंकारलाल बेरवा** :
**श्री हेमराज** :
**श्री ह० पं० चटर्जी** :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भू-संरक्षण के सम्बंध में हाल ही में श्रीनगर में जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था उसमें समस्त देश के भू-संरक्षण के कार्य को कार्यान्वित करने के महत्व के सम्बंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में क्या नये निर्णय किये गये हैं और भूमि के कटाव और मिट्टी के जमाव को इस गम्भीर समस्या को हल करने के लिये क्या नवीन उपाय खोज गये हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी, हां । नदी घाटी वाह-क्षेत्रों में भूमि संरक्षण स्कीमों के वास्तविक कार्यान्वन के लिये उत्तरदायी अधिकारियों में विचार विनिमय में सुविधा लाने के लिए तथा सब की एक जैसी समस्याओं को शिनाख्त करने एवं उनके हल के लिये उपाय निकालने के लिए ऐसा सम्मेलन पहली बार सम्पन्न किया गया था ।

(ख) महत्वपूर्ण विषयों को बताने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

सम्मेलन द्वारा किए गये महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं :—

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के वाह क्षेत्रों में भूमि संरक्षण से सम्बद्ध कार्य में लगे समस्त अधिकारियों को दो सप्ताह का प्रशिक्षण देने के लिए प्रबंध किए जाएं ।

(2) अन्य देशों में किये जा रहे भूमि संरक्षण कार्य पर लिखे गये अद्यतन साहित्य एवं पुस्तकों और पत्रिकाओं के उद्धरण नदी घाटी बाह् क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्य में संलग्न समस्त अधिकारियों में परिपत्रित किये जाएं ।

(3) इस विषय पर गवेषणा की एक विस्तृत आयोजना बनाई जाए ।

(4) यह निश्चय किया गया था कि डेलीगेट राज्यों में भूमि संरक्षण कार्यक्रम से सम्बद्ध विविध अभिकरणों के बीच गहन समन्वय लाने के लिए तथा वर्तमान कार्य प्रणाली को उन्नत करने और कार्यान्वन की गति में द्रुतता लाने के लिए अपने अपने राज्यों द्वारा सुझाव दें । उन सुझावों पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के परामर्श से सिंचाई व बिजली मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा और एक उपयुक्त कार्य-पद्धति निकाली जाएगी ।

(5) कार्य प्रगति के पुनरीक्षणार्थ वर्ष में एक अथवा दो बार ऐसे ही सम्मेलन होने चाहिएं ।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या यह सच नहीं है कि उन क्षेत्रों में पेड़ों को काटने के एक क्रमवार कार्यक्रम को चलाने के स्थान पर जिनके कि विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के जल भण्डारों के पानी में डूब जाने की सम्भावना है, वन विभाग के लोग ऐसे क्षेत्रों में प्रत्येक स्थान पर ही आवश्यकता पड़ने से वर्षों पहले ही पेड़ों को काट देते हैं जिससे कि भूमि के कटाव तथा रेत के जमने की नवीन समस्याएं पैदा हो जाती हैं ?

**डा० कु० ल० राव :** यदि इतनी लापरवाही से ये पेड़ काट दिये जाते हैं तो बहुत ही खेद की बात है। हमने उन्हें पूरे अनुदेश दिये हुए हैं कि उन्हीं क्षेत्रों के पेड़ काटे जायें जो कि जलभण्डारों के जल में डूब हुए हैं ।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** आज कल देश की कुल कितने प्रतिशत भूमि में भूमि का कटाव होता है ?

**डा० कु० ल० राव :** इस मंत्रालय का सम्बन्ध नदी घाटी जलाशयों की मिट्टी से है और इस समय हमने 14 नदी घाटी जलाशयों में कार्य प्रारम्भ किया है ।

**श्री ह० पं० चटर्जी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी लगभग एक चौथाई भूमि में कटाव होता है और इस बात को भी देखते हुए कि नदी घाटी परियोजनाओं के जलाशयों का क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग मील है और यदि भू-संरक्षण के उपाय वहां पर तीव्रता से नहीं किये गये तो हमने जो बांधों के करोड़ों रुपये लगा रख हैं वह व्यर्थ ही जायेंग और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि 31 दिसम्बर, 1960 को भुवनेश्वर में हुए कृषि मंत्रियों तथा वन मंत्रियां के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि एक एकीकृत भू-संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाये जो कि समस्त भारतवर्ष में भू-संरक्षण का कार्य करवायेगा और इस बात को भी देखते हुए कि अन्य सम्मेलनों में भी जैसेकि एक श्रीनगर में हुआ था जिसम कि मैं भी उपस्थित था .....

**अध्यक्ष महोदय :** ध्यान में रखने वाली बातें तो बहुत सी कह दी गई हैं परन्तु अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है ? प्रश्न के पहिले इतनी भूमिका नहीं बांधी जानी चाहिये, उन्हें सीध ही प्रश्न पूछना चाहिये

**श्री ह० पं० चटर्जी :** मैं सीधे ही प्रश्न पूछूंगा : उस एकीकृत योजना के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया मुझे दूसरा प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें दूसरा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिलेगी ।

**डा० कु० ल० राव :** जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, जलाशयों के लिये भू-संरक्षण का बहुत महत्व है । दूसरी योजना में हमने 218 वर्ग मील क्षेत्र में कार्य किया है जिस पर 128 लाख रुपये व्यय हुए हैं । तीसरी योजना में 1050 वर्ग मील भूमि पर कार्य करने के लिये हमने 11 करोड़ रुपये पृथक नियत कर दिये हैं ।

**Shri Yashpal Singh :** Shri Keshav Dev Malviya has stated that the total area of agricultural land in our country is 40 crore acres, while the total number of our oxen wealth is only 2½ crores as a result of which a vast area of our land remains untilled and only such untilled areas suffer from soil erosion. What effects have been made by the Government to see that the entire area of our land is tilled properly. ?

**डा० कु० ल० राव :** नदी घाटी परियोजनाओं के तटबन्धों में भू-संरक्षण सम्बन्धी कार्य खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसलिये माननीय सदस्य से निवेदन है कि अपना प्रश्न उस मंत्रालय से पूछें ।

**श्री विश्राम प्रसाद :** विवरण की सिफारिश संख्या 3 में यह कहा गया है कि " इस सम्बन्ध में अनुसन्धान की एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिये ।" मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किन किन मदों के सम्बन्ध में होगी तथा अनुसन्धान कार्य कहां पर किया जायेगा और उस अनुसन्धान कार्य की मुख्य मुख्य रूपरेखायें क्या होंगी ।

**डा० कु० ल० राव :** नदी घाटी तटबन्धों के सम्बन्ध में भू-संरक्षण का कार्य बहुत ही गहन रूप से करना होता है । सतलज परियोजना में जलाशय तटबन्ध का क्षत्र 22,000 वर्ग मील है और हमने उन क्षेत्रों का पता लगा लिया है जहां कि सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है तथा बहुत सी मिट्टी जम गई है और यह भाग लगभग 2,500 वर्ग मील है अर्थात् कुल क्षेत्र का लगभग दसवां हिस्सा है । अनुसन्धान में यह पता किया जाता है कि किन-किन स्थलों पर यह समस्या सबसे अधिक है और फिर उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करनी होती है । इसलिये अनुसन्धान के कार्यक्रम समय समय पर तैयार किये जायेंगे जोकि विभिन्न तटबन्धों पर निर्भर करेंगे और उसमें यह पता किया जायेगा कि मिट्टी कहां पर और कैसे कट जाती है जिससे कि रेत जम जाने की समस्या को हम प्रभावी रूप से हल कर सकें ।

**Shri M. L. Dwivedi :** It is given in the statement that :—"It was decided that delegates should send through their respective State Governments suggestions to bring about close coordination between....., May I know whether the members or the delegates have sent any such suggestion and if so by when it is likely to be considered ?

**डा० कु० ल० राव :** कुछ राज्यों से सुझाव प्राप्त हो गये हैं, हमें सभी राज्यों के सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं । राज्यों में नदी घाटी परियोजनाओं के तटबन्धों में भू-संरक्षण सम्बन्धी कार्यवाही तीन विभागों द्वारा की जाती है जो कि इस प्रकार है : पहला मुख्य वन संरक्षक, दूसरा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और तीसरा है सिंचाई तथा लोक निर्माण विभाग । हम

इन तीन विभागों में अधिक समन्वय स्थापित करना चाहते हैं और हमने राज्यों से इसके लिये सुझाव मांगें हैं जिनकी कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।

**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि सिंचाई तथा विद्युत् सम्बन्धी परामर्श-दात्री समिति के सदस्यों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया था और बाद में वह नियन्त्रण वापस ले लिया गया था ; यदि हां, तो ऐसा किये जाने के क्या कारण थे ?

**डा० कु० ल० राव :** यह बात बिलकुल सच है कि उन सदस्यों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया था परन्तु उस समय विद्यमान अनेक कठिनाइयों के कारण उन्हें वह निमन्त्रण वापस लेना पड़ा।

**Shri Kashi Ram Gupta :** Will the hon. Minister please state as to why it was felt necessary to hold this conference in Srinagar in Kashmir, which is in a remote corner of the country ?

**Mr. Speaker:** Everyone knows that it has got a cool climate.

**Shri Kashi Ram Gupta:** Mr. Speaker, Sir, probably the hon. Minister is going to give an answer.

**Mr. Speaker:** That is already known to you and me.

**Shri Kashi Ram Gupta:** But what has this got to do with soil conservation ?

**Mr. Speaker:** Those who have to participate in the conference require a cool climate.

**श्री ज्ञ० ना० चतुर्वेदी :** क्या चम्बल नदी घाटी परियोजना भी उन 14 नदी घाटी परियोजनाओं में सम्मिलित थी जिनके सम्बन्ध में यह कार्य प्रारम्भ किया गया है ?

**डा० कु० ल० राव :** चम्बल नदी घाटी परियोजना भू-संरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित है। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि काश्मीर में हुए सम्मेलन में भू-संरक्षण सम्बन्धी जो सबसे कठिन समस्या सामने आई थी, वह कृष्णा घाटी की पोहरू नदी योजना के सम्बन्ध में थी।

## विद्युत-जनन

\+

*93. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
**श्री मोहन स्वरुप :**
**श्री द्वारका दास मंत्री :**
**श्री श्रीनारायण दास :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्युत्-जनन के बढ़ते हुए उत्तरदायित्व को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के प्रश्न की योजना आयोग ने जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन बातों के कारण इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक समझा गया; और

(ग) क्या इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी , हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—3056/64] ।

(ग) जी, नहीं ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ क्षेत्रों में स्थानीय रूप से विद्युत्-जनन का कार्य लाभकारक ढंग में और सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता, क्या इसके लिये कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है ?

**श्री ब० रा० भगत** : वह तैयार किया जा रहा है ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : जो कार्यक्रम तैयार किया गया है उसकी रूपरेखायें क्या हैं ?

**श्री ब० रा० भगत** : कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिये जाने पर हम उसके ब्यौरे प्रस्तुत कर देंगे ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मंत्री महोदय के उत्तर एक दूसरे के विपरीत हैं । पहले उन्होंने कहा कि कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और अब वह कह रहे हैं कि उसको अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा था कि वह तैयार किया जा रहा है ।

**श्री पु० र० पटेल** : इस बात को देखते हुए कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री नर्मदा परि-योजना सम्बन्धी समझौते से फिर गये हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार उस परियोजना के कार्य को पूरा करेंगी ?

**श्री ब० रा० भगत** : इस प्रश्न के लिये मुझ विधिवत सूचना दी जाये क्योंकि यह एक विशेष परियोजना के सम्बन्ध में है ।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस सिफारिश को देखते हुए सरकार इस बात का किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करेगी कि दामोदर नदी घाटी निगम, जो कि एक एकीकृत संयंत्र था, को अब दो विभिन्न राज्यों के बीच बांट दिया गया है और उन्हें भिन्न भिन्न कार्य सौंप दिये गये हैं ?

**श्री ब० रा० भगत** : दामोदर नदी घाटी निगम का विद्युत् कार्यक्रम दो पृथक राज्यों में नहीं बांटा गया है ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : दो मंत्री महोदय इतने निकट हैं और फिर भी इतने दूर हैं । वे एक दूसरे से परामर्श कर रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** पहले भी यह आपत्ति उठाई गई थी कि उनका संयुक्त उत्तरदायित्व है और जब एक मंत्री उत्तर दे रहा हो तो दूसरे मंत्री की ओर से भी उत्तर देना चाहिये। परन्तु प्रश्नों के मामले में ऐसा सम्भव नहीं है। नियम 41 के अधीन एक मंत्री से केवल उन बातों के सम्बन्ध में ही प्रश्न पूछ जा सकते हैं जो कि उसके क्षेत्राधिकार की हो, अन्य बातों के सम्बन्ध में नहीं।

**श्री हरि विष्णु कामत :** मेरे कहने का अर्थ यही था।

**श्री द्वा० ना० तिवारी :** किस राज्य में सबसे कम विद्युत् जनन किया जाता है और किस राज्य में बिजली का मूल्य सब से अधिक है ?

**श्री ब० रा० भगत :** वह विस्तार का प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन....

**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर यदि उन्हें मालूम हो तो वह उसे बता दें। यदि उत्तर उन्हें नहीं मालूम तो फिर प्रश्न की विधिवत् सूचना देने के लिये कह दे। प्रश्न सीधा सा है। विद्युत् जनन कहां सबसे कम होता है और मूल्य कहां पर सबसे अधिक है।

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** आसाम में विद्युत् जनन सबसे कम होता है। उत्तर बिहार में भी यह बहुत कम है। उत्तर बिहार और आसाम दोनों ही में मूल्य सबसे अधिक है।

**डा० रानेन सेन :** विवरण में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल-बिहार क्षेत्र में निम्न श्रेणी के कोयले का, जिसका कि कोयला धोने के कारखानों में उत्पादन किया जाता है, एक तापीय संयंत्र स्थापित किया जायेगा। बंगाल-बिहार क्षेत्र में ऐसे तापीय संयंत्रों का निर्माण कौन करायेगा और कौन इनका प्रभारी रहेगा।

**डा० कु० ल० राव** हालांकि योजना आयोग तथा भारत सरकार की इच्छा तथा नीति जहां तक सम्भव हो सके केन्द्रीय विद्युत् जनन को प्रोत्साहित करने की रही है, परन्तु ऐसी सम्भावना हो सकती है कि निकट भविष्य में केन्द्रीय विद्युत् जनन संयंत्र स्थापित करना सम्भव न हो जाये। इस मामले में कदाचित् राज्य सरकारें ही इस तापीय विद्युत् स्टेशन को चलायेंगी।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** योजना मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों में से एक प्रश्न उठाते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह विद्युत् के उत्पादन तथा सम्भरण को केन्द्रीय सरकार का एक विषय बनाने के लिये सुझाव करेंगे ?

**श्री ब० रा० भगत :** इस समय यह समवर्ती सूची का एक विषय है और इसके लिये हम जो कोई भी योजना तैयार करते हैं उसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श लेना तथा उनकी सहमति लेना आवश्यक है।

**श्री हरि विष्णु कामत:** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार अपने ऊपर बहुत अधिक उत्तरदायित्व ले रही है, जब कि वह यहां पर लोगों के लिये स्वच्छ पेय जल की भी व्यवस्था नहीं कर पाती है और लोगों को गंदगी मिश्रित जल का सम्भरण कर रही है, क्या

मैं जान सकता हूं कि प्रशिक्षित तथा अर्हता प्राप्त विशेषज्ञ इंजीनियरों की सेवायें उपलब्ध कराने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है, जब कि हमारे इंजीनियर दिल्ली 'सी' विद्युत् संयंत्र में होने वाले कम्पनों को भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं?

**विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने पहल भी माननीय सदस्यों से अनेकों बार यह प्रार्थना की है कि वे अपने प्रश्न को समझाने के लिये अनावश्यक भूमिकायें न बांधा करें !

**श्री हरि विष्णु कामत** : हम उन्हें ठीक बात पर लाने के लिये भूमिकायें बांधते हैं, अन्यथा तो मंत्रि पीठ पर बैठने वाले व्यक्ति सचेत ही नहीं होते ।

**अध्यक्ष महोदय** : एक अनुपूरक प्रश्न इस रूप में नहीं पूछा जा सकता । अन्य कई बातें बहुत आवश्यक तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकती हैं, परन्तु उन्हें अनुपूरक प्रश्नों के साथ इस रूप में नहीं रखा जा सकता । मैंने अनेकों बार माननीय सदस्यों से प्रार्थना की है कि वे ऐसा न किया करें । मैं पुनः एक बार माननीय सदस्यों से वही प्रार्थना करता हूं, अन्यथा किसी समय मैं भी प्रश्न के अनावश्यक भाग के लिये अनुमति न देने के लिये विवश हो सकता हूं ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : इस बात पर तो दरअसल आपका पूरा अधिकार है ।

**श्री अ० कु० सेन** : ठीक वही बात मैं भी कहना चाहता था ।

**श्री कपूर सिंह** : आपने अभी अभी जो निदेश दिया है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । सदस्य कभी कभी इस बात के लिये विवश हो जाते हैं कि वे मंत्रिपीठ पर बैठने वाले मंत्रियों के किसी बात को समझने के स्तर को भी ध्यान में रक्खें । हम कभी भी सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहते परन्तु हम अपने प्रश्न के साथ भूमिकायें इसलिये बांधते हैं कि जिन लोगों को उसका उत्तर देना है वह ठीक बात पर आ जायें और प्रश्न उनके लिये स्पष्ट हो सके।

**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां, दरअसल मंत्रियों की और सदस्यों की, और विशेष रूप से अध्यक्ष की, सूझबूझ को ध्यान में रखना होता है । क्योंकि वह लम्बे लम्बे प्रश्नों को ठीक से नहीं समझ सकता और इसलिये उस पर कृपा दृष्टि भी रखी जानी चाहिये।

**श्री हरि विष्णु कामत** : आपने तो प्रश्न ठीक ठीक समझ लिया है ।

**डा० कु० ल० राव** : माननीय सदस्य की भांति ही हम भी इस बात के बहुत इच्छुक है कि यथासम्भव मित्तव्ययिता बरती जाये। इस नीति का पालन करने के कारण ही हम केन्द्रीय सरकार के स्तर पर विद्युत् जनन के कार्य को प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि जब केन्द्रीय विद्युत् जनन होगा तो बहुत अधिक मितव्ययिता की जा सकती है ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रश्न के दूसरे भाग अर्थात् कम्पन के बारे में उत्तर नहीं दिया गया है ।

**डा० कु० ल० राव** : यह निस्संदेह दुर्भाग्य की बात है कि मशीन में कंपन है । हमें इसके कारण का पता है । इस कंपन को पैदा करने वाले दोषों पर काबू पाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे

हैं। वास्तव में इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये ही हमें इस देश में विशेषज्ञों की एक केन्द्रीय श्रेणी बनानी है और केन्द्रीय जनन और केन्द्रीय संगठन इस प्रयोजन के लिये उत्तम रूप से सुसज्जित होंगे।

**श्री हरि विष्णु कामत** : हम यही आशा करते हैं।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : योजना आयोग की एक सिफारिश यह थी कि मूल्य सूत्र को दोष रहित होना चाहिये क्योंकि विद्युत् अनुपात और खपत अनुपात विभिन्न राज्यों में अलग अलग हैं। क्या योजना आयोग ने बिजली की खपत और उसके उपयोग के बारे में कोई मूल्य संबंधी पैटर्न निकाला है इस से पहले कि वह इस योजना को आरम्भ करे।

**डा० कु० ल० राव**: यह सच है कि देश के अलग अलग भागों में बिजली के मूल्य अलग अलग हैं। इसके अनेक कारण हैं। हमारा एक उद्देश्य यह भी है कि मूल्यों को घटाया जाये और उन में समानता लाई जाये। अन्य प्रश्नों के साथ इस पहलू पर भी जांच करने के लिये एक समिति पहले से ही नियुक्त की गई है। हमें आशा है कि हम शीघ्र ही बिजली की दरें एक समान कर सकेंगे।

**Shri Tulshidas Jadhav :** Electricity rates of Private Companies are higher than those of the Government. What action, if any, have Government taken to bring down the rates of electricity supplied by the private Companies ?

**Shri B.R. Bhagat :** If any private Company is uneconomical or is not running properly, the only thing we can do is to take over its management or give such assistance as would enable it to be economical.

**Shri Onkarlal Berwa :** What is the reason for the difference in rates of electricity in Rajasthan and Madhya Pradesh when both the States draw their requirements from Gandhi Sagar Dam ?

**Shri B.R. Bhagat :** It is a question of details. The hon. Member may give notice for it.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Is it a fact that some States generate electricity in excess of their consumption, and if so, the names of those States ?

**Shri B.R. Bhagat :** The Generating Capactity and requirement of electricity varies from State to state. Some states have appropriate means for generating thermal or hydro-electricity. But there are other states, for example Rajasthan and Madras, where hydro electricity has already been produced in more than one ways and not much scope is left for its further production. There is enough scope for thermal power in Bihar and Bengal and for hydro-electricity in Himalayan region. Under the scheme electricity will be produced at minimum cost. There will be good consumption of it and the rates will be reasonable. It will be distributed to all the states on the basis of integrated grid.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** Sir, my question has not been replied.

**Mr. Speaker:** The Member having so many questions in their names should try to give opportunities to others in respect of questions not standing in their names.

**Shri Kachhaviaya :** Reply has not been given.

**Mr. Speaker:** The hon. Member may give notice of half-an-hour discussion.

## बाढ़ नियंत्र पर सम्मेलन

*94. श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या सिंचाई और विद्युत नत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये 25 और 26 जून, 1964 को श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय सम्मेलन हुआ था,

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में कितने राज्यों ने भाग लिया था; और

(ग) सम्मेलन में किन किन विषयों पर चर्चा की गई तथा तथा क्या क्या निर्णय किये गये थे ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के सुझावों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई बाढ़ नियंत्रण पर मंत्रियों की समिति ने अपनी प्रथम बैठक 25 और 26 जून, 1964 को श्रीनगर में की ।

(ख) इस समिति में आन्ध्र प्रदेश, असम, जम्मू और काश्मीर, केरल, महाराष्ट्र उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य के मंत्री प्रतिनिधि हैं । आन्ध्र प्रदेश और पंजाब के सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया ।

(ग) समिति ने विविध राज्यों में बाढ़ की स्थिति के पुनरीक्षण एवं आंकन पर दीर्घकालीन योजनाओं को तैयार करने पर, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को तैयार करने पर, बाढ़ नियत्रण परियोजनाओं के अनुसंधान पर, बाढ़ नियंत्रण स्कीमों पर पैसा लगाने के तरीके ढूंढ़ने पर, चतुर्थ योजना में धन की आवश्यकताओं और संगठनात्मक सेट-अप पर प्राथमिक विचार विमर्श किया । समिति को दिसम्बर, 1964 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट देनी है, तभी उसके सुझावों का पता चलेगा ।

**Shri Bishan Chander Seth :** Have Government ever given thought to the fact that big canals also sometimes cause floods ? Is it not a fact that if tubewells are encouraged, it will go a long way in controlling floods ?

**डा० कु० ल० राव:** बहुत भारी वर्षा अथवा किन्हीं विशेष क्षेत्रों में वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाने से बाढ़ आ सकती है जैसाकि इस वर्ष बड़ी और छोटी नदियों में देखा गया है ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : नजफगढ़ से, लिज़रा नाली और घग्गर से पानीके बहाव को रोकने के बारे में सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसको क्रियान्वित करने में सरकार क्यों असमर्थ रही है ?

**डा० कु० ल० राव** : नदियों में बाढ़ नियंत्रण का कार्य केवल पिछले 10 वर्षों से ही आरम्भ किया गया है । इसके अतिरिक्त भारत में नदियों की संख्या इतनी बड़ी है, कि प्रत्येक नदी में शीघ्र बाढ़ नियंत्रण करना संभव नहीं है । इस वर्ष, विशेषत: दिल्ली में, जितनी वर्षा हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई । 1881 से हम वर्षा का हिसाब रख रहे हैं और उसके अनुसार इस वर्ष की वर्षा सब से अधिक है ।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन्होंने आज की बारिश को भी शामिल कर लिया हैं ?

**डा० कु० ल० राव** : बाढ़ नियन्त्रण की सब से महत्वपूर्ण और कठिन समस्या का हल निकालने के लिये सरकार प्रयत्न करती रहेगी । दिल्ली में और घग्गर नदी में बाढ़ नियन्त्रण का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा ।

**Shri Vishwa Nath Pandey**: Is it a fact that Uttar Pradesh Government have placed before the Central Government a scheme for effecting flood control in the rivers of Uttar Pradesh ? If so, the steps Government propose to take in that regard ?

**डा० कु० ल० राव** : उत्तर प्रदेश सरकार समय समय पर अनेक योजनाएं पेश करती रही है । इस वर्ष उत्तर प्रदेश में बाढ़ सम्बन्धी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेपाल बांध का निर्माण बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है और वहां पर इस वर्ष बहुत कम बाढ़ आई है ।

**श्री नि० रं० लास्कर** : आसाम में सब से अधिक वर्षा होती है और प्रति वर्ष बाढ़ आती है । क्या सरकार ने वहां की बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है ?

**डा० कु० ल० राव** : यह सच है कि आसाम में प्रति वर्ष बाढ़ आती है । इस लिये आसाम में बाढ़ नियंत्रण के लिये एक बड़ी राशि अलग से रखनी पड़ती है । सरकार समस्या पर बराबर विचार कर रही है ।

**श्री लहरी सिंह** : क्या इस सम्मेलन में पंजाब से पानी के परिवाह को रोकने के लिये धासा बांध के निर्माण के प्रश्न पर भी विचार किया गया था । और यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

**डा० कु० ल० राव** : मैं किसी और अवसर पर धांसा बांध के बारे में अधिक ब्योरे से बताऊंगा । धासा बांध के बारे में पहले ही अपने विचार प्रकट कर चुका हूं कि धासा बांध होना चाहिये अथवा नहीं, इसका निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है आदि ।

**Shri Jagdev Siddgh Sidhanti :** Are Government aware that due to the construction of Dhassa bund water has entered hundreds of villages of Jhajjar tehsil, thousands of cattle heads have died, hundreds of persons have lost there lives and whole of the crop has been destroyed.

**Mr. Speaker :** Government will know it now, if it did not know earlier.

**श्री कपूर सिंह :** क्या सरकार देश में बाढ़ नियन्त्रण संबंधी उपायों के लिये सम्पूर्ण जिम्मेवारी लेना चाहती है । यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

**डा० कु० ल० राव :** बाढ़ नियंत्रण वास्तव में राज्यों की समस्या है और केन्द्र वित्तपोषण, तकनीकी सलाह और समन्वय द्वारा सहायता देगा। अन्तर्राज्य नदियों, नालियों, जैसे कि नाली संख्या 8, घग्गर आदि में केन्द्र अधिक से अधिक रुचि लेगा और यह देखने का प्रयत्न करेगा कि इन से किसी राज्य को खतरा तो नहीं है।

**श्री कपूर सिंह :** उन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है । केन्द्र ना तो पर्याप्त निधियां देता है और ना ही राज्य सरकारों के कार्य में हस्तक्षेप करना बन्द करता है। दूसरे भाग में यह बात थी।

**अध्यक्ष महोदय :** अब उन्होंने स्वयं उत्तर दे दिया है, अर्थात् दूसरे भाग का यह रहस्य है ।

**श्री कपूर सिंह :** इसलिये, उन्हें उत्तर देने दीजिये और कारण बताने दीजिये ।

**अध्यक्ष महोदय :** जब माननीय सदस्य ने स्वयं जानकारी दे दी तो उन्होंने उत्तर भी दे दिया है ।

**श्री राम सहाय पांडेय :** क्या पाकिस्तान सरकार ने यह इच्छा प्रकट की है कि वह इन नदियों में, जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से होकर गुजरती हैं । बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये भारत सरकार का सहयोग देगी ?

**डा० कु० ल० राव :** हमें कोई सरकारी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है; मैंने यह केवल समाचार पत्रों में पढ़ा है ।

**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या इस सम्मेलन में उपवाद क्षेत्र से लेकर उसे मैदानी स्थान—जहां कि नदियां मैदानों में उतर आती है—तक को भाग के लिये योजनाएं तैयार की गई हैं; यदि हां, तो वे क्या है ?

**डा० कु० ल० राव :** वास्तव में, यदि आप विवरण को देखें तो पता लगेगा कि इस प्रश्न का सम्बन्ध उस सम्मेलन से है जो कि श्रीनगर में हुई थी और जो केवल मंत्रियों की समिति की बैठक थी; वास्तव में यह बाढ़ नियंत्रण पर सम्मेलन नहीं था । केन्द्रीय बोर्ड बाढ़ नियंत्रण ने, गत 10 वर्षों में किये गये कार्य की समीक्षा करने और यह पता लगाने के लिये कि आगे क्या कार्यवाही करनी है, विभिन्न राज्यों के मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है। यह विशेष निर्देश पद की केवल एक किस्म है और इसके अनुसरण में यह समिति बैठी है ; वास्तव में यह बाढ़ नियंत्रण पर सम्मेलन नहीं है।

**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच नहीं है कि माननीय मंत्री को उनके आसाम राज्य के दौरे में यह सुझाया गया था कि बारक और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां राज्य के लिये खेद का विषय हैं और उन्हें नियंत्रित किया जाना चाहिये; यदि हां, तो जब कि गत 17 वर्षों में चीन, रूस, अमरीका को कितने ही प्रतिनिधि मण्डल बाढ़ नियंत्रण की तकनीक सीखने के लिये भेजे गये हैं, फिर ऐसा क्यों है कि सरकार इस देश में बाढ़ नियंत्रण के लिये कोई उपाय नहीं कर सकी है जब कि ये बाढ़ लगभग प्रति वर्ष आती हैं और जन धन की हानि होती है ?

**अध्यक्ष महोदय :** बाढ़ अन्त में आई है।

**श्री हेम बरुआ :** आसाम में बाढ़ प्रति वर्ष आती है और हम बरबाद होते रहते हैं ।

**डा० कु० ल० राव :** सरकार की यह दिल्ली इच्छा है कि ब्रह्मपुत्र और बारक नदियों की बाढ़ से विशषत: आसाम की घाटी में जो हानि होती है उसको रोकने के लिये उपाय किये जायें; परन्तु इसमें कुछ कठिनाइयां हैं । ब्रह्मपुत्र नदी को नियंत्रित करना सब से कठिन कार्य है । वास्तव में, इस नदी को काबू में करने का कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है। बारक नदी को नियंत्रित करने के लिये हम उस पर एक जलाशय बनाना चाहते हैं, परन्तु इस पर बहुत लागत आयगी और, इसलिये, हम इस कार्य के लिये किसी सस्ती परियोजना की तलाश में हैं ।

**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमन्, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। मंत्री जी होशियारी से इस प्रश्न को टाल गये हैं जो कि यह था कि अब तक चीन, रूस और अमरीका को जो असंख्य प्रतिनिधि मण्डल गये हैं उन्होंने क्या किया है? क्या उन्होंने कुछ सीखा है या हमारा पैसा ही व्यर्थ किया है ? प्रश्न का असली आशय यह है ।

**अध्यक्ष महोदय :** इसमें औचित्य का प्रश्न क्या है ?

**श्री हरि विष्णु कामत :** मंत्री को पूरा उत्तर देना चाहिये। इसके बारे में नियम है ।

**अध्यक्ष महोदय :** सदस्य को उत्तर के लिये कहना चाहिये था।

**श्री हरि विष्णु कामत :** मंत्री का उत्तर गोल मोल था ।

**डा० कु० ल० राव :** विभिन्न इंजीनियरी अध्ययनों के लिये विदेशों को जो प्रतिनिधिमण्डल गये हैं व बहुत मूल्यवान जानकारी लाये हैं जिन्हें हम भारत की विभिन्न नदियों के लिये बाढ़ नियन्त्रण योजनाएं तैयार करने के लिये प्रयोग में ला रहे हैं । जैसा कि मैंने बताया ब्रह्मपुत्र को काबू में करना कोई सरल कार्य नहीं है । हम ने इस बारे में कुछ विदेशी इंजीनियरों से भी परामर्श किया है । हम ब्रह्मपुत्र की समस्या का समाधान नहीं कर सके हैं । मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि ब्रह्मपुत्र को नियंत्रित करना एक बहुत कठिन परियोजना है । जो कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं उसे सुचारु रूप से करने का प्रयत्न करते हैं । इस वर्ष जो कार्य किया गया है, उदाहरणार्थ, नौगोंग पर बांध, उससे बहुत लाभ

पहुंचा है। नौगोंग बाढ़ से बिलकुल मुक्त है। कटाव की समस्या नदी की सब से बड़ी समस्या है इसके लिये इस समय हम अपना भरसक प्रत्यत्न कर रहे हैं।

**गैर योजना व्यय**

\+

*95. श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री सोलंकी :
श्री दाजी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री पं० शा० देशमुख :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बासप्पा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-योजना व्यय को कम करने का निर्णय किया है; और

(ख) क्या इस व्यय को कम करने के लिये राज्य सरकारों को कोई सलाह दी गई है और उन की प्रतिक्रियायें क्या हैं ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत):** (क) जी हां, हाल ही में की गई जांच के परिणामस्वरूप 1964–65 के खर्च के लिये बजट में रखी गई रकम में कुल लगभग 70 करोड़ रुपये की कमी किये जाने की सम्भावना है।

(ख) पिछले जून महीने में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस सम्बन्ध में अपील की गई थी। योजना आयोग भी इस बात की जांच कर रहा है कि राज्यों के खर्च में कमी करने की कितनी गुंजाइंश है और आयोग जल्दी ही इस विषय में राज्य सरकारों को लिखने वाला है।

**Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Do the Government undertake non-planned items of work ? What are those items of work which Government are doing in a planned way ?

**Shri B. R Bhagat :** It is an a side question.

**Shri Jagdev Singh Siddhanti :** How can it be so ? There the words are non-planned. This is the heading of the question and such how can it be treated as a separate question.

**Mr. Speaker:** Presumably he means non-planned expenditure. He wants to know the items coming under non-planned expenditure.

**Shri B. R. Bhagat :** The definition of non-planned expenditure is clear now. The items which are under planned expenditure this year will come under non-planned expenditure next year. For example, the school opened this year comes under planned expenditure, but next year the expenditure on teachers and maintenance will come under non-planned expenditure.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** The amount that will be saved every year on account of cut made in the plan ?

**Shri B.R. Bhagat :** As I said just now, it will entail a serving of about Rs. 20 crores.

**Shri Yashpal Singh :** Increase in the strength of Ministries of various states is being noticed for many years. Have Government ever pondered over it that it is a non-planned expenditure should be done away with and, if so, the steps taken so far ?

**Shri B. R. Bhagat :** It may be non-planned but it is all the same necessary.

**श्री दाजी :** क्या यह सच है कि एक 70 करोड़ रुपये का मद यह है कि सरकार ने उस विधेयक को लाने का निर्णय किया है जिस में संसद् सदस्यों के लिये बढ़े हुए वेतनों और भत्तों का अपबन्ध है ?

**श्री ब० रा० भगत :** यह व्यय अभी बजट में शामिल नहीं किया गया है ।

**श्री दाजी :** मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार खर्च में कमी करने के लिये ऐसा कर रही है । मैं 'हां' या 'ना' में उत्तर चाहता हूं ।

**श्री ब० रा० भगत :** इस विषय पर इस सभा द्वारा अभी निर्णय किया जाना है ।

**श्री रघुनाथ सिंह :** हम ने पहले ही इस पर निर्णय कर लिया है ।

**श्री हरि विष्णु कामत :** यह दूसरे सदन में लम्बित है ।

**डा० प० शा० देशमुख :** क्या यह गैर योजना बद्ध व्यय और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इस में किस प्रकार के मद शामिल हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे दिया गया है । प्रश्न के पहले भाग का उत्तर भी दिया जा सकता है, अर्थात्, क्या इस में लगातार वृद्धि हो रही है, ।

**श्री ब० रा० भगत :** योजनाओं की क्रियान्विति में जब प्रतिवर्ष विकास सम्बन्धी व्यय में वृद्धि होती है तो योज । के अतिरिक्त कार्यों सम्ब धी व्यय में वृद्धि होना अनिवार्य है । किन्तु योजना के अतिरिक्त कार्यों पर कम से कम व्यय करने का प्रयत्न किया जाता है । वर्तमान मामले में भी जो

व्यय में 70 करोड़ रुपये की कटौती करने का निश्चय किया है, उसमें अधिकतम व्यय की कटौती योजना के अतिरिक्त कार्यों पर होने वाले व्यय में की गई है ।

**डा० सरोजिनी महिषी :** वर्ष 1963–64 में राज्यों में योजना के अतिरिक्त कार्यों पर औसत कितनी राशि व्यय हुई और व्यय में कमी करने के लिये की गई अपील के प्रति राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री ब० रा० भगत :** योजना आयोग इस संबंध में राज्यों से बातचीत कर रहा है ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** दो महीने पहले वित्त मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था कि भारत सरकार के योजना के अतिरिक्त कार्यों पर होने वाले व्यय में 70 करोड़ रुपये की कमी होनी चाहिये। वित्त मंत्रालय को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा व्यय में कमी करने सम्बन्धी कितने विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्होंने कितनी कटौती करने का संकेत दिया है ।

**श्री ब० रा० भगत :** व्यय में मितव्ययता का प्रस्ताव सम्बन्धित विशेष विभागों से मंत्रणा कर के किया गया है ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मेरा प्रश्न भिन्न है । वित्त मंत्री महोदय को वक्तव्य दिये हुए दो महीने हो गये हैं । क्या व्यय में कमी करने सम्बन्धी कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । लगभग चार या पांच महीने के बाद सभा के सामने बजट-प्रस्ताव रखे जायेंगे । मैं जानना चाहती हूं कि विभिन्न मंत्रालयों ने व्यय में वास्तव में कितनी कटौती की है, और क्या वित्त मंत्रालय को इसका कोई संकेत मिला है ?

**श्री ब० रा० भगत :** गत दो महीनों के प्रयत्नों परिणामस्वरूप ही व्यय में 70 करोड़ रूपये की कटौती करने का निश्चय किया गया है ।

**श्री भगवत झा आज़ाद :** इस 70 करोड़ रुपये की कटौती में मंत्रालय के आदेश के परिणाम स्वरूप कितनी तदर्थ कटौती की जायेगी तथा प्रशासनिक अतिरिक्त व्यय में योजनाबद्ध रूप से कितनी कमी की जायेगी ?

**श्री ब० रा० भगत :** यह कटौती तदर्थ आधार पर नहीं अपितु सुनियोजित ढंग से की गई है । वित्त मंत्री महोदय ने स्वयं यह कहा है कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि रोकी जायेगी अपितु वे विकास कार्य भी बन्द किये जायेंगे जिनका विकास तत्काल आवश्यक नहीं है और जिन में कटौती करने से उत्पादन कम न हो । योजना के अतिरिक्त कार्यों में कटौती करने के मामले पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया गया है ।

**श्री प्र० र० चक्रवर्ती :** क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि इस कटौती के परिणाम स्वरूप किसी अत्याधिक लाभकारी कार्यक्रम का प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, यदि हां, तो सरकार इस कटौती से प्रत्यक्ष रूप में होने वाली राष्ट्रीय हानि को किस प्रकार पूरा करेगी ?

**श्री ब० रा० भगत :** इस बात का ध्यान रखा गया है कि योजनाबद्ध विकास सम्बन्धी किसी अत्यावश्यक योजना पर होने वाले व्यय में कटौती न की जाये।

**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :** भारी उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय में कितनी कटौती की गयी है ?

**श्री ब० रा० भगत** : मुझे जानकारी नहीं है। किन्तु मैं कह सकता हूं कि लोहा, इस्पात और खान तथा धातु सम्बन्धी विभागों पर होने वाले व्यय में भी कुछ कटौती करने का प्रस्ताव है।

**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : कुछ "कटौती" कहकर मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय के पास आंकड़े नहीं हैं, अन्यथा वे उन्हें बता देते।

**Shri Onkar Lal Berwa :** How will the curtailment in the expenditure of Rs. 70 crores be shared by the States and the Centre ?

**Shri B. R. Bhagat :** The total cut will exceed Rs. 70 crores and it is a saving of the Centre.

**Mr. Speaker :** The States will have a separate Saving. This is only Central Government's saving.

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस 70 करोड़ रुपये की कटौती में मंत्रियों के पानी बिजली तथा फर्नीचर पर होने वाले व्यय में की गई कोई कटौती भी शामिल है ?

**श्री ब० रा० भगत** : जहां तक मंत्रियों का सम्बन्ध है उनके व्यय की उच्चतम सीमा पहले ही निर्धारित की गई है।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या इसे कटौती में शामिल किया गया है।

**श्री ब० रा० भगत** : मेरे पास इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

**Shri Sarjoo Pandey :** May I know whether there has been any cut in the amount which was payable to the Uttar Pradesh Government by the Centre according to the recommendations of Patel Commission ?

**Shri B. R. Bhagat:** There has been no cut in the aid given to the States by the Centre.

**Shri K.N. Tiwari :** The hon. Minister has stated that there will be no cut in the expenditure which might affect the production. At the same time, in a reply given to another question has also stated that there has been some cut in iron and steel industry. Will it not effect the production ?

**Shri B. R. Bhagat :** Iron and Steel production will not decrease.

**अध्यक्ष महोदय** : श्री क० ना० तिवारी।

**श्री द्वा० ना० तिवारी** उठे—

**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने श्री क० ना० तिवारी का नाम लिया है।

**श्री द्वा० ना० तिवारी** उठे—

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

**नागार्जुनसागर बांध स्थल पर विस्फोट**

\+

*96. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री सोलंकी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नर सिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 जुलाई को नागार्जुन सागर बांध स्थल पर हुए विस्फोट, जिसकी वजह से 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 5 को चोटें लगीं, के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है ; और

(ग) जांच के क्या निष्कर्ष हैं ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3057/64 ।]

**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण से पता चलता है कि यह दुर्घटना 18-7-64 को हुई । विवरण सभा पटल पर आज रखा गया है । क्या जांच पूरी हो गई है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**डा० कु० ल० राव :** जांच राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। नवीनतम जानकारी जो उन्होंने दी है वह यह है कि मामला अभी भी विचाराधीन है ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या केन्द्रीय स्तर पर कोई विभागीय जांच की है गई थी ? यदि हां, तो क्या उस में परिवार सदस्यों को मुआवजा देने की सिफारिश की गई है ?

**डा० कु० ल० राव :** केन्द्र ने कोई विभागीय जांच नहीं की है । यह कार्य राज्य का है । जरूरी मुआवजा भी राज्य सरकार द्वारा ही दिया जाता है क्योंकि यह राज्य परियोजना है ।

**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या कार्य के संबंध में अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए पर्यवेक्षक से यह आशा की जा सकती है कि वह इन विस्फोटक पदार्थों को अपने घर में रखे ।

**डा० कु० ल० राव** वास्तव में इस मामले में जो कुछ हुआ वह इस प्रकार है । नगरजुना-सागर परियोजना के डूबे हुए क्षेत्रों से बहुत सारे लोगों को निकाला गया था । इन लोगों

के पुनर्वास के लिये उन्होंने कुछ ऐसे क्षेत्र चुने हैं जहां कि चट्टानों में कुएं खोदने पड़े । इस पर्यवेक्षक को इन कुओं के खोदने का कार्य सौंपा गया था । इन कुंओं को खोदने के लिये फरवरी में उसने स्फोट पदार्थ लिये थे ।

लेखों से पता चलता है कि अगले महीने में उसने यह सब सामग्री कुएं खोदने के लिए ठेकेदार को दे दी थी । अतः यह पता नहीं चल रहा है कि यह सामग्री इस दुर्भाग्य पर्यवेक्षक के घर में किस प्रकार आई कि उस गरीब को जीवन से हाथ धोने पड़े ।

**Shri Yashpal Singh :** What action is being taken against the officers in whose duty hours this accident took place?

**डा० कु० ल० राव :** जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि इस विस्फोटक के लिये यदि कोई अधिकारी जिम्मेदार है तो वह वही अधिकारी है जो मारा गया गया । अपने मकान में किसी विस्फोटक सामग्री को रखना उसका कार्य नहीं था ।

**Shri Yashpal Singh :** He has not understood my point.

**Mr. Speaker :** He has understood, but the person against whom action had to be taken is dead.

**Shri Yashpal Singh :** I mean to say have they called the explanation of the police guards etc. posted on duty there ?

**Mr. Speaker :** Was police kept in that house ?

**डा० कु० ल० राव :** मामले पर जांच की जा रही है । यदि कोई अन्य व्यक्ति दोषी पाया जायेगा तो निश्चय ही उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

**श्री नम्बियार :** माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि इस अधिकारी को घर में विस्फोटक सामग्री रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि अन्य अधिकारियों ने खातों और पर्यवेक्षकों से छिपा कर विस्फोटक और अन्य सामग्री तो घर में नहीं रखी है, कोई जांच की है ?

**अध्यक्ष महोदय :** यदि सदस्य के पास कोई जानकारी है तो वह दे दें ।

**श्री नम्बियार :** जी, नहीं । नागारजूना सागर कोई छोटी परियोजना नहीं है जहां पर कि कुछ ही टन विस्फोटक की आवश्यकता हो । वहां पर तो कई टन विस्फोटक की आवश्यकता होगी, और ऐसी घटना फिर भी हो सकती है ।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य चेतावनी दे रहे हैं । मंत्री इसका ध्यान रखें ।

**श्री हेम बरूआ :** इस प्रकार की एक घटना आसाम में भी हुई थी । कुछ अधिकारियों द्वारा विस्फोटक चोरी किये गये थे और बाजार में बेचे गये थे ।

**अध्यक्ष महोदय :** सदस्य इसके बारे में जानने के बड़े इच्छुक हैं ।

**डा० कु० ल० राव :** सतर्कता विभाग को इस मामले पर सावधान कर दिया गया है, और यह घटना फिर से न होने पाये इसके लिये सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** इस दुखद् घटना को देखते हुए, क्या सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निश्चित हिदायतें जारी कर दी हैं जिस से कि ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके ?

**डा० कु० ल० राव :** जैसाकि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं अ। इस बात का यह पूरा ख्याल रखा जाता है कि जब पर्यवेक्षक या किसी विशेष अधिकारी को सामग्री दी जाये तो वह ठेकेदारों द्वारा उसी दिन या अगले कुछ दिनों में प्रयोग में लाई जाये। खैर, कुछ भी सही, अधिकारियों को अपने घरों में विस्फोटक सामग्री रखने की आज्ञा नहीं है ।

**श्री श्याम लाल सर्राफ :** इस प्रकार की घटनाओं से कमचारीवर्ग और अन्य व्यक्तियों के जीवन को भी खतरा नहीं होता अपितु इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं को भी खतरा बन जाता है । यह सुनिश्चित करने के लिये कि वहां पर मजदूरों का जीवन और परियोजनाएं सुरक्षित हैं सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**डा० कु० ल० राव :** मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार की कुरीति यदि पहले से थी तो अब इसका पूरा ख्याल रखा जायगा और सतर्कता विभाग को इन्हें होने देने से रोकना चाहिये। ऐसी घटनाएं प्राय: हुआ करती हैं, और मैं नहीं जानता कि इस मामले में यह कैसी हो गई ।

**Shri Sheo Narain :** What amount of assistance has been given to the bereft families of thirteen persons ?

**डा० कु० ल० राव :** सरकार निश्चय ही उनको मुआवजा देगी।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** The Minister said that they have been given compensation by the State Government. Will the central Government also give some assistance and, if so, by what time will it be made able to them ?

**डा० कु० ल० राव :** परियोजना अधिकारियों द्वारा उन परिवारों को तुरन्त सहायता दी गई थी, और परिवारों का जो मुआवजा बनता है वह या तो राज्य द्वारा इस समय तक दिया जा चुका होगा या दे दिया जायेगा।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों की 'काली सूची' बनाना**

+

*97. **श्री विश्राम प्रसाद :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री सोलंकी :**
**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
**डा० सारादीश राय :**
**डा० रानेन सेन :**
**श्री दीनन भट्टाचार्य :**
**श्री हुक्म चन्द कछवाय :**
**श्री ओंकार लाल बरवा :**

**क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कई ठेकेदारों को "काली सूची" में दर्ज किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रकार के कितने ठेकेदार हैं; और

(ग) उनके नाम 'काली सूची' में दर्ज करने के क्या कारण थे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) हां।

(ख) 30 अप्रैल, 1964 को काली सूची में दर्ज किये गये ठेकेदारों की संख्या 23 थी।

(ग) नीचे स्तर का काम करने और दुराचार आदि में फंसे होने के कारण इन ठेकेदारों का नाम खाली सूची में दर्ज किया गया था।

**Shri Vishram Prasad :** Just now Minister said that the contractors indulged in malpractices. What are those malpractices which warranted their blacklisting ?

**Shri Mehr Chand Khanna :** Supplying inferior goods, giving bribes, doing substandard work—all these things take place. I do not know personally.

**Shri Vishram Prasad :** Is there any such case in which the contractor was blacklisted, because he did not give bribe to the engineer ?

**Shri Mehr Chand Khanna:** I do not know much about it but I can say this much that each case is examined carefully and every endeavour is made for putting down corruption both in my Department and among the contractors. I am trying my best to achieve this objective.

**Shri M. L. Dwivedi :** The Minister alleged that the blacklisted contractors used to give bribes. Is it a fact that engineers take 19 percent as bribes and it is for this reason that the work is of substandard ? Has an enquiry been held against any engineer or overseer and has any one of them been punished ?

**Shri Mehr Chand Khanna :** I may assure the hon. Member and the House that for the last five or six months strong efforts are being made in this direction and one S.P. has also been deputed for this work. Some action is being taken against the contractors and the Department.

**Shri M. L. Dwivedi :** My point is, are you taking any action against the Government servants in a way similar to that in which contractors have been blacklisted ?

**Mr. Speaker :** He says enquiries will be held.

**श्रीमती सावित्री निगम :** इन ठेकेदारों को जो भुगतान किया जाना था वह कर दिया गया है या उसे रोक लिया गया है; यदि उत्तर नकारात्मक हो तो उनको कितनी रकम देनी बाकी है ।

**श्री मेहर चन्द खन्ना :** यह कहना सही नहीं है कि प्रत्येक ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार से अधिक पैसा लिया। संहिता में अनेक अपराध दिये गये हैं। संहिता के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है और ठेकेदारों और विभाग दोनों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर
## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### मैसर्स स्कोडा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

*98. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या वित्त मंत्री 2 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1794 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पूर्व यूरोपीय फर्म मैसर्स स्कोडा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, के विरुद्ध जांच पड़ताल इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो जांच पड़ताल से क्या पता चलता है; और

(ग) उस जांच पड़ताल के परिणामस्वरूप उस फर्म के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) कुछ सौदों के बारे में जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है और कुछ के बारे में अभी चल रही है।

(ख) और (ग) अब तक जितनी जांच-पड़ताल हो चुकी है उसके आधार पर, (1) माल का अनधिकृत रूप से आयात करने, (2) आयात किये गये माल के बीजक कम रकम के बनाने, (3) कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों में कुछ गलत बातें दर्ज करने, (4) अन्य पार्टियों के नाम जारी किये गये आयात-लाइसेंसों का उपयोग करने के लिए इस कम्पनी को, दिये गये अधिकार-पत्रों द्वारा प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करने, और (5) अपने विदेशी तकनीशनों के "व्यक्तिगत सामान" के नाम पर माल का अनधिकृत रूप से आयात करने पर, कम्पनी को "कारण बताओ" (शो काज़) नोटिस जारी किये गये हैं।

इस बीच एक मामले का फैसला किया जा चुका है, जिसके परिणामस्वरूप 30,000 रुपये का माल जब्त कर लिया गया है, लेकिन कम्पनी को छूट दी गई है कि वह बराबर की रकम का जुर्माना दे कर यह माल छुड़ा सकती है। इसके अलावा, कम्पनी, पर 75,000 रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना किया गया है। इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है

## कृष्णा और गोदावरी के पानी का बंटवारा

*99. श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री जसवत मेहता :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री प्र० के० देव :
श्री मा० ल० जाधव :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी के पानी के बंटवारे के प्रश्न की छानबीन करने के लिये अभी हाल में मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय किया गया; और

(ग) उसे कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यह निश्चय किया गया था कि वार्तालाप को राष्ट्रीय विकास परिषद् की अगली बैठक में भी जारी रखा जायेगा ।

**देहाती इलाकों के लिए पीने का पानी**

*100. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
**श्री विश्वनाथ पांडेय :**
**श्री बै० ना० कुरील :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहाती इलाकों में पीने का पानी पहुंचाने के लिये रखी गई 18.12 करोड़ की रकम का काफी बड़ा हिस्सा अभी तक खर्च नहीं हुआ है;

(ख) जो राशि खर्च नहीं की गई है वह कितनी है तथा उसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं ;

(ग) लोगों की इतनी नितान्त आवश्यकता की वस्तु पहुंचाने के लिये राज्य सरकारें इन रकमों का किन कारणों से उपयोग नहीं कर सकी ; और

(घ) इस सबंध म योजना को निश्चित रूप से कार्यान्वित कराने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ।

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (घ). देहात में जल संभरण की योजनाओं के लिये तृतीय योजना में राष्ट्रीय जल संभरण और सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 16.57 करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया है । इस रकम में से 10.35 करोड़ रु० योजना के पहले 3 वर्षों में खर्च किये जा चुके हैं । बाकी पैसा योजन की शेष अवधि में खर्च हो जायेगा । वास्तव में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि योजनावधि में कुल खर्च उपबन्धित राशि से बढ़ जायेगा। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, जिसमें बताया गया है कि : योजना की उपबन्धित राशि क्या है, अब तक कितना पैसा खर्च किया गया है और योजना की शेष अवधि में विभिन्न राज्यों में कितना पैसा खर्च होने की आशा है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3058/64**]

## छिपाया हुआ धन

*101. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र चं बरुआ :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री दाजी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री स्वैल :
श्री राम हरख यादव :
श्री बागड़ी :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छिपाया हुए धन की मात्रा का पता लगाने के लिये कोई जांच की है और इस धन को किस प्रकार प्रयुक्त किया जा रहा है ;

(ख) धन पर नियंत्रण रखने और उसे हस्तगत करने के लिये यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई सुझाव दिये गये हैं, तो वे क्या हैं और उनपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है; और

(घ) क्या छिपाया हुआ धन अनाज व्यापार में लग गया है और इससे मूल्य बढ़े हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). छिपाये हुए धन के सवाल पर सरकार ने ध्यान तो दिया है किन्तु ऐसे धन की मात्रा का अनुमान लगाने के लिये कोई जांच नहीं की गई। यह एक ऐसा मामला है जिसमें यदि सरकारी कार्रवाइयों को सफल बनाना है, तो सरकार के लिये यही उचित है कि वह अपने विचार प्रकट करने में सावधानी से काम ले।

(ग) समय समय पर जो सुझाव दिये गये हैं वे यह हैं :—

(1) अधिक मूल्य के नोटों को चलन से वापस लेना ;

(2) विशेष ऋणों को जारी करना ;

(3) सरकार से भिन्न अभिकरणों को वाहक बांड (बेयरर बांड) जारी करने की अनुमति देना ;

(4) कर की चोरी करने वाले उन लोगों को, जो छिपाये हुए धन को प्रकट करदें, एक खास अवधि के लिये आम माफी देना।

यद्यपि इन सुझावों में कुछ गुण हैं, तथापि इनमें बहुत से दोष भी हैं।

(घ) यह बताना संभव नहीं है कि किस सीमा तक ऐसा हुआ है।

## पश्चिमी जर्मनी द्वारा पूंजी विनियोजन

*102. श्री वाजी :
श्री पें० वेंकटा सुब्बया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने भारत में पश्चिमी जर्मनी द्वारा पूंजी विनियोजन के लिये कुछ विशेष प्रत्याभूतियां मांगी हैं ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी जर्मनी ने क्या प्रत्याभूतियां मांगी है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इन मांगों पर कोई निर्णय कर लिया है, और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग) भारत और जर्मनी के बीच जर्मनी द्वारा रुपया लगाने के बारे में गारण्टी समझौते पर दोनों सरकारों के बीच वार्ता चल रही है। गारण्टी के स्वरूप से सम्बन्धित विशेष बात के बारे में अभी चर्चा जारी है ।

## योजना आयोग

*103. डा० पं० शा० देशमुख :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कुञ्जपाल सिंह :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि योजना आयोग का आकार छोटा किया जाये ताकि व्यय में बचत की जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). योजना आयोग ने समय समय पर अपने कर्मचारियों की संख्या की जांच की है ताकि उन्हें सौंपे गये कार्य के सुचारू रूप से होने में अधिक मितव्ययिता बरती जा सके। फिलहाल, एक प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन है जिसमें भविष्य में किये जाने वाले अत्यावश्यक कार्यों को शीघ्रता से सम्पन्न करने के लिये कर्मचारियों का ठीक ढंग से चुनाव किया जा सके ।

## तीसरी योजना में आवास

*104. श्री दे० जी० नायक :
श्री म० ला० द्विवदी :
श्रीमती सावित्री निगम
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री छ० म० केदरिया :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में आवास के लिये उपबन्धित राशि में से काफी रकम अभी तक बिना व्यय की हुई पड़ी है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि अब तक व्यय न की गई राशि को राज्यों द्वारा अन्य मदों पर खर्च किया जा रहा है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) हां।

(ख) आवश्यक सूचना भेजने के लिये सभी राज्य सरकारों को कहा गया था। अभी तक उनमें से नौ का जवाब आ चुका है। आवास के लिये उपबन्धित राशि को अन्य मदों पर खर्च किये जाने का आठ ने खंडन किया है। केवल एक ने यह स्वीकार किया है कि अन्य मदों पर थोड़ा सा खर्च किया गया था।

## दिल्ली में बाढ़

*105. श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सोलंकी ।
श्री यशपाल सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली के निकट कई गांव पानी में डूब गये और उनका एक-दूसरे से सम्बन्ध विच्छेद हो गया क्योंकि सिंचाई विभाग के कार्य कमचारियों ने नदी में जल का स्तर 668 फुट पर पहुंच जाने पर भी वजीराबाद बांध के द्वार नहीं खोले ;

(ख) इस बाढ़ के कारण इन गांवों में कितनी क्षति हुई है; और

(ग) इस बाढ़ से कितने गांव प्रभावित हुए हैं और यदि कोई जन या पशु-हानि हुई है तो कितनी ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). यमुना में बाढ़ के कारण पांच ग्रामों में 535 एकड़ भूमि जलमग्न हो गई थी। जिन फसलों को हानि पहुंची है उनकी कीमत 22,000 रुपये है। न तो किसी व्यक्ति की और न ही किसी मवेशी की मृत्यु हुई।

## नर्मदा घाटी परियोजना

*106. श्री प्र० कं० देव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री पु० र० पटेल :
श्री बड़े :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नर्मदा घाटी परियोजना के निष्पादन के लिये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों के सामने एक नया प्रस्ताव रखा है।

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) से (ग). नर्मदा नदी के जल साधनों के इष्टतम और समन्वित विकास हेतु मास्टर प्लैन तैयार करने के लिये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से परामर्श करके एक समिति बनाई गई है। एक विवरण, जिसमें इस समिति के संगठन और विचारार्थ विषयों को बताया गया है, सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3059/64]।

## पाकिस्तान को भेज जाने वाले हथियारों का जब्त किया जाना

*107. श्री रिशांग किशिंग :
श्री बागड़ी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बे० ना० कुरील :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स्वैल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 जुलाई, 1964 को कलकत्ता में सीमा शुल्क अधिकारियों ने 'एस० एस० अमेरिकन हंटर' नामक जहाज से पाकिस्तान को जाने वाले हथियारों और गोला बारूद की लगभग 200 पेटियां बरामद कीं ;

(ख) यदि हां, तो वे शस्त्र और युद्ध-सामग्री किस प्रकार की थी; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). 27 जुलाई, 1964 को सीमा-शुल्क अधिकारियों ने कलकत्ते में 'एस० एस० अमेरिकन हंटर' नामक जहाज से लोहे की चादरों की 173 पेटियां और 4 ड्रम पकड़े जिनमें क्रमशः 303 की गोलियां और छोटे हथियारों के लिये गोली-बारूद भरा था। यह सामान संयुक्त राज्य अमेरिका से पाकिस्तानी आयातकों के नाम भेजा गया था।

(ग) नौवहन अभिकर्ताओं (शिपिंग एजेंट्स) से कहा गया है कि रोके गये माल को जहाज द्वारा भेजने के लिये विदेश मंत्रालय से शस्त्रास्त्र नियमावली, 1962 के अधीन अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करें।

## लोदी हाउस होस्टल

*108. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लोदी हाउस होस्टल, नई दिल्ली को उसके वर्तमान तरीके से भिन्न ढंग पर चलाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). मामला अभी विचाराधीन है ।

**फिल्म कलाकारों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन**

*109. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री इ० मधुसूदन राव :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री बैं० ना० कुरील :**
**श्री विश्वनाथ पांण्डेय :**
**श्री ह० चं० सोय :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री हुक्म चन्द कछवाय :**
**श्री बागड़ी :**
**श्री रामपुरे :**
**श्री द्वारका दास मंत्री :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्त, 1964 के चौथे सप्ताह में, बम्बई में फिल्म कलाकारों द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का कथित उल्लंघन किये जाने और छिपे हुए धन का पता लगाने के लिये उनके घरों की तलाशी करवाई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस छापे में कितनी नकदी और सोना बरामद किया गया और कितने फिल्म अभिनेताओं के घरों की तलाशी ली गई ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय (एनफोर्समेण्ट डाइरेक्टरेट) के अधिकारियों ने, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में बम्बई में सात फिल्मी कलाकारों के घरों की तलाशी ली और विभिन्न मूल्यों की विदेशी मुद्रा, जिसमें सोने की 393 गिन्नियां और 1895 पौण्ड के यात्री चैक भी शामिल थे, जब्त की । इसके अलावा 33,13,000 रुपये के मूल्य की भारतीय मुद्रा, 1772 ग्राम सोना, दस्तावेज और अन्य विविध वस्तुएं भी जब्त की गयीं ।

## परिवार नियोजन

*110. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री हेम राज :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री बाल्मीकी :
श्री बासप्पा :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या परिवार नियोजन और जन संख्या को बढ़ने से रोकने के कार्यक्रम के लक्ष्यों में आमूल परिवर्तन करने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि तीसरी योजना अवधि के लिये नियत की गई 27 करोड़ रुपये की राशि का 70 प्रतिशत भाग अभी उपयोग में नहीं लाया गया हैं; और

(ग) इस दिशा में पर्याप्त सफलता प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में जन्मदर को घटा कर यथाशीघ्र 25 प्रति हजार करना है । इस लक्ष्य में आमल परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 26 करोड़ 97 लाख 87 हजार रुपये की योजना व्यवस्था की गई है (केन्द्र के लिये नियत 20 करोड़ रुपयों सहित ) केन्द्र में अप्रैल, 1961 से जून, 1963 तक की अवधि के लिये 6 करोड़ 18 लाख 50 हजार रुपये की तथा राज्यों में 1 करोड़ 81 लाख 91 हजार रुपये की व्यवस्था थी । इसी अवधि के लिये केन्द्र और राज्यों का अनुमानित व्यय क्रमशः 4 करोड़ 35 लाख 61 हजार और 1 करोड़ 52 लाख 10 हजार रुपये है । इस से यह देखा जायेगा कि केन्द्र तथा राज्यों में इस योजना व्यवस्था की उपयोगिता का प्रतिशत क्रमशः 70.4 प्रतिशत और 83.6 प्रतिशत है ।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम को 4 अक्तूबर, 1963 से पुनर्गठित कर दिया गया है ।

**दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार**

*111. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री म० ना० स्वामी :
डा० सारादीश राय :
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री रमेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री इ० मधूसूदन राव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राजधानी की कुछ चुनी हुई बस्तियां में ग़ैर-सरकारी कर्मचारियों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू करने का नई योजना बनायी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है और उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना, जो दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है, प्रयोगात्मक रूप में चुने गये चार क्षेत्रों अर्थात् एण्ड्रूयूज़ गंज, किदवई नगर, लक्ष्मी बाई नगर और मोती बाग में आम जनता के सदस्यों पर लागू कर दी गई है। यह योजना 1 जुलाई, 1964 से कार्यान्वित कर दी गई है । इसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को अंशदायी आधार पर सुविधायें प्राप्त होंगी । अंशदान की दर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 18.40 रुपये है बशर्ते यह सारे परिवार के लिये जिसकी परिभाषा नियमों में दी गई है 92.00 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

**विदेशी सार्थ कार्यालय की तलाशी**

*112. श्री यशपाल सिंह :
श्री मोहन स्वरुप :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 जून, 1964 को कलकत्ता में प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी

मुद्रा विनियम अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में विदेशी सार्थ के कार्यालय की तलाशी ली थी ;

(ख) यदि हां, तो सार्थ का नाम क्या है ; और

(ग) इस तलाशी का परिणाम क्या है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) ऐसे कागजात पकड़े गये जिनके आधार पर अभियोग लगाया जा सकता है । जांच का काम जारी है और पार्टियों को "कारण बताओ" नोटिस (शो काज नौटिस) दे दिये गये हैं । जांच का काम जब तक पूरा न हो जाये तब तक फर्मों के नाम न बताना ही ठीक समझा गया है ।

## भूमि सुधार

*113. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्री इम्बीचिबाबा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री वाजी :
श्री दे० व० पुरी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री ज्वा प्र० ज्योतिषी :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 जून, 1964 को हुई भूमि सुधार क्रियान्विति समिति की बैठक में क्या विचार प्रकट किये गये तथा क्या सिफारिश की गई थीं; और

(ख) उनके आधार पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3060/64 ।]

## ब्रिटिश ऋण

*114. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही भारत को 1 करोड़ पौंड के ब्रिटिश ऋण के सम्बध में एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस ऋण से किन परियोजनाओं में धन लगाया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत ) : (क) जी हां।

(ख) ऋण सम्बन्धी करार में इस बात की व्यवस्था है कि मूलधन और ब्याज की अदायगी, 25 वर्षों की अवधि में, जिसमें सात वर्षों की रियायती अवधि भी शामिल है, लगातार 36 छमाही किस्तों में की जाय। पहले सात वर्षों का ब्याज भी छोड़ दिया गया है । इस ऋण पर उसी दर से ब्याज लगेगा जो आजकल ब्रिटेन की समेकित निधि से समान अवधि के लिये जाने वाले ऋण पर ब्रिटेन के राजकोष द्वारा लागू की जाती है और इसके साथ ही प्रतिवर्ष एक-चौथाई प्रतिशत के हिसाब से और ब्याज लगेगा।

(ग) यह ऋण किसी खास प्रायोजना के लिये नहीं है, बल्कि यह ब्रिटेन से बहुत तरह की चीजें खरीदने के लिये दिया जा रहा है।

## सोने का पकड़ा जाना

*115. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बाल्मीकी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण आदेश के लागू होने के बाद से अब तक पकड़े गये सोने के परिमाण के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ;

(क) क्या यह सच है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश के पश्चात् की अवधि में पकड़े गये अवैध सोने की मात्रा स्वण नियंत्रण से पहले पकड़े गये सोने की मात्रा से किसी भी प्रकार बहुत कम नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार तस्कर व्यापार पर स्वर्ण नियंत्रण के प्रभाव के बारे में किसी निर्णय पर पहुंच गई है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) पकड़े गये सोने के परिमाण के सम्बन्ध में समय-समय पर जांच की जाती है ।

(ख) और (ग) चोरी -छिपे लाये गये सोने की मात्रा , जो पकड़ी गयी , इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| 1962 . | 2,638 किलोग्राम |
| 1963 . . | 1,024 ,, |
| 1964 . . . . . | 973 ,, |

यद्यपि 1963 में चोरी -छिपे लाये गये सोने की मात्रा में, जो पकड़ी गयी , काफी कमी हुई, लेकिन 1964 में इस में उतनी अधिक कमी नहीं हुई । फिर भी, यह सारी अवधि सोने का चोरी-छिपे लाने के बारे में स्वर्ण-नियंत्रण के प्रभाव के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णयों पर पहुंचने की दृष्टि से बहुत कम है ।

## खण्डसारी पर शुल्क

*116. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में ही खंडसारी पर वर्तमान शुल्क (लेवी) को कम करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और उसके क्या कारण हैं ? और

(ग) क्या मिल की चीनी के उत्पादन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख) खंडसारी पर लगने वाले उत्पादन-शुल्क की मानक (स्टैण्डर्ड) दरों में कोई कमी नहीं की गयी । लेकिन सम्मिलित शुल्क योजना (कम्पाउण्डैड लेवी स्कीम ) के अन्तर्गत चलने वाले सहकारी खांडसारी के कारखानों पर लगने वाले सम्मिलित उत्पादन-शुल्क की दरों में, पहले के वर्षों की तरह, 1 जुलाई, 1964 से 31 अक्तूबर, 1964 तक की अवधि के लिए एक-तिहाई कमी कर दी गयी है। इसका कारण यह है कि इस विधि में दूसरी प्रक्रिया (सैकेंड प्रोसेस) से बनायी जाने वाली चीनी का उत्पादन काम के समय की प्रति इकाई ( पर यूनिट आफ वर्किंग -टाइम ) के हिसाब से अपेक्षाकृत कम बैठता है ।

(ग) जी, नहीं प्रश्न ही नहीं उठता ।

## राजस्थान में सिंचाई योजनाओं के लिये सहायता

246. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय योजनावधि में 31 मार्च, 1964 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये केन्द्र द्वारा राजस्थान को मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये सहायता और ऋण के रूप में अलग अलग कितनी राशि दी गई, और

(ख) अब तक वास्तव में कितनी राशि भेजी गई है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये ऋण और सहायता के रूप में कोई अलग राशि नहीं दी जाती है। हां, कुछ अनुमोदित विकास योजनाओं पर, जिन में माध्यम सिंचाई योजनाएं भी शामिल हैं, खर्च करने के लिये विभिन्न राज्यों को ऋण के रूप में एक बड़ी रकम दी जाती है। 1963-64 में ऐसे विभिन्न अनुमोदित विकास योजनाओं के लिये राजस्थान को 10,82,81,000 रु० की राशि का ऋण मंजूर किया गया था। 1963-64 में माध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये कोई सहायता अनुदान मंजूर नहीं किया गया है।

(ख) राज्य सरकार के 1964-65 के वार्षिक योजना प्रस्तावों के अनुसार राजस्थान में 1963-64 में माध्याम सिंचाई योजनाओं पर लगभग 98.15 लाख रु० व्यय होने का अनुमान है।

## राज्य मंत्रियों के विदेशों में दौरे

247. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री बड़े :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य मंत्रियों और राज्य मंत्रयों को अपने अपने राज्यों में परियोजनाओं के विकास के लिए ऋण प्राप्त करने के लिये विदेश जाने की स्वतंत्रता है ;

(ख) यदि हां, तो उन के मार्गदर्शन के लिये क्या कोई नियम बनाये गये हैं; और

(ग) क्या दौरे के कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने से पहले केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति ली जाती है ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) से (ग). सामान्यत: मैं सभी ऋणों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा बातचीत की जाती है। फिर भी कुछ विशेष योजनाओं के अस्थायी आवंटनों को अन्तिम रूप देने के लिये यदि मुख्य मंत्रियों अथवा राज्य मंत्रियों के दौरों को आवश्यक समझा जाय तो इसकी स्वीकृति दे दी जाती है। मुख्य मंत्रियों के सभी दौरों के लिये प्रधान मंत्री की स्वीकृति आवश्यक है और विदेशी मुद्रा देने के दृष्टिकोण से वित्त मंत्रालय भी इनपर विचार करता है।

## ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग

248. **श्री प्र० के० देव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्यकारी दल ने चीनी मिलों में ईंधन के रूप में खोई के स्थान पर कोयले का उपयोग करने की सलाह दी है ; और

(ख) यदि हां, इस परिवर्तन को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). खोई के उद्योग के सम्बन्ध में प्रविधिक तथा आर्थिक अध्ययन करने के लिये एक छोटे से दल की स्थापना की गई है । इस दल ने अपने प्रतिवेदन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

तथापि, कागज और अखबारी कागज उद्योग के अग्रेत्तर विकास के लिये कच्चे माल के एक बड़े स्रोत के रूप में खोई के महत्व को जान लिया गया है । जब चीनी उद्योग द्वारा विशिष्ट रूप से इसके लिये प्रार्थना की जाती है तो चीनी मिलों के वारिपत्रों में खोई के स्थान पर कोयले अथवा अन्य वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने के हेतु सन्तुलन उपकरण को प्राप्त करने के लिये सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

## प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति

249. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की कौन-कौन सी सिफारिशें संघ लोक सेवा आयोग को अपनी सलाह देने के लिये भेजी गई थीं ;

(ख) प्रत्येक मामले में संघ लोक सेवा आयोग ने क्या सलाह दी थी; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशों को, स्वीकृति के लिये उन पर सरकार द्वारा विचार करने से पहले, संघ लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा गया था । परन्तु जिन सिफारिशों को स्वीकृत करने का प्रस्ताव है उनको क्रियान्वित करने से पहले जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाता है संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श ले लिया जाता है ।

(ख) और (ग). जो सिफारिशें स्वीकृत कर ली गई थीं उनके सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग सरकार के मत से सहमत था ।

## कुट्टियाडी नदी घाटी योजना

250. **श्री अ० व० राघवन** :
**श्री पोट्टेकाट्ट** :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुट्टियाडी नदी घाटी योजना के कार्य में जो प्रगति हुई है उसके ब्यौरे क्या हैं ; और

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा उस पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) परियोजना के प्रारम्भिक कार्य 1962 में आरम्भ कर दिये गये थे। प्रवेश मार्ग बन कर तैयार हो गया है । सड़क पर मिट्टी डालने और उसे पक्का करने के कार्यों को मिलाकर प्रवेश मार्ग के सभी कार्य पूरे हो गये हैं। प्रवेश मार्ग पर दो बड़े बड़े पुलों के अतिरिक्त आमने सामने का निर्माण कार्य पूरा हो गया है । प्रवेश मार्ग के 0/6 पर पुलके पहले मेहराब के लिये ऊपर की पटिया का निर्माण किया जा रहा है जिस से कि उसी पुल के दूसरे मेहराब पर पटियायें डाली जायेंगी । बांध स्थल पर छिद्रण कार्य लगभग पूरा हो चुका है । बायें और सीधे किनारों की नहरों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है । जल सम्भरण व्यवस्था आदि की डिजाइन पूरी हो चुकी है । कक्कोडी शाखा नहर के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य की प्रगति हो रही है । जल विस्तार सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । एक 'एफ' टाइप क्वार्टर और दो दो 'ई' और 'सी' टाइप क्वार्टरों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है । कुछ और क्वार्टर बनाने के लिये भूमि को समतल करने का कार्य किया जा रहा है ।

(ख) कुट्टियाडी परियोजना की अनुमानित लागत 4 करोड़ 96 लाख रूपये है । जुलाई 1964 तक प्रारम्भिक कार्यों पर 8 लाख 30 हजार रूपये व्यय हुए हैं।

## सुनार

**251. श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण आदेश के कारण समस्त भारत में कुल मिलाकर कितने सुनार बेकार हो गये हैं ;

(ख) सरकार ने उनके लिये किस प्रकार के कार्य की व्यवस्था की है ; और

(ग) अब तक कुल ऐसे कितने सुनारों के लिये अन्य धन्धों की व्यवस्था कर दी गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) अनुमान है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप लगभग 2,60,000 सुनार बेकार हो गये थे । इन में से लगभग 2,17,000 ने सुनारों के रूप में कार्य करते रहने के लिये प्रमाणपत्रों के लिये आवेदन पत्र भेजे थे और वे फिर से अपना धन्धा करने लगे हैं

(ख) दफ्तरों, कारखानों आदि में रोजगार, लघु उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिये सहायता, वितरण व्यवस्था तथा भूमि सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ करने के लिये सहायता ।

(ग) जून 1964 तक 9251 सुनारों को रोजगार दफ्तरों द्वारा नौकरियों दिलाई गई थीं और राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त हुई सूचनाओं के अनुसार लघु उद्योग, वितरण व्यापार तथा कृषि कार्य आदि प्रारम्भ करने के लिये 31,314 सुनारों को सहायता प्रदान की गई है ।

## महालेखापाल, उड़ीसा

252. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा के महालेखापाल (उप-महालेखापाल, पुरी को मिलाकर) के अधीन 31 जुलाई 1964 को सभी श्रेणियों के कुल कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे; और

(ख) उक्तकथित कार्यालयों के कितने कर्मचारियों के लिये जुलाई 1964 के अन्त तक औद्योगिक नैवासिक क्वार्टरों की व्यवस्था कर दी गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 1007.

(ख) ऐसा अनुमान है कि उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या पूछी गई है जिन्हें कि रहने के लिये मकान दे दिये गये हैं । 414 कर्मचारियों को परिवार के रहने के लिये मकान दे दिये गये हैं. और 214 कमंचारियों के लिये मैस में स्थान की व्यवस्था कर दी गई है ।

## उड़ीसा में ग्राम्य जल सम्भरण योजनायें

253. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या स्वास्थ्य मंत्री 30 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2714 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा 1964–65 में किये जाने वाले ग्राम्यजल सम्भरण कार्यक्रम के लिये 50 लाख रुपये के अतिरिक्त आवंटन के लिये की गई प्रार्थना पर इस बीच केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या ब्यौरे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार ने जो योजनायें भेजी हैं उनकी जांच की जा रही है । 1964–65 के दौरान ग्राम्य जल सम्भरण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये उड़ीसा राज्य को अतिरिक्त धनराशि का आवंटन करने के बारे में शीघ्र ही विचार किया जायेगा ।

## संसद् सदस्यों का क्लब व होस्टल

254. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में रफी मार्ग पर संसद्-सदस्यों के लिये एक क्लब व होस्टल का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य की कितनी प्रगति हो चुकी है ; और

(ग) कब वह भवन कब्जा लेने के लिये तैयार हो जायेगा ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). होस्टल के कार्य की प्रगति 45% तथा क्लब के कार्य की प्रगति 80% हुई है आशा की जाती है कि क्लब दिसम्बर, 1964 में बनकर तैयार हो जायेगा तथा होस्टल के सभी फ्लैट जून, 1965 तक तैयार हो जायेंगे । यह भी आशा की जाती है कि कुछ फ्लैट जून 1965 से पहले ही तैयार हो जायेंगे ।

**नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गाप्रसाद का मामला**

256. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद के मामले में जांच के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यदि जांच पूरी हो गई है तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जांच अभी तक की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

**फरक्का बान्ध**

258. **डा० सारदीश राय :**
**डा० रानेन सेन :**
**श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
**श्री विश्राम प्रसाद :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
**श्री ह० प० चटर्जी :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध को बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) कार्य को शीघ्र करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) कार्य के कब पूरा होने की सम्भावना है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) से (ग). फरक्का बांध के निर्माण कार्य की प्रगति में कोई बिलम्ब नहीं हुआ है; इस के कार्य के पूरा होने का निर्धारित समय 1970 तक का है परियोजना के समय पर पूरा होने की बात को सुनिश्चित करने के लिये उच्च स्तर पर सामयिक पुनर्विलोकन किये जाते हैं तथा सम्बन्धित अधिकारियों के साथ प्रायः परामर्श किये जाते रहते हैं।

**जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन**

259. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के हाल ही के विनियोजन नीति सम्बन्धी विवरण में कहा गया है कि भविष्य में उसकी धनराशि के विनियोजन को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में और बढ़ाने के स्थान पर गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजन को अधिमान दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम ने अपनी विनियोजन नीति में इस मूल परिवर्तन को करने के लिये क्या कारण बताये हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

**दिल्ली के लिये तपेदिक-रोधी योजना**

260. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
**श्री भी० प्र० यादव :**
**श्री धवन :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरूआ :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के लिये एक व्यापक तपैदिक-रोधी योजना तैयार की गई है, और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां ।

(ख) योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(एक) दिल्ली क्षेत्र में तपेदिक के 40 से 45 हजार तक रोगियों का उनके घरों में नि:शुल्क उपचार करना ;

(दो) विभिन्न सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं/स्वयंसेवी निकायों द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों, औषधालयों और चिकित्सालयों के माध्यम से प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन तपेदिक के सभी मामलों का पंजीकरण करने को अधिसूचित करने की व्यवस्था करना चिकित्सा-व्यवसायियों से भी अधिसूचना के कार्य में स्वेच्छा से सहयोग देने की आशा की जाती है ।

(तीन) आपात-रोगियों के लिये, जिन व्यक्तियों को सुरक्षित शल्य-चिकित्सा की आवश्यकता है उनके लिये, अकेले व्यक्तियों के लिये, तथा दु:साध्य रोगियों के लिये अस्पतालों में शय्याओं की व्यवस्था करना ।

(चार) तपेदिक नियंत्रण के लिये विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों, चिकित्सालयों, और औषधालयों के माध्यम से तपेदिक के मामलों का पता लगाने का उपचार संगठन की तपेदिक-रोधी कार्यवाही का समन्वय करना ; और

(पांच) तपेदिक रोग को होने देने से रोकने तथा उसके नियंत्रण के मामले में जनता को शिक्षित करना ।

## सरकारी भवनों की मरम्मत पर रोक

261. **श्री मोहन स्वरूप :**
**श्री दे० द० मंत्री :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के भवनों में सफेदी करने, पुन: रंग करने और छोटी-मोटी मरम्मत पर रोक लगायी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष सरकार द्वारा इस मितव्ययिता उपाय से कितनी बचत की गयी; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस रोक को हटा देने का है और यदि हां, तो कब ?

**निर्माण आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां । आपात की घोषणा के तुरन्त बाद रोक लगा दी गयी थी ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण, विभाग के नियंत्रण में जो भवन हैं उनके मामले में वर्ष 1963—64 में लगभग 70 लाख रुपये की बचत हुई ?

(ग) रोक पहले ही हटा दी गई है ।

## दिल्ली में बन्ध्यीकरण आन्दोलन

262. श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में गहन बन्ध्यीकरण आन्दोलन चालू करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो इस नये आन्दोलन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह कब चालू किया जायेगा ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). राजधानी में गहन बन्ध्यीकरण आन्दोलन पहले ही चल रहा है ।

(ख) राजधानी में 13 संस्थाओं में प्रत्येक के पास एक-एक बन्ध्यीकरण एकक है । इन संस्थाओं को निम्नलिखित सहायता दी गयी है :—

(1) बन्ध्यीकरण शिविर में प्रतिदिन कम से कम 10 वैसेक्टोमी आपरेशन करने पर गैर-सरकारी चिकित्सकों को 100 रुपये प्रतिदिन मानदेय के रूप में दिया जाना ।

(2) प्रतिदिन कम से कम 5 सार्पिगेक्टोमी आपरेशन करने पर 100 रुपये प्रतिदिन मानदेय के रूप में दिया जाना । एक से अधिक दिनों के लिये भी 100 रुपये दिये जा सकते हैं ।

(3) जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी (औद्योगिक एवं अनौद्योगिक दोनों) बन्ध्यीकरण आपरेशन करवाते हैं उन्हें 6 दिन तक का विशेष आकस्मिक अवकाश मिल सकता है ।

(4) जो स्त्री या पुरुष बन्ध्यीकरण आपरेशन करवाता है उसे दिल्ली नगर निगम की ओर से 30 रुपये नकद अनुदान के रूप में दिये जाते हैं ।

## गैस्ट्रो एन्टेरेटीस

263. श्री नम्बियार :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री प० कुन्हन :
श्री म० ना० स्वामी :
डा० सारादीश राय :
श्री इम्बोचिबावा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस्ट्रो-एन्टेरेटीस ने देश के कुछ भागों में महामारी का रूप धारण कर लिया है ;

(ख) क्या यह स्थिति हर वर्ष पैदा होती है ;

(ग) इस बीमारी के कारण इस वर्ष जनवरी मास के पश्चात् कुल कितने लोग हताहत हुए; और

(घ) इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जनवरी से अगस्त, 1964 तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मनीपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तथा त्रिपुरा राज्यों में लगभग 954 व्यक्तियों के हताहत होने की खबर आई है । अन्य राज्यों से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है । अन्य राज्यों से सूचना प्राप्त होते ही सारे देश के बारे में मांगी गयी जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(घ) जो निरोधक उपाय किये गये हैं उनमें पूर्व सूचना देना, हैजा-विरोधी टीका लगाना, शीघ्र इलाज करना और रोगियों को पृथक रखना आदि शामिल हैं। जहां जहां गैस्ट्रो ए टेरेटीस हुआ उन क्षेत्रों में सफाई की स्थिति में सुधार किया गया, मक्खियां मारने के उपाय किये गये और गन्दगी हटाने के उचित उपाय भी किये गये। इनके अतिरिक्त पेय जल में क्लोरीन मिलाया गया, हैजा विरोधी कीटाणुनाशक एवं सल्फाग्वानीडाईन औषधियां पर्याप्त मात्रा में रख गयी और महामारी रोग अधिनियम को लागू किया गया तथा अन्य विशेष महामारी विरोधी उपाय किये गये।

## महिला डाक्टरों के लिये अवकाश गृह

264. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
**श्री भीं० प्र० यादव :**
**श्री धवन :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिमला में महिला डाक्टरों एवं नर्सों के लिये अवकाश गृह स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब तक चालू हो जाने की संभावना है ;

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होगा; और

(घ) वहां पर अन्य क्या सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां ।

(ख) अवकाश गृह निकट भविष्य में चालू होने की सम्भावना है।

(ग) लगभग 63,000 रुपये अनावर्तक और 7500 रुपये आवर्तक व्यय ।

(घ) इस गृह में साधारण निवास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध की जायेगी । चारदीवारी में खेले जाने वाले खेलों एवं मनोरंजन संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध की जायेंगी ।

## औषधि अधिनियम

265. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वर्तमान औषधि अधिनियम में कुछ संशोधन करने के लिये अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक औषधि जांच आयोग नियुक्त किया था; और

(घ) यदि हां, क्या उस आयोग द्वारा दिये गये सुझाव केन्द्रीय सरकार को भेजे गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रतिवेदन की एक प्रति पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुई है ।

## अपर कृष्णा परियोजना

266. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने अपर कृष्णा परियोजना के लिये स्वीकृति दे दी है ;

(ख) चालू वर्ष के लिये आयोग द्वारा कुल कितनी धन राशि उपलब्ध की गयी है ; और

(ग) समूची परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1964–65 के लिये मैसूर राज्य आय-व्ययक में 50 लाख रुपये के व्यय के लिये उपबन्ध किया गया है ।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 5820 लाख रुपये है ।

**'शांति घाट', दिल्ली**

267. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री दे० जी० नायक :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने शांति घाट का, जहां श्री जवाहरलाल नेहरू का दाह संस्कार किया गया था, पुनः विकास करने और उसे सुन्दर बनाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) शांति वन का विकास करके उसमें वृक्ष और फूलदार झाड़ियां लगाने का विचार है । वहां जल-कुण्ड भी बनाये जायेंगे । कुछ अल्पकालीन उपाय किये जा चुके हैं, जिनमें क्षेत्र की भराई, पैदल पथों का उपबन्ध तथा समाधि के आस पास लोहे की सीखचें लगाना शामिल हैं। अन्तिम योजना को पूरा होने में कुछ समय लगेगा ।

**पेरिस में हुआ तकनीकी विशेषज्ञों का सम्मेलन**

268. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के किसी प्रतिनिधि ने जून, 1964 में पेरिस में हुए राष्ट्रीय विकास आयोजन के प्रशासनिक पहलुओं संबन्धी तकनीकी विशेषज्ञ सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन की सिफारिशें क्या थीं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) सम्मेलन के प्रारूप प्रतिवेदन को संयुक्त राष्ट्र संघ में अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

### अधिक देर बैठने का भत्ता

269. श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबाबा :
श्री नम्बियार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, सीमा शुल्क कार्यालय के निरोध विभाग को चीन के सिपाहियों के लिए, छुट्टियों के दिन और अधिक देर बैठ कर कार्य करने के लिए भत्ता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) विभिन्न सीमा शुल्क कार्यालयों के निरोध विभाग के सिपाहियों, जिस में कि कोचीन सीमा शुल्क कार्यालय के सिपाही भी शामिल हैं, के लिए अधिक समय कार्य करने का भत्ता विशेष दरों पर दिया जाना स्वीकृत किया गया है । यह भत्ता अन्य छुट्टियों, रविवारों तथा दफ्तर के समय के बाद कार्य करने के लिये दिया जायेगा । इन दरों का पुनरीक्षण करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

### सहकारी संस्थाओं को भारत के रक्षित बैंक द्वारा ऋण

270. श्री लक्ष्मी दास :
श्री प० कुन्हन :
श्री नम्बियार :
डा० सराधीश राय :
श्री इम्बीचिबाबा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1952-53 और 1962-63 में भारत के रक्षित बैंक द्वारा कुल कितनी राशि मुख्यत: सहकारी संस्थाओं को दी गयी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : राज्य के सहकारी बैंकों को जून 1953 और जन 1963 के अन्त तक मुख्यत: दिया गया ऋण निम्न प्रकार से है :

| | |
|---|---|
| जून 1953 . | 679.62 |
| जन 1963 . | 14019.65 |

## एकाधिकार आयोग

271. श्री विश्राम प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार आयोग, जिसको कि हाल ही में नियुक्त किया गया था अपना कार्य करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर 'नहीं' में है तो इसके क्या कारण हैं ?

मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) (क) जी हां ।

(ख) एकाधिकार आयोग जांच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत स्थापित किया गया था । उससे यह अपेक्षा नहीं की गयी थी कि वह समय समय पर अपनी रिपोर्ट देगा । केवल आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन की आशा थी । आयोग की बैठक के सम्बन्ध में 28 अगस्त 1964 को जारी की गयी प्रैस विज्ञप्ति सभा पटल पर रखी जाती है । [पस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०—3061/64]

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

## अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी

272. श्री विश्राम प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा केन्द्रीय सरकार को ये प्रतिवेदन दिये हैं कि देश के बहुत से अस्पतालों में कर्मचारी बहुत कम हैं और अर्हता प्राप्त डाक्टरों के बिना ही वहां काम चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अस्पतालों की संख्या कितनी है जो कि बिना स्नातक डाक्टरों के चल रहे हैं ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) यह ठीक है कि बहुत से अस्पतालों में कर्मचारी कम हैं, परन्तु वे अर्हता प्राप्त डाक्टरों के बिना नहीं चल रहे ।

(ख) ऐसे अस्पताल हैं जहां लाइसेंस प्राप्त डाक्टर परन्तु उनके सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । उन्हें इकट्ठा किया जायेगा और यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) अधिक से अधिक डाक्टरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । जैसे जैसे और स्नातक डाक्टर आ रहे हैं और उन्हें वेतन सुविधायें भी दी जा रही हैं, इसलिए आशा है कि यह डाक्टरों सम्बन्धी कमी शनैः शनैः दूर हो जायेगी ।

## समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

273. श्री जसवन्त मेहता :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 28 नवम्बर 1963 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 259 के उत्तर के उल्लेख से यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी विशेषज्ञ श्री जार्ज वटस ने सुझाव दिया है कि समुद्र द्वारा भूमि के कटाव का स्थायी हल प्राप्त करने से पूर्व सारी 350 मील की तट रेखा के बारे में व्यापक सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव पर कोई कार्यवाही की है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) श्री जार्ज वटस ने केरल के तट से सम्बन्धित बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करने के सुझाव दिये हैं और तट की सुरक्षा के लिए ऐसा करना तीन वर्षों के लिए बड़ा आवश्यक है । इस बीच अन्तरिम समय के लिए कटाव वाले क्षेत्रों के बचाव का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(ख) केरल सरकार ने सामग्री इकट्ठी करने का कार्य आरम्भ कर दिया है । इस व्यापक कार्यक्रम वाली योजना पर 39·08 लाख रुपये खर्च होंगे और इस योजना को योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है । केन्द्रीय जल विद्युत् गवेषणा केन्द्र पूना को सारी एकत्रित सामग्री का समन्वय करने का काम सौंपा गया है । केरल राज्य के इंजीनियरों तथा भारतीय समुद्रीय एकक तथा आई० एम० डी० इत्यादि संस्थाओं की सहायता से यह कार्य किया जा रहा है ।

## राज्यों की बहुमुखी परियोजनायें

274. श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन यह प्रस्थापना है कि प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय परियोजना के रूप में एक सिंचाई अथवा बहुमुखी परियोजना को चुना जाय ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय कर लिया गया है ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ला० राव)** : (क) और (ख) प्रस्थापनायें विचाराधीन हैं कि विशेष शर्तों पर कर्ज की सहायता दे कर सिंचाई और बहुमुखी परियोजनाओं को चालू किया जाय जिन्हें चतुर्थ योजना में आगे ले जाया जाय और जिसमें 50 प्रतिशत पूर्ण हो जाने पर लाभ की सम्भावना हो ।

**आयकर प्राधिकारियों द्वारा जांच**

275. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वित्त मंत्री 4 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के सम्बन्ध में, जो कि आयकर प्राधिकारियों द्वारा एक लाख रुपये के अमान्य चैक के बारे में जांच करने के सम्बन्ध में था जोकि एक कलकत्ते के व्यक्ति ने दिया था, बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी सम्पत्ति छिपाने के लिए सजा की कार्यवाही पूरी कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या रहा ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख) सजा की कार्यवाही अभी अविलम्बित है । कारण बताइये का नोटिस दे दिया गया है और उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

**दिल्ली का पागलखाना**

276. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या स्वास्थ्य मंत्री 30 अप्रैल 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1266 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उचित जांच के बाद यह सिद्ध हो गया था कि आरोप गलत थे

(ख) यदि हां, तो जांच किसने और कैसे की गयी ; और

(ग) यदि आरोप गलत है तो अभियुक्त के दाखिल करने, उसका इलाज करने, मर जाने और उसके निकट सम्बन्धियों को सूचना न देने के बारे में सत्यता क्या है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां ।

(ख) यह जांच एक उप विभागीय दंडाधिकारी शाहदरा ने व्यक्तिगत रूप में आ कर की ।

(ग) तथ्यों सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-3062 / 64]

**बांस की घास से कैंसर औषध**

277. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बांस के घास में कैंसर औषध के बहुत ही प्रभावशाली तत्व पाये गये हैं जैसाकि जापान कैंसर तथा कुष्ठ संघ के प्रधान डा० मितसनोबू ओशीमा ने कहा है ; और

(ख) सरकार की इस दिशा में प्रतिक्रिया क्या है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). पता चला है कि डा० मितसनोबू जोकि जापान के राष्ट्रीय आयोग से सम्बन्धित है गत पांच वर्षों से बांस की घास का पशुओं पर प्रयोग कर रहे हैं। हाल ही में पता चला है कि इस में कुछ कैंसर के उपचार के तत्व हैं। इस तत्व को 'बामफोलिन' का नाम दिया गया है। परन्तु अभी तक इसे विधिवत् स्वीकृत औषध स्वीकार नहीं किया गया। भारत सरकार इस दिशा में हो रही आगे प्रगति पर दृष्टि लगाये है।

## मद्रास नगर के लिए पीने का पानी

278. **श्री सेझियान** :
**श्री धर्मलिंगम** :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास नगर के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार से वह क्या है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). 17.13 करोड़ रुपये की एक योजना का राज्य सरकार द्वारा परीक्षण किया जा रहा है जिसके द्वारा कावेरी नदी का जल मद्रास नगर को पीने के लिए सम्भरण किया जायेगा।

## दिल्ली क्लाथ मिल

279. **श्री यशपाल सिंह** :
**श्री इन्द्रजीत गुप्ता** :
**श्री कपूर सिंह** :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1942 में भूतपूर्व सुधार न्यास द्वारा दी गयी भूमि के बारे में दिल्ली क्लाथ मिल के साथ कोई विक्रय पत्र लिखा गया है ;

(ख) क्या जिस भूमि की डी० डी० टी० के कारखाने के लिए अपेक्षा थी, उसे दिल्ली क्लाथ मिल से अर्जित कर लिया गया है ; और

(ग) इस सारी स्थिति के लिये जो अधिकारी उत्तरदायी थे उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार 5.135 एकड़ भूमि डी० डी० टी० कारखाने के लिए दिल्ली क्लाथ मिल से लेने का विचार रखती है। यह दिल्ली विकास प्राधिकार के द्वारा होगा, क्योंकि विक्रय पत्र उसके द्वारा लिखा गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## दिल्ली विकास प्राधिकार

280. श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :
श्री कपूर सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार के आरम्भ से ही जो सदस्य थे उन के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या उन्हें अथवा किन्हीं संस्थाओं को कोई भूमि दी गयी है जिन के साथ की उनका सम्बन्ध है ; और

(ग) सदस्य अपने अधिकारों को दुरोपयोग न करें इसके लिये क्या संरक्षण रखे गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल0 टी० 3063/64]

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकार ने अपने सदस्यों को कोई भूमि अलाट नहीं की। ये सदस्य किन संस्थाओं से सम्बन्धित हैं, अथवा थे, इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है।

(ग) प्राधिकार के समस्त गैर सरकारी सदस्यों को कहा गया है कि वे दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के उपबन्ध के अंतर्गत इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में भूमि विकास के व्यवसाय से कोई सम्बध नहीं है।

## चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दो कमरों के क्वार्टर

281. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बाल्मीकी :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दिल्ली में क्वार्टर बनाये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो कहां और कितने;

(ग) क्या वर्तमान एक कमरे वाले क्वार्टरों को दो कमरों वालों में बदल दिया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो विस्तार से इस दिशा में योजना क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) 432 क्वार्टर तो बन भी चुके हैं और उन्हें पंचकुइयां रोड पर अलाट भी कर दिया गया है। 288 उसी क्षेत्र में बन रहे हैं और इसी चालू वर्ष के अन्त तक अलाटमेंट के लिए उपलब्ध हो जायेंगे।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

अमरीकी निर्यात-आयात बैंक द्वारा दिया गया कर्जा

282. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने 250 लाख डालर का (11.9 करोड़ रुपये) ऋण भारत सरकार को देना स्वीकार किया है, जो कि अमरीका के निर्यात-आयात बैंक द्वारा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(ग) और इस ऋण के अन्तर्गत कौन सा विशेष माल आयात किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). 31 अगस्त, 1964 को अमरीका के निर्यात-आयात बैंक ने 250 लाख डालर अर्थात् 11.9 करोड़ रुपये का ऋण भारत को देना स्वीकार किया। यह ऋण 24 निरन्तर अर्द्ध वार्षिक किश्तों में वापिस देना होगा। ये किश्तें 1 जून, 1967 से आरम्भ होंगी और इस पर 5½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगगा और मूल और ब्याज डालरों में ही अदा किया जायेगा।

यह ऋण इसलिये दिया गया ताकि अमरीका से ही भारत के भेजने के लिए मशीनरी इत्यादि पुर्जे तथा अन्य सम्बद्ध वस्तुयें खरीद की जा सके जिनकी देश के आर्थिक विकास के लिए दोनों सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अपेक्षा है।

## Drinking water for Punjab

**283. Shri Bagri :** Will the Minister of **Health** be pleased to state whether Government of India have made any provision in the Third Five Year Plan for providing drinking water to Punjab and if so, the amount allocated for this purpose ?

**The Minister of Health ( Dr. Sushila Nayar) :** A total provision of Rs. 355 lakhs under the National Water Supply and Sanitation Programme has been made in the Third Five Year Plan of the Punjab State as under :

(i) Rural Water Supply Scheme Rs. 125 lakhs

(ii) Urban Water Supply and Sanitation Programme Rs. 230 lakhs.

## Beas Project

**284. Shri Bagri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the progress so far made on the Beas Project ;

(b) when it is likely to be completed ;

(c) whether any other country has also promised any assistance for this Project ; and

(d) if so, the amount and form of assistance ?

**The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao):** (a) The Beas Project consists of the Units—Unit I (Beas-Sutlej Link) and Unit II (Pong Dam). The Progress on both the units upto the end of July, 1964 is given below :—

*Unit No. I* (Beas-Sutlej Link)

Preliminary works like exploration of foundations, surveys, acquisition of land, planning and procurement of materials, plant and machinery, are in hand. The construction of staff quarters at Pandoh and Sundarnagar colonies, magazines for explosives, field hostel, store-sheds etc. is in progress.

*Unit No. II* (Beas-Sutlej Link)

The work of exploratory drilling and drilling for test grouting, acquisition of land, planning and procurement of materials, plant and machinery, layouts and designs, is in progress. The two diversion tunnels have been excavated to a combined length of 5617 ft. In addition to the diversion tunnels, the penstock tunnels have been excavated in a length of 1028 ft. Also, about 18 lakhs Cyds. of open cut excavation for penstock tunnels and about 47000 Cyds. of excavation for the dam abutments has been completed. Nearly 19 lakhs Cyds. of earth work for the rail-*cum*-road embankment from Talwara to the dam site has been completed. Bridges are under construction.

A major portion of the staff quarters, more than 2000 in number, and office buildings at Talwara Township have been completed. Work on the shopping centres, field hostels, hospital buildings, more staff quarters and drainage arrangements in Talwara Township is continuing. The construction of various buildings and job facilities at Sansarpur and dam site are also in progress.

(b) The project is scheduled to be completed by 1970-71.

(c) and (d) We have not sought assistance for this project from any foreign country except to meet the foreign exchange requirements which will be covered by a 33 million dollars loan from the USAID and 23 million dollars loan from the International Bank for Reconstruction and Development. The two loans are in an advanced stage of negotiations and are expected to be finalised shortly.

## सिगरेट सम्बन्धी विज्ञापन

285. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी :
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकी सरकार के उस आदेश की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार आगामी वर्ष से सभी सिगरेट के डिब्बों पर यह चेतावनी अंकित होगी कि "सिगरेट पीना खतरनाक है और इससे कैन्सर का रोग हो सकता है जिससे मृत्यु हो सकती है"; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने की दृष्टि से इसी प्रकार के बचाव सम्बन्धी उपाय अपनाने के विषय में विचार कर रही है ?

**स्वास्थ्य मंत्री ( डा० सुशीला नायर ):** (क) भारत सरकार का ध्यान 25 जून, 1964 के हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली में प्रकाशित उस सम च र की ओर गया है जिसमें अमरीकी फेडरल ट्रेड कमीशन ने इस आशय का एक नियम जारी किया है कि आगामी वर्ष से सारे सिगरेट के डिब्बों पर यह चेतावनी अंकित होनी चाहिये कि "सिगरेट पीना खतरनाक है और इससे कैन्सर आदि रोग हो सकते हैं जिनसे मृत्यु हो सकती है", तथापि भारत सरकार को बताया गया है कि अभी तक अमरीकी सरकार ने सिगरेट के डिब्बों पर सिगरेट से होने वाली हानि सम्बन्धी चेतावनी अंकित करने के लिये नियम लागू नहीं किया है।

(ख) सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयां बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3064/64]।

## नजफगढ़ नाला

286. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नजफगढ़ नाले सम्बन्धी प्राक्कलनों का कई बार पुनरीक्षण किया गया था जिससे नाले के निर्माण में विलम्ब हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दोषपूर्ण निर्माण के मामलों की रिपोर्टें की गई थीं और इसमें बहुत धन और सामान बर्बाद हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है; और

(घ) यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री ( डा० कु० ल० राव ):** (क) मूल प्राक्कलन को केवल एक बार पुनरीक्षित किया गया है और इस समय पुनरीक्षित प्राक्कलन पर विचार किया जा रहा है। इससे नजफगढ़ नाले के निर्माण सम्बन्धी कार्य की प्रगति पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मिट्टी के खुदाई का काम वाले में पानी कम हो जाने के बाद एक महीने की अवधि में पूरा हो जाने की आशा है। निम्नलिखित पुलों पर तेजी से काम चल रहा है और आशा है वे प्रत्येक के सामने दी गई तिथि तक पूरे हो जायेंगे :—

(एक) विजय नगर (पैदल पार करने का पुल) . अक्टूबर, 1964

(दो) राइफल रेन्ज (पैदल पार करने का पुल) . दिसम्बर, 1964

| | |
|---|---|
| (तीन) रोहतक रोड . . . . | खम्भे तैयार हो गये हैं—तारों तथा सीमेन्ट कंक्रीट डाल कर ऊपरी सतह बनाने का काम मार्च 1965 के अन्त तक पूरा हो जायेगा । |
| (चार) रूप नगर (पैदल पार करने का पुल) . | नींव पूरी हो गई है—ऊपरी भाग मार्च 1965 के अन्त तक पूरा हो जायेगा । |

जी० टी० रोड बनने वाले पुल तथा आश्रम में पैदल पार करने का पुल का काम अभी आरम्भ किया जाना है।

### सोने की वस्तुओं का निर्यात

287. श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण आदेश लागू किये जाने के बाद कितने मूल्य के जेवरात तथा 14 कैरट से अधिक सोने की वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सोने और जेवरात के निर्यात के लिये निर्धारित तिथि समाप्त हो जाने के बाद भी व्यापारियों को इनका निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) 31 जुलाई, 1964 तक 208 लाख रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया।

(ख) और (ग). जेवरात का निर्यात निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आता है :—

(एक) जहां सोने का आयात कस्टम्स "बांड" तथा ड्रा बैक योजना के अन्तर्गत जेवरातों के बनाने के लिये किया गया हो;

(दो) जहां जेवरात सोने के आन्तरिक स्टाक से बनाये गये हों और उनका "निर्यात संवर्द्धन योजना" के अन्तर्गत निर्यात किया गया हो; और

(तीन) जहां जेवरात/वस्तुएं 10-1-1963 से पूर्व 14 कैरट से अधिक की शुद्धता के बनाये गये हैं। और उनमें सोने का अंश 40 प्रतिशत से अधिक न हो और उनका निर्यात किया जाना हो।

उपरोक्त (एक) और (दो) के सम्बन्ध में अन्तिम तिथि का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इस निर्यात की अनुमति अनिश्चित काल तक के लिये दी गई है। जहां तक उपरोक्त (तीन) का सम्बन्ध है अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 1964 तक बढ़ा दी गई है। यह रियायत इसलिये दी गई है ताकि नियंत्रण लागू करने से पूर्व बनाये गये जेवरातों को बेचा जा सके।

## सेवा निवृत कर्मचारियों का सरकारी क्वार्टरों में रहना

288. **डा० लक्ष्मीमल सिंघवी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद कितने समय तक सरकारी क्वार्टर में रह सकता है;

(ख) नई दिल्ली में ऐसे कितने सरकारी कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त होने के बाद एक वर्ष से अधिक समय से सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं; और

(ग) सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना):** (क) दो महीने के लिये। यदि किसी अधिकारी को सेवानिवृत्ति से पहले की छुट्टी दी गई हो या एफ० आर० 86 के अधीन उसकी छुट्टी अस्वीकार कर दी गई हो तो वह पूरे औसत वेतन पर छुट्टी की पूरी अवधि के लिये, लेकिन अधिक से अधिक चार महीने के लिये जिसमें सेवानिवृत्ति की दशा में स्वीकृत अवधि शामिल है, सरकारी आवास अपने अधिकार में रखने का हकदार होता है।

(ख) और (ग). चार एलाटी अपने क्वार्टरों में सेवानिवृत्ति से एक वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं। उन्होंने न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। इसलिये न्यायाय के निर्णय तक उनके विरुद्ध क्वार्टर खाली करने के लिये की गई कार्यवाही स्थगित की गई है।

## सरकारी क्वार्टरों में मुर्गी पालन

289. **श्री यशपाल सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की सरकारी बस्तियों में सरकारी कर्मचारियों ने अपने मकानों के आंगनों में मुर्गीपालन शुरू कर दिया है जिससे कि पड़ौसियों के लिये कठिनाई सी पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना):** (क) सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने घरों में मुर्गी पाले जाने पर सरकार को आपत्ति नहीं है। तथापि उन अधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे ऐसा करने के लिये संबंधित अधिकारियों, जैसे कि स्थानीय निकायों आदि से अनुमति लें सरकार का ऐसा विचार नहीं है कि मुर्गीपालन से किसी प्रकार की तकलीफ पैदा होती है।

(ख) ऊपर (क) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं रखती।

**Kalakote and Salal Hydro Electric Project**

290. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Kalakote and Salal Hydro Electric Power Project in Jammu is being executed ;

(b) if so, the expenditure involved, the generating capacity of the proposed project and when it is likely to be completed ; and

(c) the name of the country with whose financial aid it is being constructed ?

**The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao)** : (a) The Kalakote Thermal Power Project was taken up for execution in 1961-62 whereas the execution of the Salal Hydro Electric Project has not yet been taken up.

(b) **Kalakote Thermal Power Project** :

The estimated cost of the Project is Rs. 256·13 lakhs for the installation of three units of 7·5 MW each. However, on account of the reduced availability of coal shown as a result of fruther investigations, the questionw hether only two units should be installed now is under consideration. The Project is likely to be completed in the last quarter of 1965.

**Salal Hydro Electric Project** :

The Project report is still under examination. It envisages installation of 5 Nos. of 60 MW generating units in the first stage and addition of 6 Nos. Of 60 MW units in the final stage. The entire scheme is estimated to cost Rs. 6041·50 lakhs.

(c) The Kalakote Thermal Power Project is being financed from Yogoslav Credit.

The Salal Project has not been tied up with any foreign Credit so far.

**ELECTRIC CREMATORIUM FOR DELHI**

291. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the first electric crematorium is being constructed in Delhi ;

(b) if so, when it would start functioning;

(c) whether the charges have already been fixed ; and

(d) the rate at which electricity would be supplied to it ; and whether it would be less or more than the rate of electricity supplied ordinarily ?

**The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar)** : (a) Yes.

(b) January, 1965.

(c) No.

(d) The electricity will be supplied as per Schedule of the D.E.S.U. The rate will be less than the rate of electricity supplied ordinarily.

## SALES TAX

292. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have informed Delhi traders that sales tax would not be charged on goods sold to traders of Nepal, Bhutan, Sikkim and Tibet ;

(b) if so, the commodities to which this exemption would apply;

(c) whether this exemption would be applicable to goods exported to those countries or only on those retained in India ; and

(d) the maximum limit of goods that can be exempted from the payment of sales tax ?

**The Minister of Finance (Shri T.T Krishnamachari) :** (a) to (d). Delhi traders have been advised, by a press note issued by Delhi Administration, that all goods (without limit of value) sold to dealers of Nepal, Bhutan and Sikkim and ultimately exported to those countries, will be exempt from sales tax on production of land customs receipts in proof of actual export of such goods to the said countries. This note reproduces an order of 1957 and it refers to Tibet through an oversight.

## भाखड़ा बांध

293. **श्री बलजीत सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बांध के दाहिनी ओर के बिजली घर को पूरा करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) रूस ने अब तक जो सहायता दी है उसका स्वरूप क्या है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) बिजली घर के निर्माण के लिये 28 अगस्त, 1964 तक 63,892 सिलेन्डर कंक्रीट दिया जा चुका था जब कि अनुमान के अनुसार 78,000 सिलेन्डर दिये जाने थे। मशीनों के कमरे की दीवारों और 'सर्विस बें' में 'क्रेन बीम्स' आदि का काम चल रहा है और आशा है कि एक मास में पूरा हो जायेगा। पांच 'पेनस्काक' को स्थापित करने का लगभग 10 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। बिजली और मशीनों संबंधी कार्य भी संतोषजनक चल रहा है।

(ख) भाखड़ा के दाहिनी ओर के बिजली घर के लिये जो तकनीकी सहायता और उपकरण रूस ने दिये हैं उनकी अदायगी फरवरी, 1961 तक 11.25 करोड़ रूबल ऋण करार के अन्तर्गत की जायेगी। उपकरणों को संभरित करने के अतिरिक्त रूस हमें बिजली घर के निर्माण, उपकरणों के चलाने आदि में तकनीकी सहायता भी दे रहा है। इसके अतिरिक्त रूस के बिजली घरों और अन्य उपक्रमों में भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

## पंजाब में मकानों की योजनायें

294. **श्री बलजीत सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम आय वाले वर्ग की, बीच की आय वाले वर्ग की और राजकीय सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह योजनाओं की क्रियान्विति के लिये 1963–64 और 1964–65 में अब तक कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) उस अवधि में इन योजनाओं में क्या प्रगति हुई ?

**निर्माण और आवास मंत्री ( श्री मेहरचन्द खन्ना )** : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी. —3065/64] ।

## मद्रास सरकार के कर्मचारियों के लिये वेतन वृद्धि

295. **श्री उम व० राघवन :**
**श्री उमानाथ :**
**श्री सेझियान :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को मद्रास राज्य में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर का दर्जा देने के लिये उनके वेतन में वृद्धि करने हेतु वित्तीय सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा पढ़ी की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार के अभ्यावेदन भेजे हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां । भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो वृद्धि की है, मद्रास सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इसी प्रकार की वृद्धि देने के लिये वित्तीय सहायता मांगी है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी हां । उनके नाम ये हैं : आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान ।

## WHITE BREAD AND HEART DISEASE

296. **Shri Mohan Swarup** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that white bread prepared from varicus types of flour causes heart disease; and

(b) if so, the reaction of the Ministry of Health in this regard ?

**The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar)** : (a) and (b). There is no evidence to indicate that white bread prepared from various types of flour is a cause of heart disease. No scientific data incriminating white bread in the causation of heart disease appears to have so far been published.

### तृतीय योजना

297. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय योजना में योजना की मध्यावधि में लगाये गये अनुमान से भी कहीं कम कार्य होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य क्षेत्रों में इसकी अधिक कमी होगी और प्रत्येक में कितनी होगी ?

**योजना मंत्री ( श्री ब० रा० भगत )**: (क) और (ख) इस अवस्था पर यह बताना कठिन है कि किन किन क्षेत्रों में उत्पादन मध्यावधि के अनुमानों से कम अथवा अधिक होगा।

### Kothar Dam

298. **Shri Yogendra Jha** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the survey for the construction of the vital 'Kothar Dam, which would provide stability to the Barrage under the Kosi Project, has been completed;

(b) the estimated expenditure to be incurred on the construction of Kotha Dam'; and

(c) when the construction of 'Kothar Dam' is likely to be started and when it would be completed ?

**The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao)** : (a) No. The investigations are still in progress.

(b) The cost estimate can be prepared only after the investigations are completed and designs prepared.

(c) As the in vestigations are not yet complete, no date can be fixed for commencement of construction or completion of Project.

### प्रधान मंत्री का निवास स्थान

299. { श्री जं० ब० सिंह विष्ट :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बागड़ी :

क्या निर्माण और आवास मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के निवास स्थान के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) क्या संख्या 1 मोती लाल नेहरू प्लेस, जहां प्रधान मंत्री इस समय रहते हैं, को 10 जनपथ के पड़ौसी मकान से मिलाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो आवश्यक परिवर्तन करने में क्या खर्च आने की संभावना है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) जी हां।

(ख) प्रधान मंत्री का निवास स्थान 1, मोती लाल नेहरू प्लेस ही रहेगा जो कि उनके पास पहले था जब वे बिना पोर्टफोल्यो के मंत्री थे। उनके सरकारी कार्य और सरकारी अतिथियों के ठहराने के लिये उन्हें 10, जनपथ, जो कि साथ ही है, दे दिया गया है।

(ग) काम अभी जारी है। इसके पूरा होने में लगभग एक महीना और लग जायेगा और उस समय ही लागत का पता लगेगा। हां, इतना कहा जा सकता है कि इस पर कम से कम खर्च किया जा रहा है।

## दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी हटाने की योजना

300. **श्री शिरिशांग किशिंग :**
**श्री प्र० च० बरुआ :**

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झुग्गी झोंपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत आने वाले अधिकांश विस्थापित व्यक्तियों ने, जिनको दिल्ली में मकानों के लिये प्लाट दिये गये थे, अनधिकृत रूप से अपने प्लाट बेच दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से इस अनधिकृत स्थानान्तरण को दाण्डिक अपराध बनाने के बारे में कोई लिखापढ़ी की है ; और

(ग) इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) झुग्गी और झोंपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत दिये गये 80 वर्ग गज़ के 3,565 प्लाटों में से, हमारा ऐसा संदेह है कि लगभग 260 व्यक्तियों ने अपने प्लाटों का कब्जा स्थानान्तरण कर दिया है।

(ख) सभी मामलों में दिल्ली नगर निगम ने प्लाटों के ग्रहियों को कारण बताइये, सूचनाएं दे दी हैं। 169 मामलों में एलाटमेण्ट्स रद्द कर दिये गये हैं। सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत अधिभोक्ताओं की बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत भी 134 मामलों में सूचनाएं जारी की गई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## मक्खियों का उत्पात

301. **श्री चांडक** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली निवासियों को अब जो मक्खियों से परेशानी हो रही है उसको दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) क्या विमानों से दवाई फेंक कर मक्खियों को मारने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य मंत्री ( डा० सुशीला नायर):** (क) दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली नगर पालिका और केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग द्वारा मक्खियों को मारने के जो विभिन्न उपाय किये गये हैं वे संलग्न विवरण में दिये हुए हैं। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3066/64] ।

(ख) दिल्ली पर विमानों द्वारा कीटाणु नाशक दवाइयों को फेंकने की कोई प्रस्थापना नहीं है। हां, मक्खियों को बढ़ने से रोकने के लिए कचरा परियों और कूड़े के डिब्बों में डी० डी० टी० और गामक्सिन नियमित रूप से छिड़के जाते हैं।

(ग) विमानों द्वारा दवाइयों को बखेरना वांछनीय नहीं है क्योंकि ये जरूरी नहीं कि दवाइयां मक्खी के स्थानों तक पहुंचे। इसके अतिरिक्त केवल ऊपर से दवाइयां बरसाना मक्खियों को मारने का प्रभावशाली उपाय नहीं है।

## औषधीय पौधों संबंधी समिति

302 { श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य की औषधीय पौधों उद्योग सम्बन्धी समिति ने यह पता लगाया है कि 'अर्जुन वृक्ष' से तैयार की गई औषधियों से दिल के रोग ठीक हो सकते हैं ; और

(ख) क्या इस दवाई की चिकित्सीय जांच की गई है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**स्वास्थ्य मंत्री ( डा० सुशीला नायर):** (क) जी, नहीं।

(ख) अर्जुन वृक्षों से तैयार की गई औषधियों का आयुर्वेदिक प्रणाली में काफी प्रयोग किया जाता है। अनेक प्रयोगशालाओं, विशेषत: कलकत्ता के उष्ण कटिबंधीय स्कूल में काफी वैज्ञानिक कार्य किया जा रहा है। यह उन औषधियों में से एक है जिन्हें विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय की मिश्रित औषध अनुसंधान योजना में शामिल किया गया है ।

## जीवन बीमा निगम

303. { श्री नी० श्रीकान्तन नायर :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री उमा नाथ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम में पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या में क्या अनुपात है;

(ख) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम में दफ्तर के काम के लिये ऐसी मशीनें प्रयोग में लाई जा रही हैं जिनसे कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है ; और

(ग) इस योजना में कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ?

**वित्त मंत्री ( श्री ति० त० कृष्णमाचारी ):** (क) 31 मार्च, 1964 को श्रेणी 1 के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों में लगभग 6·100 का अनुपात था ।

(ख) निगम ने बम्बई और कलकत्ता में दो इलेक्ट्रानिक संगणक लगाने का निर्णय किया है । इन संगणकों के लगाने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की संख्या घटेगी नहीं ।

(ग) जहां तक जीवन बीमा निगम का संबंध है इस कार्य पर विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होगी । क्योंकि संगणकों का भुगतान भारत में रुपयों में किया जाना है ।

**मुरादाबाद में सोने का पकड़ा जाना**

**304. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जुलाई, 1964 को मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय सीमा शुल्क दल ने, दो स्थानीय सर्राफों की दुकानों से, 400 तोल से अधिक की खालिस सोने की सलाखें और हजारों रुपयों के 22 कैरेट के सोने के आभूषण बरामद किये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वित्त मंत्री ( श्री ति० त० कृष्णमाचारी ):** (क) और (ख). 1 जुलाई, 1964 मुरादाबाद के किसी सर्राफ से खालिस सोने की सलाखें ज़ब्त नहीं की गईं थीं । हां, उस तारीख को वहां के दो व्यापरियों से 14 कैरेट से अधिक के 2866 ग्राम और 238 ग्राम के आभूषण बरामद किये गये थे । मामलों के विभागीय न्याय निर्णयन के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा ही है ।

**उत्तर प्रदेश में स्वर्णकारों को ऋण**

**305. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्य यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वर्णकारों को छोट उद्योग खुलान के लिय, केन्द्र से ऋण देने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

**वित्त मंत्री ( श्री ति० त० कृष्णमाचारी ) :** (क) और (ख) भारत सरकार के पत्र जिसमें स्वर्णकारों को रोजगार दिलाने के अपेक्षित धन बताने के लिए कहा गया था, के उत्तर में स्वर्णकारों को उद्योगों में रोजगार प्राप्त करने के लिए और अन्य उत्पादी प्रयोजनों के लिए ऋण मंजूर करनें के लिए, अपनी तुरन्त आवश्यकता 20 लाख रुपये बताई थी । यह ऋण मंजूर कर दिया गया था ।

**Linking of Brahmaputra with Ganga**

**306. { Shri Vishwa Nath Pandey :**
**{ Shri P. K. Deo :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply

given to Starred Question No. 972 on the 9th April, 1964 and state the time to be taken for linking the Brahmaputra with the Ganga and the estimated cost thereof ?

**The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :** The Tista Multipurpose Barrage Project which, *inter alia*, envisages the linking of the Brahmaputra with the Ganga is still to be finalised. It is, therefore, not possible at this stage to indicate what time the linking will take and what cost it will involve.

## कृषि प्रयोजनों के लिये सहायता

307. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या योजना मंत्री 30 अप्रैल 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1255 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग की कृषि सम्बन्धी तालिका द्वारा दिये गये इस आशय के सुझावों पर विचार कर लिया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों में कृषि प्रयोजनों के लिये दी जाने वाली सहायता केवल उनके उत्पादन की मात्रा के आधार पर ही दी जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

**योजना मंत्री ( श्री ब० रा० भगत ):** (क) और (ख): मामला अभी तक विचारारधीन है ।

## एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम

308. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) चालू शिक्षा वर्ष के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से प्रिमेडीकल और एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए कुल कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इन दोनों पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक राज्य को पृथक पृथक कितने स्थान दिये गये हैं ; और

(ग) यह सरकार यह समझती है कि इस प्रकार आवंटित किये गये ये स्थान संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त होंगे ?

**स्वास्थ्य मंत्री ( डा० सुशीला नायर ) :** (क) प्रिडमेडिकल और एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रनों के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से (दिल्ली, पांडिचेरी, गोआ, दमन और दीव के अतिरिक्त) 410 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) शिक्षा वर्ष 1964–65 के लिये इन दोनों पाठ्यक्रमों के लिये पृथक पंथक

राज्य-क्षेत्रों को आवंटित किये गये स्थानों की संख्या निम्नलिखित है :—

| संघ राज्य क्षेत्र का नाम | आवंटित किये गये स्थान | |
|---|---|---|
| | प्रि-मेडिकल | एम० बी०बी०एस० |
| हिमाचल प्रदेश . . | 2 | 31 |
| मणिपुर . | 25 | 11 |
| त्रिपुरा . . | 17 | 7 |
| नेफा . . . | 3 | 2 |
| अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह . | 2 | 1 |
| लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदिव द्वीपसमूह | 4 | —— |
| योग . . . | 53 | 52 |

(ग) जी, हां, उपलब्धि को देखते हुए ।

## Old Secretariat Building

**309. Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a scheme to remodel Old Secretariat building in Delhi;

(b) if so, the details of the scheme; and

(c) the names of office buildings of Delhi Administration which are proposed to be reconstructed?

**The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) :** (a) No such scheme has been received.

(b) and (c). Do not arise.

## बड़ी परियोजनायें

**310. श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या योजना मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों की ऐसी कितनी बड़ी परियोजनायें हैं जिनमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था परन्तु जो अभी तक भी पूरी नहीं हुई हैं ;

(ख) उन परियोजनाओं के पूरा होने के लिये निर्धारित तिथियां कौन सी हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं की प्रारम्भिक तथा वर्तमान बढ़ी हुई अनुमानित लागत कितनी कितनी है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत )**: (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एस० टी० 3067/64]।

## सरसों का तेल

311. **श्री जो० ना० हजारिका :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य की अखिल भारतीय संस्था, कलकत्ता के एक आहार-पोषण सम्बन्धी विशेषज्ञ ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि खाना पकाने में सरसों के तेल का उपयोग स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है और इसके उपयोग से हृद्रूतक-धमनी की तथा प्रमस्तिष्कीय थॉम्बॉसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य विशेषज्ञों द्वारा इस बात की पुष्टि करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है जिससे कि निरोधात्मक कार्यवाही की जा सके ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) और (ख). स्वास्थ्य विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य की अखिल भारतीय संस्था, कलकता के एक अधिकारी ने, जिसने कि अगस्त 1964 में आहार-पोषण के विषय से सम्बन्धित वैज्ञानिक स्तर की कलकत्ता में हुई एक बैठक में भाग लिया था, चर्चा के दौरान यह कहा था कि खाना पकाने के एक माध्यम के रूप में मूंगफली का तेल अथवा तिल का तेल सरसों के तेल से कहीं अधिक अच्छा है तथा सरसों के तेल के चरपराहट वाला तथा गहरे रंग का होने के कारण इसमें ऐसे पदार्थों का सरलता से मिश्रण किया जा सकता है जो कि वास्थ्य के लिये हानिकारक होते हैं । तिल के तेल तथा मूंगफली के तेल में असंतृप्त चिकनाई वाले अम्लों की प्रतिशत मात्र अधिक होती है और इसलिये ये एथेरोस्क्लेरोसिस के निरोध के लिए अधिक अच्छा है ।

सरसों के तेल में एग्रेमोन के बीजों और खनिज तेल का अपमिश्रण पाया गया है और ये दोनों ही पदार्थ विषाक्त हैं । खाद्य अपमिश्रण निरोध सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत सरसों के तेल का स्तर निर्धारित कर दिया गया है और उसमें एग्रेमोन के बीजों के तेल अथवा अन्य किसी प्रकार के तेल को मिलाने की अनुमति नहीं है ।

## मेडिकल कालेजों में दाखिला

312. **श्री जो० ना० हजारिका :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा विदेशों के कितने विद्यार्थी भेजे गये

(ख) उनमें से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये कितने विद्यार्थी हैं ;

(ग) अब तक उनमें से वास्तव में कितने विद्यार्थियों को दाखिला दे दिया गया है ; और

(घ) दोनों पाठ्यक्रमों के लिये ऐसे कुल कितने स्थान हैं जिनका नियंत्रण भारत सरकार के हाथों में है ?

**स्वास्थ्य मंत्री ( डा० सुशीला नायर ) :** (क) (ख) और (घ). 1964-65 के दौरान पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भारतीय उद्भव के विदेशों में रहने वाले सांस्कृतिक विद्यार्थियों/निजी स्ववित्तपोषी विद्यार्थियों तथा निजी स्ववित्तपोषी विदेशी

विद्यार्थियों के लिये भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित स्थान सुरक्षित रखे गये थे :—

(एक) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम . . . . शून्य

(दो) स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम . . . . 92

इसके अतिरिक्त प्रारम्भ में कोलम्बो योजना के अधीन सुरक्षित किये गये 16 स्थान 1964-65 के दौरान वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा भेजे गये पूर्व-स्नातक विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध कर दिये गये थे। इस प्रकार भारत से बाहर के विद्यार्थियों के लिये 114 स्थानों की व्यवस्था कर दी गई थी। 1964–65 के दौरान इसमें से शिक्षा मंत्रालय ने 26 विद्यार्थियों को सांस्कृतिक विद्यार्थियों के रूप में भेजा था तथा शेष (88) स्थानों के लिये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने 260 भारतीय उद्‌भव के विदेशों में रहने वाले स्ववित्तपोषी विद्यार्थियों और निजी स्व-वित्तपोषी विदेशी विद्यार्थियों को भेजा था। ये सभी विद्यार्थी पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रम के लिये भेजे गये थे।

(ग) 1964–65 के दौरान जितने विद्यार्थियों को प्रवेश ले लेने के लिये कहा गया है और जिन्होंने अब तक वास्तव में दाखिला ले लिया है उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

| | अब तक जितने विद्यार्थियों ने वास्तव में प्रवेश ले लिया है उनकी संख्या | जिन विद्यार्थियों को प्रवेश ले लेने का प्रस्ताव किया गया था उनकी संख्या |
|---|---|---|
| सांस्कृतिक विद्यार्थी | 22 | 26 |
| भारतीय उद्‌भव के विदेशों में रहने वाले स्व-वित्तपोषी विद्यार्थी तथा निजी स्व-वित्तपोषी विदेशी विद्यार्थी | 48 | 88 |
| योग . . | 70 | 114 |

**चलचित्र 'संगम'**

313. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोप में चलचित्र 'संगम' की शूटिंग करने के लिये उसके निदेशक को कितनी विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई थी; और

(ख) सरकार ने किन आधारों पर विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी थी ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) मैसर्स आर० के० फिल्म्स एण्ड स्टूडियोज बम्बई को विदेशों में अपने चलचित्र 'संगम' की शूटिंग करने के लिये 3 लाख 30 हजार रुपये की विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई थी।

(ख) कम्पनी की गत समय में अपने चलचित्रों के निर्यात के द्वारा की गई भारी आय को देखते हुए और इस चलचित्र पर बहुत सी विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के उनके आश्वासन को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा दी गई थी। इस चलचित्र के लोक-प्रदर्शन के समय यह अनुबन्ध किया गया था कि इस चलचित्र को भारत में प्रदर्शित करने के लिये तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि चलचित्र के निर्यात से 12 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित न हो जाये। इस आश्वासन को कम्पनी ने पूरा कर दिखाया है।

## दिल्ली में सुनार

314. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने सुनारों ने रोजगार दफ्तरों में अपना पंजीयन कराया है ;

(ख) उनमें से कितनों को नौकरियां दिला दी गई हैं अथवा उनके पुनर्वास के लिये अन्य कोई सहायता प्रदान की गई है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये दिल्ली के लिये कितना रुपया निर्धारित किया गया था तथा अब तक कितना व्यय हुआ है ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) 31 जुलाई, 1964 तक 711 ।

(ख) उस तिथि तक 45 को नौकरियां दिला दी गई थीं और 72 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा 6 को पोलीटेकनिक संस्थाओं में दाखिला दिला दिया गया था।

(ग) अब तक 8 लाख रुपये की धन राशि मंजूर की गई है। इसमें से 2,68,500 रुपये व्यय हो चुके हैं।

## दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी योजना

315. **श्री शिवचरण गुप्त :**
**श्री बागड़ी :**
**श्री दलजीत सिंह :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी योजना को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने दिल्ली नगर निगम को 1961–62, 1962–63 और 1963–64 में कितना रुपया दिया था ;

(ख) 1961–62, 1962–63 और 1963–64 में कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया था ;

(ग) 1964–65 में कितने परिवारों का पुनर्वास किये जाने की सम्भावना है और कितने मकानों की जमीन आवंटन के लिये इस समय तैयार है और कितने की 31 मार्च, 1965 तक तैयार हो जाने की संभावना है ;

(घ) क्या रेलवे की भूमियों के आस पास पड़े हुए 2700 परिवारों को उठाने के कार्य को कोई पूर्ववर्तिता दी जायेगी ; और

(ङ) झुग्गियों और झोंपड़ियों में रहने वाले परिवारों को उठाने के बारे में आम नीति क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री ( श्री मेहरचन्द खन्ना ): (क)

| | लाख रुपये |
|---|---|
| 1961–62 | 78.96 |
| 1962–63 | 163.84 |
| 1963–64 | 135.72 |
| योग | 378.52 |

(ख) और (ग). जुलाई, 1964 तक, झुग्गी झोंपड़ी हटाओ योजना के अधीन 10808 परिवारों को मकानों के लिए जमीनें/मकान दे दिये गये हैं। 2260 और प्लाट दिये जाने के लिए तैयार हैं और आशा की जाती है कि 31 मार्च, 1965 तक 15,500 और मकानों की जमीनें विकसित हो जायेंगे। आशा की जाती है कि अगस्त, 1964 से लेकर मार्च 1965 की अवधि के दौरान लगभग 12,500 धरना मारकर बैठे परिवारों के लिये वैकल्पिक आवास स्थान की व्यवस्था की कर दी जायेगी।

(घ) रेलवे की जमीनों पर धरना मार कर बैठने वालों को रेलवे मंत्रालय द्वारा बताई गई पूर्ववर्तिता के अनुसार उन स्थानों से हटाया जा रहा है।

(ङ) सरकारी जमीनों पर धरना देकर रहने वालों को खण्ड-वार सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत उन स्थानों से निकाला जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले विभिन्न झुग्गी-झोंपड़ी कॉलोनियों में 25 वर्ग गज वाले शिविर स्थानों पर ले जाया जाता है बाद में, जिन व्यक्तियों ने जुलाई, 1960 से पहले से धरना देकर रहना प्रारम्भ किया था और वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तथा प्रव्रजक श्रमिक हैं उन्हें 80 वर्ग गज वाले प्लाटों अथवा मकानों में, जब भी कभी वे उपलब्ध होते हैं, उठा कर बैठा दिया जाता है।

## तृतीय योजना में विदेशी सहायता का उपयोग

316. श्री शिवचरण गुप्त :
श्री बागड़ी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना की विभिन्न योजनाओं के लिये भिन्न-भिन्न देश अब तक कितनी विदेशी सहायता देने के लिये सहमत हुए हैं ;

(ख) उसमें से अब तक कितनी सहायता का प्रयोग किया जा चुका है ; और

(ग) कितनी अप्रयुक्त सहायता शेष है और तृतीय योजना की कालावधि में इसके प्रयोग में लाये जाने की क्या संभावनायें हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). तृतीय योजना के लिये विभिन्न देशों/संस्थाओं द्वारा प्राधिकृत विदेशी सहायता की राशि, वह राशि जिस के लिये आर्डर दिये गये हैं भुगतान किये गये धन की राशि तथा सहायता की शेष राशि दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—3068/64]

जहां तक शेष राशि के प्रयोग में लाये जाने की सम्भावना का सम्बन्ध है आशा है कि विदेशी सहायता को प्रयोग में लाने सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा किये गये निर्णयों को कार्यरूप देने के परिणामस्वरूप विदेशी सहायता को प्रयोग में लाने की गति अग्रेतर बढ़ेगी तथापि, इसमें से कुछ सहायता का प्रयोग चतुर्थ योजना काल में किया जाएगा ।

**दिल्ली में आय-कर देने वाले**

317. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आय-कर देने वालों की संख्या क्या है ;

(ख) दिल्ली में वर्ष 1950–51, 1955–56, 1960–61 तथा 1963–64 में आय-कर की वार्षिक मांग क्या थी ;

(ग) वर्ष 1962–63 तथा 1963–64 के कर देने वालों सम्बन्धी कितने मामले विभाग में अभी लम्बित हैं ; और

(घ) 31 मार्च, 1962, 31 मार्च, 1963 तथा 31 मार्च, 1964 को बकाया कर की राशियां क्या क्या थीं ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):** (क) 1–4–1964 को 1,03,469।

| | | लाख रुपये |
|---|---|---|
| (ख) | 1950–51 . . | 3,29 |
| | 1955–56 . . . | 5,90 |
| | 1960–61 . . . | 7,47 |
| | 1963–64 . . . | 16,00 |
| (ग) | 1962–63 1–4–1964 को 14,375 | |
| | 1963–64 1–4–1964 को 52,087 | |

(घ) सक्रिय बकाया राशि निम्न प्रकार है :—

| | लाख रुपये | |
|---|---|---|
| 31–3–1962 . . . | 6,15 | |
| 31–3–1963 . . | 5,98 | |
| 31–3–1964 . | 6,70 | (अस्थायी) |

**हौजरी वस्तुओं पर बिक्री कर**

318. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या वित्त मंत्री 4 जून, 1964 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 431 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच में दिल्ली में हौजरी वस्तुओं पर बिक्री कर की छूट देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) जी हां ।

(ख) इस तथ्य को देखते हुए कि दिल्ली में हौज़री वस्तुओं पर कर एक प्रतिशत लगता है जब कि आस-पास के राज्यों में इसी माल पर कर की दर काफी अधिक है, यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली में इस माल पर कर की छूट न दी जाय ।

**समवायों के सन्तुलन-पत्र**

**319. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 अगस्त, 1964 को नई दिल्ली में हुए निगम प्रबन्ध अनुसन्धान सम्बन्धी सम्मेलन में माननीय मंत्री द्वारा दिये गये भाषण की खबर ठीक है जिसमें उन्होंने कहा बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम गलत सन्तुलन-पत्र तैयार करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) यह कहा गया था कि समवायों द्वारा तैयार किये जाने वाले सन्तुलन-पत्र प्रायः गलत होते हैं परन्तु यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह तथ्य सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के समवायों के बारे में है ।

(ख) लेखा परीक्षा के क्षेत्र को अधिक विस्तृत बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है ताकि यह अधिक प्रभावकारी हो और इस से सुनिश्चित हो सके कि लेखापरीक्षित सन्तुलन-पत्र ठीक हैं ।

**दामोदर घाटी निगम**

**320. श्री मुहम्मद इलियास** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की प करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम और अन्य अभिकरणों द्वारा विद्युत् संभरण के बारे में दामोदर घाटी निगम अधिनियम के संविहित उपबन्धों का पालन किया जा रहा है ; और

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम एवं अन्य अभिकरणों द्वारा ऐसे उपबन्धों का उल्लंघन करने सम्बन्धी मामले सामने आये हैं ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल तथा बिहार के राज्य विद्युत् बोर्डों ने एवं दुर्गापुर इस्पात परियोजना प्राधिकारियों ने दामोदर घाटी निगम को बता कर और योजना आयोग की अनुमति प्राप्त कर के या तो घाटी के अन्दर कुछ विद्युत् स्टेशनों तथा पारेषण तन्तु-पथों का निर्माण किया है या कर रहे हैं । सम्बद्ध पक्षों द्वारा विशेष तौर पर अनुरोध न किये जाने के कारण निगम द्वारा कुछ मामलों में औपचारिक रूप से अनुमति नहीं दी गयी । परन्तु सरकार को विश्वास है कि अनुरोध किये जाने पर अनुमति अवश्य दे दी जायेगी ।

**State Health Ministers' Conference**

**321. Shri Tan Singh** : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) the recommendation's made by the fourth Conference of the State Health Ministers held in April 1964; and

(b) the reaction of the Central Government thereto ?

**The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar)** : (a) and (b). A copy of the resolutions passed at the Fourth Southern Regional Health Ministers' Conference held in April 1964, is attached. [*Placed in Library*. See *No. LT* 3069/64]

It will be seen that the Conference covered a variety of subjects. Most of the recommendations are for the consideration of the State Government. The views of the Central Government have been indicated against resolutions Nos. I, II, III, IV, V, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XXI, XXII and XXIII (d).

**केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय**

322. **श्री इ० मधुसूदन राव :**
**श्री विश्राम प्रसाद :**

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वास्तविक रोगियों से इस योजना के औषधालयों में काम करने वाले डाक्टरों के विरुद्ध कितनी और किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुईं ;

(ख) उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ; और

(ग) वर्ष 1962 या उस से पहले की कुछ ऐसी शिकायतें भी हैं जिन पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) वर्ष 1963 में 119 शिकायतें प्राप्त हुईं। वह शिकायतें निम्न प्रकार की थीं : —

| | |
|---|---|
| (1) अशिष्ट/ध्यान न देने वाला बर्ताव . . . | 27 |
| (2) रोगी को उस के घर पर देखने के लिये जाने से इन्कार/हिचकिचाहट/देरी . . . . | 26 |
| (3) औषधियों का न दिया जाना/देरी से दिया जाना | 8 |
| (4) रोगियों को देखने में देरी करना . . | 27 |
| (5) रोगियों के मामलों को विशेषज्ञों को निर्दिष्ट न करना | 5 |
| (6) इलाज के परिणामों से उत्पन्न असन्तोष | 22 |
| (7) थोड़े समय के लिए चिकित्सकों की अनुपस्थिति . | 4 |
| कुल . . . . | 119 |

(ख) घटना-स्थल पर, जहां आवश्यक समझा गया, अधिकारियों द्वारा शिकायतों के बारे में जांच की गयी। जहां कहीं प्रक्रिया सम्बन्धी त्रुटियां पाई गईं उन्हें ठीक किया गया। 25 मामलों में सम्बद्ध चिकित्सा अधिकारियों को चेतावनी दी गयी और उन्हें अन्य औषधालयों में स्थानान्तरित

किया गया । जांच 19 मामलों के बारे में की गयी चूंकि कुछ चिकित्सा अधिकारी सरकारी नौकरी छोड़ गये थे, कुछ मामलों के बारे में विशेष ब्योरे उपलब्ध नहीं थे और कुछ शिकायतों को वापस ले लिया गया था । जांच करने के पश्चात् 75 मामलों को रद्द कर दिया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

**तीन पैसे का सिक्का**

324. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में तीन पैसे का नया सिक्का चालू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां ।

(ख) आशा है कि 3 पैसे का सिक्का जारी करने से एक पैसे के सिक्के की मांग कम हो जायेगी । एक पैसे का सिक्का मितव्ययिता की दृष्टि से भी हानिकर पाया गया है । इस का अब महत्व भी नहीं रहा । इसके अतिरिक्त टकसालों की क्षमता का 40 प्रतिशत भाग इसी सिक्के में काम आ जाता है ।

**पंचकुईं रोड, नई दिल्ली पर क्वार्टर**

329. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों के कुछ श्रेणियों के क्वार्टर पंचकुईं रोड, नई दिल्ली के निकट बनाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां कितने और किन श्रेणियों के क्वार्टर बनाये जा रहे हैं ; और

(ग) यह क्वार्टर अलाटमेंट के लिये कब तैयार हो जायेंगे ?

**निर्माण, और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). जी हां । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये टाईप I के 720 क्वार्टर बनाये जा रहे हैं ।

(ग) 432 क्वार्टर पूरे हो चुके हैं और अलाट किये जा चुके हैं । आशा है शेष 288 क्वार्टर चालू वर्ष के अन्त तक तैयार हो जायेंगे और अलाट कर दिये जायेंगे ।

**रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में क्वार्टर**

326. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम् में कर्मचारियों के लिये कुछ हजार क्वार्टर तैयार पड़े हैं और उन्हें अभी तक अलाट नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और यह कब तक अलाट कर दिये जायेंगे ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी नहीं । ज्यों ही क्वार्टर तैयार हो जायेंगे और उनमें विद्युत् एवं जल की व्यवस्था हो जायेगी उन्हें अलाट कर दिया जायेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## मृत्यु दर

327. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तपेदिक तथा मलेरिया जैसे रोगों पर काबू पाने के परिणामस्वरूप मृत्यु दर में पर्याप्त कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस में कितने प्रतिशत कमी हुई ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां । विशेष रूप से मलेरिया से ।

(ख) नयी औषधियों के प्रयोग में आने से पहले प्रतिवर्ष प्रति 1,00,000 व्यक्तियों में से 200 व्यक्ति तपेदिक से मरते थे । पंजाब के गांवों में हाल में किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष प्रति 1,00,000 व्यक्तियों में से लगभग 100 व्यक्तियों की मृत्यु होती है । मदनपल्ली क्षेत्र में, जहां गत 12 वर्षों से तपेदिक पर सामूहिक रूप से नियंत्रण का कार्य हो रहा है प्रतिवर्ष मलेरिया से प्रति 1,00,000 व्यक्तियों में 20 व्यक्तियों की मृत्यु होती है ।

2. मलेरिया के विस्तार तथा मृत्यु दर का अनुमान आनुपातिक रोगी दर के आधार पर लगाया जाता है, अर्थात् अस्पतालों तथा औषधालयों में सब प्रकार के जितने रोगियों का उपचार होता है उन में मलेरिया के रोगियों की संख्या कितनी है । भारत में बड़े पैमाने पर कोई मलेरिया नियंत्रण/उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ करने से पहले वर्ष 1935 में मलेरिया से 1 प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु होने का अनुमान था यह दर वर्ष 1952 में 0.75 प्रतिशत बताई गई है । आनुपातिक दर वर्ष 1953–54 में 10.8 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1963–64 में 0.23 प्रतिशत हो गई थी । इस प्रकार इस दर में 98.5 प्रतिशत कमी हुई है । अब मलेरिया रोग से मरने वालों की संख्या नहीं के बराबर है । आजकल बहुत कम लोग मलेरिया से मरते हैं ।

3. देश में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम लागू करने से चेचक से मरने वालों की कथित संख्या वर्ष 1950–51 में प्रति 1,00,000 व्यक्तियों में 16.06 व्यक्ति से घट कर वर्ष 1957–58 में 9.59 व्यक्ति और 1963–64 में और कम हो कर प्रति 1,00,000 व्यक्तियों में से 1.62 व्यक्ति रह गई ।

## पलाई सेन्ट्रल बैंक

328. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री 12 मार्च, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1112 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पलाई सेन्ट्रल बैंक की परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही पूरी हो गई है ;

(ख) अब तक जिन लोगों के बैंक में खाते थे उन्हें अब तक कुल कितनी राशि दी जा चुकी है और यह कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत है ;

(ग) परिसमापकों के पास रुपये में छः पैसे की तीसरी किस्त को भुगतान के बाद कितनी राशि रह जायेगी ; और

(घ) खातेदारों को अन्तिम भगतान कब तक किया जायेगा ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) 2,84,50,116 जो कुल जमा राशि का 62 प्रतिशत भाग है ।

(ग) और (घ). चूंकि अभी तक वर्ष 1959 से 1963 तक का आयकर का अन्तिम निर्धारण नहीं किया गया है, अतः इस समय उस राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है जो लाभांश की तीसरी किस्त का भुगतान करने के बाद शेष रह जायेगी। चूंकि अभी निदेशकों के विरुद्ध अकरण संबंधी मामला चल रहा है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि लाभांश की अन्तिम किस्त कब तक दी जायेगी तथापि यह प्रयत्न किया जायेगा कि आवश्यक धन उपलब्ध होने पर लाभांश की एक या अधिक अतिरिक्त किस्त उन लोगों को देने की घोषणा की जाये जिन का रुपया बैंक में जमा था ।

## बोकारो और दुर्गापुर बिजली घर

329. **श्री मुहम्मद इलियास :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो और दुर्गापुर में, दामोदर घाटी निगम के 75 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले तीन नये एककों में से प्रत्येक कितनी बार खराब हुआ और इस के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस प्रकार की खराबी के फलस्वरूप बिजली की क्षमता में कितनी कमी हुई और ऐसे अवसरों पर स्थिति का सामना कैसे किया गया तथा इस पर कितनी अतिरिक्त राशि व्यय हुई ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)**: (क) इन तीन नये 75 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले एककों को स्थापित करने के बाद निम्नलिखित अवसरों पर बन्द करना पड़ा :

| | | |
|---|---|---|
| बोकारो (चौथा एकक) | . | 29 (अगस्त, 1964 तक) |
| दुर्गापुर (पहला एकक) | . | 22 (जुलाई, 1964 तक) |
| दुर्गापुर (दूसरा एकक) | | 23 (जुलाई, 1964 तक) |

(ख) इस खराबी के कारण हुई क्षमता में कमी का ठीक ठीक निर्धारण नहीं किया गया है । कमी को दामोदर घाटी निगम के अन्य 'थर्मल' और 'हाइडल' एककों की क्षमता में वृद्धि करके, सिंदरी तथा रिहिन्द बांध परियोजना से विनिमय आधार पर बिजली लेकर तथा कुछ अवसरों पर 'लोड' में कमी करके पूरा किया गया । इसमें कोई अतिरिक्त राशि व्यय नहीं हुई ।

**तेनुघाट बांध**

330. **श्री मुहम्मद इलियास :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के बजाय बिहार सरकार दामोदर नदी पर तेनुघाट बांध बनायेगी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : जी, हां । चूंकि दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है, अत: तेनुघाट बांध के निर्माण का कार्य बिहार सरकार को, जिसके क्षेत्राधिकार में यह परियोजना स्थित है, सौंपा गया है ।

**अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि**

331. **श्री तन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के आय के मुख्य स्रोत क्या हैं और इसमें भारत का कितना अंश है;

(ख) क्या कोष के आय के स्रोतों को बढ़ाने का निर्णय किया गया है; और

(ग) इस वृद्धि का भारत पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) निधि की आय के मुख्य स्रोत सदस्य देशों द्वारा लगाई गई पूंजी—अर्थात् कोटा—तथा उसके विनियोजन से प्राप्त आय हैं ।

30 मार्च, 1964 को निधि की कुल 15,6148 लाख अमरीकी डालर की पूंजी में से भारत का अंश 6000 अमरीकी डालर था ।

(ख) और (ग). अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि अनेक प्रस्तावों पर विचार कर रही है, किन्तु अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**गोंडा के चुनावों में भ्रष्टाचार**

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं विधि मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> "चुनाव न्यायाधिकरण का निर्णय जिसमें गोंडा चुनाव क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य का चुनाव रद्द कर दिया गया है और उक्त चुनाव में भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ।"

**विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** 1962 में हुए साधारण निर्वाचनों में श्री राम रतन गुप्त उत्तर प्रदेश राज्य के 34 गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किये गये थे। निर्वाचन का फल मतों की पुनः संगणना के बाद घोषित किया गया था। निर्वाचन में एक उम्मीदवार श्री एन० डांडेकर ने श्री राम रतन गुप्त के निर्वाचन को अनेक आधारों पर प्रश्नास्पद करते हुए निर्वाचन याचिका फाइल की। निर्वाचन न्यायाधिकरण ने, जिसने निर्वाचन याचिका का परीक्षण किया, यह निष्कर्ष दिया कि प्रथम संगणना और पुनः संगणना के बीच 2166 मतपत्र गड़बड़ाये गये। निर्वाचन न्यायाधिकरण के अनुसार 1930 मत, जो प्रथम संगणना में श्री डांडेकर के पक्ष में मान्य मतों के रूप में संगणित किये गये थे, गड़बड़ाने के फलस्वरूप पुनः संगणना में अनुचित रूप से अस्वीकृत कर दिये गये और दो मतों को छोड़कर ये सब के सब 1930 मत श्री डांडेगर के पक्ष में मान्य मतों के रूप में संगणित किये जाने चाहिये थे। इसी प्रकार निर्वाचन न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष दिया कि श्री राम रतन गुप्त के पक्ष में डाले गये 236 मत उन मतों से घटा दिये जाने चाहिए थे जो मत कि श्री राम रतन गुप्त के पक्ष में संगणित किये गये थे और वे प्रथम संगणना में उचित रूप से अस्वीकृत किये गये थे। किन्तु प्रथम संगणना के पश्चात् उन्हें मान्य बनाने के लिए वे गड़बड़ाये गये और पुनः संगणना में मान्य मतों के रूप में संगणित किये गये। इन निष्कर्षों को देखते हुए श्री एन० डांडेकर द्वारा फाइल की गयी निर्वाचन याचिका स्वीकार की गयी, श्री राम रतन गुप्त का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया और अपास्त कर दिया गया तथा श्री एन० डांडेकर को सम्यक्तः निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

अपने निर्णय में निर्वाचन न्यायाधिकरण ने कहा है कि गोंडा के जिला मजिस्ट्रेट श्री सी० एम० निगम, जो उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन पदाधिकारी थे, भ्रष्ट उपायों से निर्वाचन में श्री राम रतन गुप्त को सफल बनाने के साधन थे। निर्वाचन न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित पांच अन्य पदाधिकारियों को भी इस मामले से सम्बन्धित बताया है :—

1. श्री आर० बी० जौहरी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, गौंडा
2. श्री ए० एस० मिश्र, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, गौंडा पूर्व और गौंडा पश्चिम खंड
3. श्री कृष्ण माधो सरन, कोषाध्यक्ष, गौंडा
4. श्री काली चन्द्र जौहरी, नाजिर, कलक्टोरेट, गौंडा
5. श्री मकबूल हुसैन, निर्वाचन निरीक्षक, गौंडा

निर्वाचन न्यायाधिकरण ने आगे यह राय जाहिर की है कि यह मामला श्री निगम और उपर्युक्त पांच पदाधिकारियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 137 के अधीन जांच के लायक मामला है। किन्तु निर्णय में श्री निगम के बारे में यह कहा गया है :—

> "वह श्री राम रतन गुप्त प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 को भ्रष्ट उपायों से सफल बनाने के साधन थे और निर्वाचन के बाद नवम्बर 1962 में फैजाबाद के आयुक्त के रूप में पदोन्नति उन्हें विनिमय स्वरूप मिली, यद्यपि पहिले उन्हें अभिष्ठित किया जा चुका था।"

उत्तर प्रदेश सरकार इन कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं थी और उपरोक्त कथन से पूर्व उसे सुना भी नहीं गया।

[श्री अ० कु० सेन]

निर्वाचन न्यायाधिकरण ने यह भी निष्कर्ष दिया है कि निर्वाचन पदाधिकारी श्री निगम ने लगातार संगणना द्वारा मतों की पूरी संगणना जानबूझ कर और अवैधतः न करके और मत पत्रों को अलंघ्य अभिरक्षा में रखने में असफल होकर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 60 का अतिक्रमण किया और श्री निगम की ओर से पदीय कर्तव्य की भग्नता हुई जिसके फल-स्वरूप मत पत्र गड़बड़ाये गये।

निर्वाचन न्यायाधिकरण के निष्कर्षों और कथनों के आधार पर निर्वाचन आयोग ने विनिश्चय किया है कि इस बात पर विचार करने की दृष्टि से आवश्यक जांचें करवाई जायें कि क्या उपर्युक्त छः पदाधिकारियों में से सभी या किसी के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 (उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यता को अग्रसर करने के लिये कार्य करना), धारा 134 (निर्वाचनों से संसक्त पदीयक कर्तव्य की भग्नता) और धारा 136 (मत पत्रों को गड़-बड़ाना) के अधीन किये गये अपराधों के लिये अभियोजन संस्थित किया जाय।

उत्तर प्रदेश सरकार श्री निगम के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाहियां आरम्भ कर चुकी है और उसने उन्हें मुअत्तल कर दिया है।

**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रधान मंत्री और उनके सहयोगियों ने न्यायाधिकरण के निर्णय की कड़ी आलोचना की है और आगे कोई कार्यवाही करने से पहले उन्होंने सब संगत रिकार्ड मंगवाये हैं। फिर समाचारपत्रों में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश गये थे इत्यादि। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार विशेषकर गृह मंत्री कोई उच्च अधिकारों वाला आयोग इस मामले की जांच के लिए स्थापित करेंगे, क्योंकि सब बातें श्री सी० बी० गुप्त के देखते हुए हुई थीं।

**श्री मौर्य** (अलीगढ़) : क्या पुनः गणना करने से पहले उन्होंने श्री निगम से बातचीत की थी ?

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

**Shri Maurya** : This means negation of democracy.

**Mr. Speaker** : He should not interrupt like this.

**श्री अ० कु० सेन** : जैसा कि सदन को याद होगा, मैं ने निर्णय को पढ़ा है जिसमें बताया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 137 के अन्तर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त एक जांच आरम्भ कर चुके हैं। वह सब तथ्यों को ध्यान में रखेंगे और यह भी जांच करेंगे कि क्या चुनाव अधिकारी पर कोई राजनैतिक दबाव डाला गया था।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या निर्णय और मुख्य मंत्री के वक्तव्य के बाद प्रधान मंत्री और उनके सहयोगी सारे मामले की निष्पक्ष जांच करवायेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : सरकार का कोई दूसरी जांच करवाने का विचार नहीं है।

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद): स्वर्गवासी प्रधान मंत्री श्री नेहरू के पत्र के सम्बन्ध में, जिसमें इस चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी होने का शक प्रकट किया गया था, क्यों कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की गई थी ?

**श्री अ० कु० सेन :** मैं ने श्री नेहरू और श्री शास्त्री दोनों को इस चुनाव से सम्बन्धित आरोपों के बारे में बताया था। इस के बाद श्री नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा था। इस का उत्तर वहां के मुख्य मंत्री ने प्रकाशित कर दिया है। निष्पक्ष चुनाव न्यायाधिकरण की नियुक्ति से यह प्रकट होता है कि इस मामले में वास्तविक निष्पक्ष जांच करवाने के लिए सरकार का पक्का संकल्प है और जितनी तेजी के साथ कार्यवाही शुरू की गई है उससे पता चलता है कि जिन व्यक्तियों पर शक था उन्हें दंड देने के लिए सरकार उत्सुक है किन्तु यह सारी कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए।

**Shri Yashpal Singh** (Kairana) : Is this Election Commission entitled to probe political matters ?

**Mr. Speaker** : The hon. member should consult the law.

---

## इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाओं के स्थगित किये जाने के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में 9 सितम्बर 1964 को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य के बारे में प्रश्न

## QUESTIONS IN RESPECT OF CALLING ATTENTION STATEMENT RE. SUSPENSION OF I.A.C. SERVICES LAID ON THE TABLE ON 9-9-1964

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं उस ध्यान दिलाने वाली सूचना के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य के बारे में, जो कल सभा-पटल पर रखा गया था, प्रश्न करने की अनुमति देता हूं।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि प्रति दिन इन सेवाओं को बन्द कर देने से क्या हानि होती है और क्या यह हानि केवल विमान चालकों के रवैये के कारण है या इस के लिये उपक्रम के प्रबन्धक उत्तरदायी हैं ?

**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) :** सेवायें बन्द करने से होने वाली हानि का अनुमान नहीं लगाया गया।

**श्री नाथपाई** (राजापुर) : जहां तक चालकों की शिकायतों का सम्बन्ध है, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि भारत में अन्तर्राष्ट्रीय नियम क्यों लागू नहीं किये गये ?

**श्री कानूनगो :** इस विषय में कोई अन्तर्राष्ट्रीय अधिनियम नहीं है।

भारत में असैनिक उड्डयन निदेशालय के नियम यह हैं कि प्रतिमास उड़ान के अधिकतम घंटे 125 होने चाहियें। प्रत्येक देश में उड़ान का समय भिन्न भिन्न है। प्रतिदिन और प्रति सप्ताह की उड़ान सीमा के बारे में तय करना पड़ता है। चूंकि निगम और विमान चालकों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका यह मामला न्यायधिकरण को सौंपा गया है। इस बीच कुछ सबूत इस बात का भी मिल रहा है कि चालक इस मामले पर पुनर्विचार करने के लिये तैयार हैं। तदनुसार उनको विभाग के सचिव के साथ बातचीत करने के लिये बुलाया गया है।

**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुज़ा) : क्या माननीय मंत्री ने अपनी संतुष्टि कर ली है कि प्रबन्धकों ने झगड़े को निपटाने की सब कोशिशें कर ली थीं ?

श्री कानूनगो : जैसा कि मैंने कहा है सरकार ने चालकों से कहा है कि वह इस के साथ बातचीत करें ।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या श्री राज बहादुर ने आयोग स्थापित करने का जो आश्वासन दिया था, वह पूरा किया जायेगा ?

**श्री कानूनगो** : इस समय नहीं । एक समय पर दो प्रकार की जांच नहीं की जा सकती ।

**प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : न्यायाधिकरण के अतिरिक्त सरकार, असैनिक उड्डयन मंत्री और वित्त मंत्री इस मामले में व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहे हैं और वे स्वयं विमान चालको के साथ उनकी मांगों के बारे में बातचीत करेंगे । उनका विश्वास है, यह सर्वोत्तम प्रक्रिया है और इस के परिणाम अच्छे निकलेंगे ।

**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : क्या सरकार का ध्यान भारतीय वाणिज्यिक चालक संस्था द्वारा लगाये गये आरोपों की ओर दिलाया गया है और क्या उनकी जांच की गई है ?

**श्री कानूनगो** : मैं इन आरोपों के बारे में कोई राय नहीं दे सकता ।

**Shri Bagri** (Hissar) : Mr. Speaker.

**Mr. Speaker :** If the hon. Member wants to know what has happened to his notice, I shall not allow that matter to be raised.

**Shri Bagri :** My point is very important.

**Mr. Speaker :** If it is so, then he may come to me and discuss it with me. **(Interruptions).**

मैं ने माननीय सदस्य से प्रार्थना की है कि वह बैठ जायें ।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### समवाय अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं समवाय अधिनियम 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 13 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 853 की एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या (एल०टी०—3035/64]**

### जनपथ होटल्स लिमिटेड के ज्ञापन तथा अन्तर्नियम

### अचल सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक

प्रति पटल पर रखता हूं :—

(एक) जनपथ होटल्स लिमिटेड के ज्ञापन तथा अन्तर्नियम ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०—3036/64]**

(दो) (क) अचल सम्पत्ति का अधिकरण और अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 3 अगस्त, 1957 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 2519 ।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचना को पटल पर रखने में बिलम्ब होने के कारण बताने वाला विवरण । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3037/64]**

**दिल्ली विकास प्राधिकार (वार्षिक लेखे का तैयार किया जाना) नियम तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित दिल्ली विकास प्राधिकार के प्रमाणित लेखे**

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** मैं डा० सुशीला नायर की ओर से, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिनांक 19 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 917 में प्रकाशित दिल्ली विकास प्राधिकार (वार्षिक लेखे का तैयार किया जाना) नियम 1964 । **[पुस्कतालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—3038/64]**

(दो) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार के वर्ष 1962–63 के प्रमाणित लेखे, लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित । **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—3039/64]**

**स्थायी सिन्धु आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन**

**श्री श्यामधर मिश्र :** डा० कु० ल० राव की ओर से, मैं 31 मार्च, 1964 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये स्थायी सिंधु आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०—3040/64]**

**केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, अनिवार्य बचत योजना अधिनियम, बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, दानकर अधिनियम, व्यय कर अधिनियम, सम्पदा शुल्क अधिनियम, आय-कर अधिनियम, समवाय (लाभ) अधिकर अधिनियम तथा अधिलाभ कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें**

**श्री ब० रा० भगत :** मैं (क) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, 1960 में कुछ और संशोधन करने वाली सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38

के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक 23 मई, 1964 की जी० एस० आर० 773

(दो) दिनांक 30 मई, 1964 की जी० एस० आर० 795

(तीन) दिनांक 30 मई, 1964 की जी० एस० आर० 796

(चार) दिनांक 30 मई, 1964 की जी० एस० आर० 797

(पांच) दिनांक 30 मई 1964 की जी० एस० आर० 798

(छः) दिनांक 30 मई, 1964 की जी० एस० आर० 799

(सात) दिनांक 30 मई, 1964 की जी० एस० आर० 800

(आठ) दिनांक 20 जून, 1964 की जी० एस० आर० 871

(नौ) दिनांक 30 जून, 1964 की जी० एस० आर० 872

(दस) दिनांक 20 जून, 1964 की जी० एस० आर० 873

(ग्यारह) दिनांक 20 जून, 1964 की जी० एस० आर० 874

(बारह) दिनांक 27 जून, 1964 की जी० एस० आर० 906

(तेरह) दिनांक 4 जुलाई, 1964 की जी० एस० आर० 941

(चौदह) दिनांक 11 जुलाई, 1964 की जी० एस० आर० 984

(पन्द्रह) दिनांक 18 जुलाई, 1964 की जी० एस० आर० 1014

(सोलह) दिनांक 18 जुलाई, 1964 की जी० एस० आर० 1015

(सत्रह) दिनांक 18 जुलाई, 1964 की जी० एस० आर० 1016

(अट्ठारह) दिनांक 18 जुलाई, 1964 की जी० एस० आर० 1017

(उन्नीस) दिनांक 25 जुलाई, 1964 की जी० एस० आर० 1049

(बीस) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की जी० एस० आर० 1087

(इक्कीस) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की जी० एस० आर० 1088

(बाईस) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की जी० एस० आर० 1089

(तेईस) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की जी० एस० आर० 1090

(चौबीस) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की जी० एस० आर० 1091

(पच्चीस) दिनांक 8 अगस्त, 1964 की जी० एस० आर० 1112

(छब्बीस) दिनांक 8 अगस्त, 1964 की जी० एस० आर० 1113

**[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल०टी०—3041/64]**

(ख) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की जी० एस० आर० 1092

(दो) दिनांक 8 अगस्त, 1964 की जी० एस० आर० 1114

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—3042/64]**

(ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 23 मई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 779 में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1964।

(दो) दिनांक 11 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 982 में प्रकाशित केन्द्रीय उन्पादन शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1964।

(तीन) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1093 में प्रकाशित केन्द्रीय उन्पादन शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1964।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—3043/64]**

(घ) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 23 मई, 1964 की जी० एस० आर० 774

(दो) दिनांक 23 मई, 1964 की जी० एस० आर० 776

(तीन) दिनांक 30 मई, 1964 की जी० एस० आर० 801

(चार) दिनांक 30 मई, 1964, की जी० एस० आर० 802

(पांच) दिनांक 30 मई, 1964 की जी० एस० आर० 803

(छः) दिनांक 30 मई, 1964 की जी० एस० आर० 804

(सात) दिनांक 30 मई, 1964 की जी० एस० आर० 805

(आठ) दिनांक 6 जून, 1964 की जी० एस० आर० 830

(नौ) दिनांक 6 जून, 1964 की जी० एस० आर० 832

(दस) दिनांक 6 जून, 1964 की जी० एस० आर० 833

(ग्यारह) दिनांक 13 जून, 1964 की जी० एस० आर० 852

(बारह) दिनांक 20 जून, 1964 की जी० एस० आर० 875

(तेरह) दिनांक 27 जून, 1964 की जी० एस० आर० 902

(चौदह) दिनांक 27 जून, 1964 की जी० एस० आर० 903

(पन्द्रह) दिनांक 27 जून, 1964 की जी० एस० आर० 904

(सोलह) दिनांक 27 जून, 1964 की जी० एस० आर० 907

(सत्रह) दिनांक 30 जून, 1964 की जी० एस० आर० 952

(अट्ठारह) दिनांक 30 जून, 1964 की जी० एस० आर० 953

(उन्नीस) दिनांक 11 जुलाई, 1964 की जी० एस० आर० 983

(बीस) दिनांक 11 जुलाई, 1964 की जी० एस० आर० 1004

(इक्कीस) दिनांक 18 जुलाई, 1964 की जी० एस० आर० 1009

(बाईस) दिनांक 18 जुलाई, 1964 की जी० एस० आर० 1010

(तेईस) दिनांक 18 जुलाई, 1964 की जी० एस० आर० 1011

(चौबीस) दिनांक 18 जुलाई, 1964 की जी० एस० आर० 1012

(पच्चीस) दिनांक 18 जुलाई, 1964 की जी० एस० आर० 1013

(छब्बीस) दिनांक 25 जुलाई, 1964 की जी० एस० आर० 1048

(सत्ताईस) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की जी० एस० आर० 1085

(अट्ठाईस) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की जी० एस० आर० 1086

(उन्तीस) दिनांक 8 अगस्त, 1964 की जी० एस० आर० 1115

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—3044/64]**

(ङ) अनिवार्य बचत योजना अधिनियम, 1963 की धारा 16 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 24 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 927 में प्रकाशित अनिवार्य बचत (आय-कर दाता) दूसरा संशोधन योजना, 1964।

(दो) दिनांक 14 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1157 में प्रकाशित अनिवार्य बचत (आय कर दाता) तीसरा संशोधन योजना, 1964 **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—3045/64]**

(च) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, दिल्ली बिक्री कर नियम, 1951 में और कुछ संशोधन करने वाली दिनांक 7 मई, 1964 के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० 4 (33)/62 फिन (ई) **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—3046/64]**

(दो) दानकर अधिनियम, 1958 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिनांक 26 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 928 में प्रकाशित दानकर (संशोधन) नियम, 1964। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—3047/64]**

(तीन) व्यय कर अधिनियम, 1957 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्ततर्ग दिनांक 26 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 929 में प्रकाशित व्यय कर (संशोधन) नियम, 1964

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—3048/64]**

(चार) सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 85 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 30 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 954 में प्रकाशित सम्पदा शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1964 ।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—3049/64]**

(पांच) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के अन्तर्गत दिनांक 28 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2567 में प्रकाशित आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1964 ।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—3050/64]**

(छः) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2663 में प्रकाशित आयकर (निर्यात लाभ का निर्धारण) नियम, 1964 ।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—3051/64]**

(सात) कम्पनीज़ (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 1 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2664 में प्रकाशित कम्पनीज़ (लाभ) अधिलाभ नियम, 1964 ।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—3052/46]**

(आठ) अधिलाभ कर अधिनियम, 1963 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 1 अगस्त, 1964 का एस० ओ० 2665।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखियें संख्या एल०टी०—3053/64]**

## पंचवर्षीय योजना प्रचार सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

**श्री श्यामधर मिश्र :** मैं श्री चे० रा० पट्टाभिरामन की ओर से पंचवर्षीय योजना प्रचार सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखियें संख्या एल०टी०—3054/64]**

## लोहा तथा इस्पात उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के बारे में सरकारी संकल्प

**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) :** मैं केन्द्रीय लोहा तथा इस्पात उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड द्वारा और अधिक अन्तरिम मजूरी वृद्धि के लिये उसकी सिफारिशों के सम्बन्ध में दिनांक 8 सितम्बर, 1964 के सरकारी संकल्प संख्या, डब्ल्यु० बी०—11(4)/64 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—3055/64]**

## विधेयक पर राय

## OPINIONS ON BILL

**अध्यक्ष महोदय :** श्री श्रीनारायण दास : माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

---

**प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक**

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी कुछ विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी कुछ विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**श्री ब० रा० भगत :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

## खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव--जारी

## MOTIN RE : FOOD SITUATION

**अध्यक्ष महोदय :** अब सदन 7 सितम्बर, 1964 को श्री चि० सुब्रह्मण्यम द्वारा प्रस्तावित निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगा। अर्थात्

"कि देश की खाद्य स्थिति पर विचार किया जाये।"

**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्ली) : कल मैं कह रहा था कि अब अमरीका ने यह मांग की है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत दिये जाने वाले खाद्यान्न सम्बन्धी समझौते में परिवर्तन किया जाये। अब वह चाहता है कि सारी अदायगी रुपयों में की जाये या गल्ला वापस किया जाये। एसी हालत में हमारे लिये बहुत कठिनाई हो जायेगी। इस लिये मैं सरकार से कहता रहा हूं कि पी० एल० 480 आयात कम की जाये और हमारा अपना उत्पादन बढ़ाया जाये।

ग्रामीण विकास कार्यों के सम्बन्ध में, मेरा अनुभव यह है कि हमारे प्रदेश और जिले में छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पंजाब में बाढ़ द्वारा फसलों के नष्ट हो जाने की समस्या है। प्रतिवर्ष हमें बाढ़ों से 35 करोड़ रुपये के खाद्यान्न की हानि होती है। यदि आयात पर रुपया खर्च करने की बजाय राज्यों में बाढ़ नियन्त्रण योजनाएं चालू की जाये, तो हमें अपने संसाधनों के अधिक खाद्यान्न मिल सकेगा।

मालूम होता है कि सरकार भूमि सुधार कार्यक्रम को क्रियान्वित रखने में गम्भीरता से काम नहीं ले रही है। क्या श्री सुब्रह्मण्यम यह बतायेंगे कि भूमि सुधार के बारे में क्या कदम उठाये जायेंगे, क्योंकि इसके बिना देश में पर्याप्त खाद्यान्न पैदा नहीं किया जा सकता। मद्रास राज्य के सम्बन्ध में एक अमरीकी विशेषज्ञ दल ने कहा है कि वहां कोई भूमि सुधार का काम नहीं किया गया, जिस से कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सके। जब तक कि भूमि सुधार कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं किया जाता हमारे किसानों को अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा नहीं मिल सकेगी।

## विधेयक पर राय

## OPINIONS ON BILL

**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं भारत के संविधान में कुछ और संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिसे सभा के निदेश से 22 नवम्बर, 1963 को राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, पत्र संख्या 1 सभा पटल पर रखता हूं।

## खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

## MOTION RE: FOOD SITUATION

**श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा)** : देश में खाद्यान्न उत्पादन निरन्तर बढ़ता रहा है और कृषि भूमि में भी वृद्धि हुई है। प्रति एकड़ उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। 1962–63 और 1963–64 के वर्षों में उत्पादन कुछ कम हुआ है क्योंकि प्रकृति ने हमरा साथ नहीं दिया। उत्पादन में हुई वृद्धि के बावजूद हम दश की मांग पूरी नहीं कर सके हैं और इसीलिये हम पिछले कई वर्षो से बाहर से नाज मंगाते रहे हैं। दूसरी बात जो ध्यान में रखी जानी चाहिये वह यह है कि 1950 के पश्चात् मोटे अनाज के उपभोक्ताओं की संख्या में निरन्तर कमी होती रही है क्योंकि लोगों को चावल तथा गेहूं अनाज की सस्ती दुकानों से उचित कीमतों पर मिलता रहा है। अन्न की खपत भी पहले के मुकाबले बढ़ गई है और माल को जमा करके रखने की प्रवृत्ति पहले की अपेक्षा अधिक हो गई है। इसलिये अनाज बाजार में न आने के कारण लोगों की मांग पूरी नहीं की जा सकी है।

श्री हीरेन मुकर्जी का यह कहना है कि जमाखोरों की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में अनाज गोदामों पर छापे मारे जाने के परिणामस्वरूप अनाज जितनी मात्रा में मिला है उस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि। यह सुझाव दिया गया है कि सरकार अनाज का व्यापार अपने हाथ में ले ले, परन्तु क्या एसा करने से उत्पादन बढ़ जायेगा? बैंकों के राष्ट्रीयकरण की भी बात कही जाती है। विरोधी दलों के सदस्यों को यह मालूम होना चाहिये कि रिजर्व बैंक को इस बारे में काफी अधिकार प्राप्त हैं, कि नीजी बैंक किसी विशेष वस्तु के संग्रह के लिये लोगों को ऋण न दे। इसलिये उनका यह सुझाव निराधार है। अपितु वर्तमान व्यवस्था का यह लाभ है कि सरकार के पास जानकारी होती है कि अमुक अमुक व्यक्तियों के पास स्टाक जमा हैं और वह उन स्टाकों को जब भी जाहे प्राप्त कर सकती है क्योंकि एसे व्यक्तियों को कुछ काल के बाद सरकार को अपने स्टाकों के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ती है।

अनाज का राज्य व्यापार आसान मामला नहीं है । इसके लिये बहुत बड़े स्टाक तथा काफी विभागीय कर्मचारियों की आवश्यकता होगी । हां, सरकार द्वारा अनाज प्राप्त करके अभाव वाले क्षेत्रों को देने में कोई आपत्ति की बात नहीं है जैसा कि सरकार अब कर रही है । जहां तक पर्याप्त संभरण कर दिया जाता है वहां पर कोई गड़बड़ नहीं होती है । आवश्यकता केवल उत्पादन बढ़ाने की है । सदस्यों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि "होर्डिंग" और "होल्डिंग" में बहुत अन्तर है । बैंकों से प्राप्त ऋण से जो माल खरीदा जाता है वह "होल्डिंग" के अन्तर्गत आता है जब कि "होर्डिंग" का अर्थ गैरकानूनी ढंग से जमाखोरी करना है ।

उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार को छोटी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं की कार्यान्विति की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। उर्वरकों का उत्पादन भी बढ़ाया जाना चाहिये। और किसानों को आधुनिक उपकरण तथा अच्छे बीज आसानी से उपलब्ध किये जाने चाहियें ताकि वे उनका प्रयोग करने में रुचि ले सकें । जन संख्या को नियंत्रण में रखना सब से महत्वपूर्ण बात है । हमारे देश में दूसरे देशों की तुलना में प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम है । यदि हम उस में 15 से 20 प्रतिशत वृद्धि कर लें तो हमारी सब समस्यायें हल हो जायेंगी ।

**Shri Bishanchander Seth** ( Etah) : I am opposed to the idea of creating another State Trading Corporation of handling foodgrains trade. The existing State Trading Corporation has suffered heavy losses when it has to handle the work of distribution alone. In Government godowns much of the foodgrains is wasted because of bad storage conditions. The private trader can very well perform this task because they have experience of such trades. The public sector undertakings in this country have not shown good results as was expected of them. When the Government cannot run an industry over which it has monololy successfully, it should not think in terms of creating another corporation in the public sector. The scarcity of foodstuffs, then would be even greater than it is now. The shortage of foodgrains is not as much as is being made of at present. The Government is exporting sugar at the rate of Rs. 18 or 20 per maund to other countries, whereas it is selling at exhorbitant prices in this country. The acreage of sugarcane cultivation is also being increased to earn valuable foreign exchange. If the entire stock of sugar is released, the prices would come down by 10 or 12 rupees per mannd. The shortage of foodgrains is another example of the imcompetency of the present Government. The first thing that the Government should do is to remove controls because they spread corruption and black marketing. People are also put to great inconvenience because they have to brave sun and rain to get their supplies from the fari price shops. There is actually no shortage but it is man made. By lifting these controls, the situation would ease very much.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The tubewells have been helpful in increasing production in U.P. The canal network has resulted in bringing about floods in those areas. It is time that Government should abandon big canal schemes and instead take up tubewell irrigation schemes. There should be one Minister oveall incharge of Food depariment. There should be several state Ministers under him each incharge

of Food, Forests, distribution of seeds and community projects and other allied departments. This Food Depar ment should be aksed to tackle the food problem on an all-India basis. Then the food problem would be solved to a very great extent. Fertilisers should be supplied to farmers at cost price and irrigagation facilities should be provided to those farmers also who are not able to pay them. Because that would add to our production.

**Shri Tulshidas Jadhav** (Nbnded) : The requirements of foodgrains have been increasing because of population rise and the greater consumption of food stuffs, by the people. Government should formulate their agricultural programme keeping in view the actual requirements of the country and the availability of foodgrain stocks with them. Their policies should be such as would provide incentives to the agriculturists to produce more foodgraius. The Government has not been having enough stocks with th m for the last 6 months. The foodgrains that are imported from outside are not unloaded at the ports quickly and much time is taken in unloading th m. Inspite of these imports, the villagers are discriminated against in the matter of a distribution of foodgrains *vis-a-vis* the people living in cities. The rural people should rather be given preference in the matter of distribution of foodgrains. Becuase if they do not get enough to eat they cannot produce more. The Government should not take undue advantage of their simplicity. For they readily accept the demands of the towns people under pressure of agitations etc. Government should therefore bestow more attention upon the rural population. The lands of the farmers are being fragmented and adequate loans are also not given to them. Then there is the danger of floods and drought. Government should take these things into consideration and take steps to increase production. More and more land should be brought under foodgrain cultivation rather than cash crops and the irrigation facilities allocated for foodgrains cultivation should be properly made use of.

The Zonal system shuuld be done away with and the producers should be given integrated price of their produce. Prices should be uniform throghout the country.

**Shri Maurya** (Aligarh) : The Congress Government had assured the people that there would be self-sufficiency in the matter of foodgrains production in the country by the end of the Third Five Year Plan . But it has proved a complete lie. The present food crisis is very alarming. While formulating their plans the Government do not keep before them the causes which are responsible for the present crisis. We have yet to see whether the present Government would be able to fulfil the promised held by our late beloved Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru that there would be no starvation deaths in the country. If we see the figures of foodgrains production during the last 4 years, the production figure for 1963-64 is less than that of the figure for 1960-61. It is said that due to vagaries of nature the crops suffered. But what for the plans are made and crores of rupees are spent on their implementation if they cannot fight against floods and the other vagries of nature? From the Economic Survey Report for 1963-64, we find that the production of rice and wheat was 8·0 and 7·5 per cent less respectively in 1962-63 as compared to 1961-62 figures. In spite of these plans, the food problem particularly became more and more acute. It is therefore no surprise that in U.P. the hungry labourers were forced to loot the fair price shops quite unmindful of breaking the laws of the Government of India. Because the fury of hunger knows no law. This thing is likely to happen in other parts of the country also and it poses a grave danger to the country.

The Swatantra and Communist Party Members advocated the cause of the mill workers. But we cannot ignore the great number of landless labourers who inhabit the villages. These people bear the brunt of the shortage of foodgrains in the country by remaining half-starved, and not the Ministers or the Capitalists of this country. The planners should have taken the population increase in consideration while formulating their plans. Population is increasing at the rate of 2·5 per cent per year while the increase in production has been quite negligible. When we are facing food crisis, it is all the more surprising that the Government are exporting sugar, bananas, mangoes etc. to other countries and these things have almost disappeared from the Indian markets. We have imported Rs.2531 crore worth of foodgrains from outside since independence till now. If this amount would have been utilised for preventing floods, providing irrigation facilities and fertilisers to the farmers free of cost and giving them interest-free loans we should have become self-sufficient by now.

As a short term measure of solving the food problem, we should immediately stop the export of sugar and fruits etc. to other countries. We should also improve our distribution system, becuase the present crisis is almost the creation of faulty distribution of foodgrains.

**Mr. Deputy-Speaker** : The hon. Member's time is up.

**Shri Maurya** : I am the only spokesman from my group. I should be given some more time.

**Mr. Deputy-Speaker** : I am sorry. I cannot given him more time.

**श्री मौर्य** : इसका कारण क्या है कि जिन सदस्यों का किसी दल के साथ संबंध नहीं है उन को 20, 20 मिनट का समय दिया गया ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप के दल के सदस्यों को 4, 4 मिनट दिये जाने थे परन्तु आप को मैंने 15 मिनट दिये हैं।

**श्री मौर्य** : एक स्वतंत्र सदस्य को 20 मिनट दिये गये हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया आप अध्यक्ष के आदेश का पालन करें।

**श्री मौर्य** : मैं अध्यक्ष पीठ के आदेश का पालन करूंगा परन्तु यह बात ऐसी है ** ** ** **

**श्री मणियंगाडन** : (कोट्टयम) : उपभोक्ताओं को अनाज उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा है इसी कारण सरकार विदेशों से अनाज मंगा रही है । वर्तमान स्थिति में यही उपाय उचित है। परन्तु खाद्यान्न के आयात से ही समस्या नहीं हल होगी । इस के लिये हमें उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिये सघन खेती एक अच्छा उपाय है । खेती करने के आधुनिक वैज्ञानिक ढंग अपनाये जाने चाहिएं और सिंचाई सुविधायें एवं उर्वरक उपलब्ध किये जाने चाहियें । इस के साथ ही साथ किसानों को उन की उपज का मूल्य ठीक मूल्य भी दिया जाना चाहिए।

यह अनुभव किया गया है कि फालतू अनाज लोगों ने दबा रखा है । इसका उपाय यह नहीं है कि खाद्यान्नों का व्यापार-कार्य सरकार पूर्णतः अपने हाथों में ले। मैं समझता हूं कि जो उपाय सरकार द्वारा किये गये हैं अथवा करने जा रही है यदि उन को प्रभावपूर्ण ढंग से किया जाय तो यह समस्या हल हो सकती है ।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि प्रत्येक राज्य खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर होना चाहिये। आप केरल का उदाहरण लीजिये। वहां रबड़, चाय, काफी आदि वस्तुओं की खेती होती है जिसे रोक कर अनाज की खेती करना मूर्खता होगी चूंकि वह वस्तुयें भी देश के लिये लाभदायक हैं। इसी प्रकार मैसूर भी कमी वाला क्षेत्र है। मैं समझता हूं कि यदि ज़ोन बनाने की पद्धति को ठीक प्रकार लागू किया जाय तो स्थिति में सुधार हो सकता है। परन्तु इस समय यह पद्धति ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। केरल कमी वाला क्षेत्र है। वहां चावल की कमी पैदा हुई। आंध्र और मद्रास की सरकारों ने आश्वासन दिया कि यदि वहां के अधिकारियों और सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों को भेजा जायगा तो केरल के लिये चावल दिया जायगा। परन्तु जब वह वहां गये तो चावल नहीं मिला। इस का कारण यह बताया गया कि धान उपलब्ध नहीं है चूंकि उस के मूल्य निर्धारित नहीं किये गये थे। अन्त में सहकारी समस्याओं को भी निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य पर चावल वहां से लाना पड़ा। मेरा कहना है कि यदि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य कम समझे जाते हैं तो उन्हें बढ़ा दिया जाय परन्तु चावल अवश्य उपलब्ध होना चाहिए। इसलिये मैं ने कहा कि ज़ोन पद्धति ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं की जा रही है। धान के मूल्य तुरन्त निर्धारित किये जाने चाहियें और केरल में अनाज की कमी नहीं रहनी चाहिये।

अनाज के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उस के लिये में मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को दोषी ठहराता हूं। इस समस्या का समाधान स्वयं सरकार को ही करना होगा। रक्षित भण्डार अवश्य रखने चाहिएं चूंकि संकट के समय एसे भण्डार में से अनाज की कमी को पूरा किया जा सकता है।

**Shri Jagdev Singh Siddhanti** ( Jhajjar) : To save foreign exchange, the Government must ban the import of all luxury goods. Similarly films serve no other purpose than sullying the character of our youth. Cinema houses should be closed and all the power used by them should be utilised for tubewells so that our production may increase.

Ban on cow-slaughter can also help easing our food problem. Since as a result of such a measure, milk, and Ghee will be available in larger quantities and cow-dung could be used as a fertiliser. The farmers could be compelled to leave one-tenth of their land for fooder purposes. If we ban cow-slaughter more oxen will be available which will reduce our demands for tractors. Tractors deprive our labourers of their means of livelihood.

More emphasis should be laid on the production of Gur and Shakkar than sugar.

The Government should give preference to the construction of dams of smaller magnitude and therefrom water should be made available to farmers for irrigation purposes.

Cow-slaughter continues in the countries and the Government export leather and import articles meant for birth control. This is most unfair. Cow slaughter should be banned forthwith.

Enough has been said about controlling prices. It is unfair on the part of anyone else than the producers to determine prices. In the matter of industries

every factor is calculated beforehand but in the matter of agriculture nobody tries to find out the cost of production. The prices of sugarcane would be determined by a committee where no representation would be given to farmers. This policy of fixing prices is most erroneous.

I would not object if the prices of farmer's produce are fixed low, but at the same time the requirements of the farmers should also be met fairly. There should not be any nepotism or favouritism done to farmers.

There is no use constituting a corporation for every purpose. The idea of constituting a corporation has aroused apprehensions among people that Ministers would fill posts from out of their own near and dear ones. I would suggest an alternative. Foodgrains may be permitted to be obtained by Panchayats. The quantities requried by the farmers, agricultural labourers and other people there may be left and the rest of food-grains may be taken from them. Whatever method we adopt to tackle the situation, justice should be done to the farmers.

**Shri Vishwa Nath Roy** (Deoria): It was unfair on the part of Dr. Lohia to say that the Indian masses were almost half-dead and that the Opposition Members did not want revolution. We are faced with a critical situation today and the hon. Members should give wothwhile suggestions rather than indulging in political exploitation.

None of the Opposition Members referred to the natural calamities, like floods, draughts, etc., which have played a havoc in the country's life.

Dr. Lohia has himself admitted that there has been an increase of 35 per cent. in production during the First and Second Plan periods. Likewise there has been an increase in population. Ours is a democratic State. We cannot be blamed for not checking birth control in a manner in which it is possible to do in a dictatorial regime.

Our distribution system has proved faulty. Had there been State Trading in foodgrains and had the hoarded foodgrains been dehoarded there would not have been created an artificial scarcity of food as it is today. State Trading in foodgrains should start immediately.

It is wrong for the Opposition Members to blame the Public Sector for certain losses. Losses have also been sustained by the Private Sector. Private Sector, moreover, has advantage of experience for centuries together. Our greatest Public Sector industry is Railways and it has proved that it can work usefully and profitably. Therefore there should be no hesitation in taking over the job of foodgrains by the State.

The Government should take strict measures for checking the traders from taking loans from Banks.

The Government should not depend on the States in so far as the agriculture is concerned. It should take upon itself this responsibility. The shortcomings of the States should be removed by the Centre.

Out national income has gone high during the past few years but it has not increased in proportion to our increasing population.

The situation that we are facing in U.P. today has been created by the Centre itself because it failed to fulfil its promises to supply a certain quantity of foodgrains to the State. The situation there has deteriorated very much and the Government should give more attention to that.

**श्री कोया** (कोजीकोड़): श्री अशोक मेहता ने भोपाल में कहा था कि वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य देश के कम आय वाले वर्ग के लिये, राजनीतिक स्थायित्व एवं देश की आर्थिक सम्भावनाओं के लिये एक चुनौती हैं । इन्हें रोकने के लिये हमें अ नी कार्य-प्रणालियों में परिवर्तन लाने होंगे जिन में सामाजिक अनुशासन की कमी रही है और प्रशासनिक कुशलता में भी गिरावट आती रही है । इस चुनौती और आलोचना का उत्तर भी उन्हें स्वयं ही देना है । सरकार ने राजस्व के रूप में और विदेशों से अरबों रुपया प्राप्त किया परन्तु जिस अकुशलता से योजनायें बनाई गयीं और कार्यान्विति की गयीं उसी के कारण यह संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है ? सरकारी कार्यालयों एवं विभागों में निजी एवं साधारण प्रकार का काम भी ठीक तौर पर नहीं किया जाता। जो सहायता कुंएं बनाने के लिये दी जाती है, जो उर्वरक काश्तकारों के लिये दिये जाते हैं और जो सिंचाई के लिये जल दिया जाता है यदि यह सब सुविधायें समय पर और ठीक तौर पर उपलब्ध कर दी जाती तो उत्पादन 25 से 30 प्रतिशत तक अधिक हो सकता था । परन्तु यह आश्चर्य का विषय है कि इस विकट स्थिति के लिये सरकार कभी जनता को, कभी जनसंख्या में हुई वृद्धि को और कभी प्राकृतिक प्रकोपों को दोषी ठहराती है । सरकार को योजना बनाते समय इन सभी तत्वों का ज्ञान था ।

सरकार की त्रुटियों के कारण आज जनता को संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

मैदा न मिलने के कारण केरल एवम् मद्रास राज्यों में हजारों रोटियां तैयार करने वाले बेकार हो गये हैं ।

बेकारी बढ़ी है और खाद्यान्नों की कमी देश में हुई है । गरीब आदमी की दशा अति शोचनीय है । आय उसकी बढ़ी नहीं और खर्च बढ़ गया है । फिर उसको विभिन्न प्रकार के करों का भार वहन करना पड़ता है । कई बार तो पैसा होने पर भी अनाज उपलब्ध नहीं होता। इस स्थिति के लिए सरकार उत्तरदायी है । सरकार कुछ सचेत रहती तो हमें इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता ।

राजकीय व्यापार की बहुत सी बातें हुई हैं। मेरे विचार में इसे आरम्भ करने से पूर्व सभी बातों पर विचार कर लेना चाहिए । आज हमारी नौकरशाही जनता में काफी बदनाम हो चुकी है, ऐसा न हो कि स्थिति और बिगड़ जाय। गत कई वर्षों से सरकार ने कृषि विकास के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। परन्तु स्थिति अभी वहीं की वहीं है ।

आज की स्थिति सचमुच बड़ी गंभीर है, हमें व्यापारियों की गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखना होगा । हमें यह याद रखना चाहिए कि खाद्य समस्या की जिम्मेदारी केवल सरकार पर ही नहीं हम ब पर भी है। विरोधी दलों की आलोचना से सरकार को घबराना नहीं चाहिए। विरोधी दल भी लोक तंत्र का अंग है होते हैं। उनकी राय से उत्तेजित नहीं होना चाहिए।

**श्री ज० रा० मेहता** (पाली) : आरम्भ में ही मैं इस बात पर संतोष व्यक्त करता हूं कि खाद्य स्थिति पर चर्चा बड़ी रचनात्मक ढंग से चली है । इस चर्चा में एक बात बड़ी प्रमुख रूप में सामने आती है । वह यह कि आखिर आज की जो खाद्य स्थिति है उसके लिए कौन उत्तरदायी है। माननीय मंत्री महोदय ने इस दिशा में जो जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उसे

[श्री कोया]

देखते हुए यह कहना कि खाद्य संकट के लिये सरकार ही पूर्ण रूप से दोषी है, उचित नहीं है । इस बारे में मेरा निवेदन है कि खाद्य समस्या बड़ी जटिल समस्या है और वर्तमान संकट प्रायः मनोवैज्ञानिक है । यह ठीक है कि देश में कुल मिलाकर खाद्यान्नों की कमी नहीं है । हमें प्रयत्न करना चाहिये कि छोटे छोटे किसानों के पास जो थोड़ा बहुत फालतू अनाज पड़ा है वह उन से लिया जाये । हड़तालें और प्रदर्शन खाद्य समस्या को हल नहीं कर सकेंगे ।

इस सम्बन्ध में भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्रीय पद्धति हटाई जानी चाहिये । इससे भी कीमतों में भयंकर वृद्धि हुई है, । इस के कारण तस्कर व्यापार, बनाबटी कमी, और मूल्यों में कृत्रिम वृद्धि हो जाती है । वैसे भी यह क्षेत्रीय योजना राष्ट्रीय हित में नहीं है संविधान के भी यह विरुद्ध है, अतः इसे तुरन्त हटा दिया जाना चाहिये ।

राज्य व्यापार निगम की बात कही गयी है, इस बारे में मेरा निवेदन है कि प्रस्तावित राज्य व्यापार निगम का काम केवल विनियामक होना चाहिये न कि एकाधिपत्य स्थापित करना । इसके पास सब प्रकार के संकट काल का सामना करने के लिये, बाजार में बेचने के लिये पर्याप्त माल होना चाहिये । निगम के हाथ में खाद्यान्नों के लाने और ले जाने के सम्बन्ध में नियंत्रण लगाने एकाधिकार नहीं होना चाहिये । यदि एसा नहीं किया गया तो कठिनाइयां और बढ़ जायेंगी ।

दो तीन बातें मैं और कहना चाहता हूं । मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिये कि खाद्य के मामले में अपनी आजादी को थोड़ा त्याग दें और केन्द्रीय सरकार द्वारा जो निर्णय किये जायें उन्हें सक्रिय रूप में अमल में लायें । यह भी बड़ी आवश्यक बात है । इसके अतिरिक्त हमें यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि जब तक हम कृषि को एक आकर्षक व्यवसाय नहीं बना लेते लोगों का झुकाव इसकी तरफ नहीं हो सकता । इसके बिना हम कितना ही प्रयत्न क्यों न करें उत्पादन नहीं बढ़ सकता । यद्यपि मैं भूमि सुधारों के विरुद्ध नहीं परन्तु स्थिति को देखते हुए मेरा निवेदन है कि अलाभप्रद जोतों को लाभप्रद जोतों में बदल देना चाहिये ।

**Shri Vishram Prasad** (Lalganj) : Our Government has not been able to solve the food problem since our independence about 17 years ago. In 1948 even Shri Jawahar Lal Nehru said that it was matter of shame for the country, where 70 per cent people were agriculturist, not to have solved the food problem. He had promised to solve the problem within three years. But it has not been possible for our Government to solve it. Everywhere the shortage is being felt in spite of increase in production and huge imports.

In this connection, I am of the opinion that the present food shortage was an artificial one. If the Government was really anxious to solve the food problem it should take immediate and effective steps to bring out the hoarded stocks. Government should be alert to fix the prices of the foodgrains and enforce them very strictly. I would like to impress upon the Government that this Zonal System should go.

It was the result of formation of wheat zones that while Punjab wheat was selling in Delhi at the rate of Rs . 22/- per maund, in U.P. the rate is Rs. 40 to 45 per maund. In Eastern Uttar Pradesh people have practically starving. The Zonal System should therefore be abolished so that everybody could get food grains at reasonable prices.

We are talking about State Trading. But I would like to State that before introducing State Trading in food grains, Government should ensure that that would not further increase corruption and adulteration. They should also see that prices do not rise as a result of State Trading.

I would like to suggest that no person belonging to any political paty should be granted foodgrain. licence Ban. should be imposed on the grant of advances to traders by banks. Peasants should be provided with water and electricity for cultivation purposes at cheaper rates if not free. They should be given also fertilizers at cheaper rates.

We must not overlook the interests of the cultivators, they should be ensured a remunerative price for their produce. Traders should not be allowed to exploit their poverty. Government should adopt measures whereby actual tillers would have sole rights over their holdings. In my opinion this will provide the much needed incentive for the farmers to raise production.

The conditions of service of employees working in agriculture department should be improved. Government should also look to the quality of wheat that is being imported from foreign countries. Sometimes the quality is so bad that it is not fit for human consumption.

**डा० पं० शा० देशमुख** (अमरावती) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने खाद्यान्नों का उचित मूल्य किसानों को देने की बात की है। अधिक उत्पादन के हित में यह उचित ही है कि हम किसानों को ठीक मूल्य दें। परन्तु उचित मूल्य देने के रास्ते में योजना आयोग हमेशा कुछ न कुछ कठिनाई प्रस्तुत करता रहा है। मेरा निवेदन है कि खाद्यान्न सम्बन्धी भावी आवश्यकताओं के बारे में ठीक से अनुमान न लगाने के लिये योजना आयोग और भूतभूर्व खाद्य मंत्री उत्तरदायी हैं। यदि ऐसा अनुमान लगाया जाता तो वर्तमान संकट काफी हद तक टाला जा सकता था। ऐसी स्थिति में हम बहुत खाद्यान्न वाले दूसरे देशों को यह बतला सकते थे कि आगामी वर्षों में हमें कुछ अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होगी।

मैं भूमि सुधारों के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु यह भी वास्तविकता है कि भूमि सुधार सम्बन्धी सभी प्रगतिशील विधानों से भूमि के टुकड़े होते गये हैं जिससे बाद में अलाभप्रद जोतें बनती गई हैं। इन अलाभ जोतों को लाभप्रद जोत बनाया जाये। इस की ओर सरकार को बड़ी गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये। इस के अतिरिक्त धीरे धीरे मंत्रीकरण को अपनाया जाय। फसलों के कीटों और बीमारी की रोकथाम की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से अपने हाथ में ले लेनी चाहिये।

मुझे खेद है कि कई लोग सहकारिता का नाम भी सुनने को तैयार नहीं रहते। यह ठीक है कि यदि कोई सहकारी संस्था अच्छा काम नहीं कर रही तो उस को समाप्त कर देना चाहिये। परन्तु यह भी सत्य है कि सहकारिता द्वारा बड़ा अच्छा कार्य किया जा सकता है। मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री से यह आशा करूंगा कि वह सहकारिता पर अधिक ध्यान देंगे। जहां कहीं संभव हो, समाहार और वितरण कार्य सहकारी समितियों द्वारा करवाया जाये। बेईमान सहकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये, और अच्छी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाये। निर्यात के मामलों में भी सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाये। हमें केवल नारे ही नहीं लगाने चाहियें अपितु किसानों के हितों का संरक्षण करते हुए इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करना चाहिये।

**Shri K. N. Tiwary** (Bagaha) : The food debate has brought before us the three things. First Government should take action on the land reform second, we should not import foodgrains but try to be self-sufficient and the third is that price should be controlled. People should get the required foodgrain

[Shri K. N. Tiwary]

at cheap rates. In this connection I may humbly state that the rise in prices has not taken place in India alone, this is the problem before many countries of the world. The cost of living has increased practically everywhere. Germany France, Norway, Netherlands and so on. So rise in prices is a common feature in many countries and ours is not a isolated case in this connection.

It has been stated by the Opposition that the distribution of land will solve the whole problem. I am of the opinion that this is a very complex problem and it will not be possible to solve it by land reforms alone. If we look at the situation dispassionately we will find that practically all the countries had to take recourse to imports of wheat and flour. China has also done it. The criticism of the Opposition regarding the imports would mean that Government should run away from its responsibility of feeding the people. We should also keep this fact before us that our production is not sufficient to feed all of our people. 20 percent of our production is eaten up by the pests.

In this connection, I would like to suggest that the big open grounds attached to the bungalows of the Officers and Minsters should be used for the purpose of food production. Useless trees should be substituted by planting trees which may yield good fruits.

**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : मैं ने पिछले चार दिनों से माननीय सदस्यों के भाषणों को बहुत ध्यान से सुना है। यह बहुत अच्छी बात है कि खाद्य स्थिति पर बहस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा से अलग हुई है। इस बहस में मेरी कोशिश यह होगी कि राजनैतिक पहलू इससे दूर रखे जायें।

खाद्य स्थिति सामान्य आर्थिक स्थिति का एक हिस्सा है और उसे इस से अलग नहीं किया जा सकता। तथापि यह मेरा इरादा नहीं है कि मैं इस समय देश की सामान्य आर्थिक स्थिति की चर्चा करूं। यह कार्य शीघ्र ही वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री करेंगे। सदन ने खाद्य स्थितिकी चर्चा गत मार्च में की थी। उस समय हमें आशा थी कि इस में सुधार हो जायेगा। विशेषकर जब नई फसल आ जायेगी। हमें यह भी आशा थी कि आगामी वर्षों में मूल्यस्तर भी ठीक रहेगा किन्तु यह आशायें पूरी नहीं हुई, बल्कि मूल्य बढ़ गये हैं और संभरण स्थिति भी कठिन हो गई है।

इसलिये हमें देखना चाहिये कि इस वर्ष के दौरान में क्या खास बात हुई है। हम देख रहे हैं कि पिछले वर्षों में उत्पादन लगभग स्थिर ही रहा है, बढ़ा नहीं है। किन्तु जनसंख्या तो तेजी से बढ़ती रही है। इस कारण आर्थिक स्थिति पहले से बिगड़ गई है। उत्पादन की कमी को हम ने विदेशों से खाद्यान्न आयात कर के पूरा करने की कोशिश की है। इसके बावजूद इस वर्ष स्थिति पहले वर्षों की तुलना में अधिक चिन्ताजनक रही है। इसका एक कारण यह है कि देश में कमी का वातावरण पैदा किया गया है। इससे अविश्वास की भावना और बढ़ी है। और इसके लिये विरोधी पक्ष के सस्दस्य उत्तरदायी हैं।

**श्री नम्बियार** : हम लोग इस के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : इस वातावरण से जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा पैदा हुई है, उस का प्रभाव उपभोक्ता, उत्पादक, व्यापारी, राज्य साकारों और केन्द्रीय सरकार एवं सब पर पड़ा है। ये सब सुरक्षित रहना चाहते हैं। राज्य सरकारों ने अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए घबराहट में आकर कार्यवाहियां की हैं। ने केवल एक राज्य से दूसरे में बल्कि एक जिले से

दूसरे जिले में खाद्यान्न के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। ऐसा करने से कमी वाले क्षत्रों में और भी संकट पड़ा है। उत्पादक भी जहां तक हो सकता है, संग्रह करने का प्रयत्न करते हैं। व्यापारियों ने स्वाभाविक रूप से इस कमी के वातावरण का पूरा लाभ उठाया है। संग्रह प्राप्त करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। इसी कारण व्यापारियों और बड़े बड़े उत्पादकों में एक विचित्र गठजोड़ हुआ है और चूंकि माल उन्होंने रोक रखा है इस लिए वह मंडियों में नहीं आया।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि किसी ने खाद्यान्न को छुपा कर नहीं रखा।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
[MR. SPEAKER *in the Chair*]]

पश्चिम बंगाल में स्थिति यह है कि यद्यपि वहां अधिक से अधिक उत्पादन हुआ है और अधिकतम मूल्य भी निश्चित कर दिये गये हैं मंडियों में खाद्यान्न 1962-63 की तुलना में बहुत कम आया है। हमने उन्हें जो 54,000 टन खाद्यान्न प्रति मास दिया है, उससे उन्होंने स्थिति पर काबू पाया है। इसके अतिरिक्त, हम उन्हें दो लाख टन चावल अपने केन्द्रीय भंडार से दे रहे हैं। अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 10 से 12 लाख टन खाद्यान्न अब भी छुपा कर रखा गया है। इस में भी कोई संदेह नहीं कि व्यापारी ने उत्पादक को रूपया पेशगी दिया है यह रुपया कहां से आया है?

यह स्थिति केवल पश्चिमी बंगाल में ही नहीं अन्य राज्यों में भी है, जोकि एक आधिक्य वाला राज्य है। 1961-62 में उत्पादन 30 लाख टन था, 1962-63 में 36 लाख और 1963-64 में 43 लाख टन फिर भी मंड़ियों में पिछले वर्ष की तुलना में माल कम आया। आंध्र में भी यही स्थिति है। इस लिए यह कहना सत्य नहीं कि खाद्यान्न छुपा कर नहीं रखा गया। यह सब काले धन से हुआ है।

यदि हम कमी वाले क्षेत्रों में स्थिति को देखें, तो हम मूल्यों में अत्यधिक चढ़ाव पायेंगे। जब मुनाफ़ाखोर देख लेते हैं, कि कमी से अधिक लाभ होता है, तो वह और बनावटी कमी पैदा करने का प्रयत्न करते हैं।

अब प्रश्न यह है कि खाद्यान्न को छुपा कर क्यों रखा जाता है? उत्तर यह है कि वे चाहते हैं कि जब कमी वाले मास आयें तो बढ़े हुए मूल्यों के कारण अधिक लाभ कमाया जाये। इसलिए सरकार का प्रयत्न यह है कि ऐसी स्थिति पैदा की जाये, जिस से वे ऐसा न कर सकें। सरकार उपभोक्ताओं और थोक व्यापारियों के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करना चाहती है। 6 या 7 राज्यों ने ऐसा कर दिया है।

इसके अतिरिक्त माल को बाहर लाने के लिए हम ने उत्पादक, उपभोक्ता और व्यापारी के लिए माल रखने की सीमाएं निश्चित कर दी हैं, ताकि उस से अधिक माल को सरकार ले सके।

मूल्यों को निश्चित करने के बाद, उन्हें बनाये रखने के लिए, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 50 प्रतिशत खर्च उठाना मान लिया है।

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

कमी के समय हमें खाद्यान्न के आयात पर निर्भर करना ही पड़ता है । मेरे विचार में हम ने अमेरिका से लाखों टन गेहूं मंगवा कर ठीक ही किया है । हम इसके लिए अमेरिका के आभारी हैं। इसके अतिरिक्त सितम्बर के मास में, ब्रिटेन और मिस्र ने अपने जहाज जो गेहूं लेकर आ रहे थे, भारत की ओर मोड़ कर हमारी बहुत सहायता की है, और इस से स्थिति में बहुत सुधार हुआ है ।

वर्तमान स्थिति में आयात के बिना काम चलाना असंभव होगा। फिर भी मैं मानता हूं कि बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर करना विशेषकर हमारे जैसे देश के लिए जिसकी जनसंख्या 45 करोड़ है खतरे से खाली नहीं । जितनी जल्दी हम इससे छुटकारा पा चुकें उतना ही अच्छा है । कुछ सदस्यों ने राज्य व्यापार और अधिक कड़े नियंत्रण का अनुरोध किया है । मैं स्वयं इनमें विश्वास रखता हूं, किन्तु हमें वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखना है । जब फसल आ जायेगी, तो हम राज्य व्यापार शुरू कर सकते हैं। केवल राज्य व्यापार शुरू करने से ही खाद्यान्न हमारे हाथ में नहीं आ जायेगा। हमें खाद्यान्न बाहर लाने के लिए हर संभव कोशिश करनी पड़ेगी । प्रधान मंत्री ने भी व्यापारियों से अपील की है कि वे छुपाया हुआ खाद्यान्न बाहर ले आये। और इसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा है । दुर्भाग्य से हम साम्यवादी तरीके नहीं अपना सकते। उस अपील के बाद भी हम ने बहुत कड़ी कार्यवाही की है । गृहमंत्री ने भी कार्यवाही की है । और इसका भी प्रभाव पड़ा है । रबी फसल के आने से स्थिति में सुधार हो रहा है । खरीफ़ फ़सल की भी अच्छी आशा है । हमारे लिए विश्वास का वातावरण पैदा करना अत्यावश्यक है और हमें आशा है कि हम स्थिति पर काबू पा लेंगे ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर): हम यह जानना चाहते हैं कि चावल और गेहूं के मूल्य क्या हैं? और ये किस हद तक उपलब्ध हैं? इनके बिना हम उनका उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम:** हम केवल मांग और संभरण की नीति को नहीं मानते और ये नहीं समझते कि लोगों को खाद्यान्न देना निजी व्यापारियों का कर्त्तव्य है । सरकार अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह समझती है । इसीलिए हम छोटी अवधि के उपाय कर रहे हैं।

सरकार की बुनियादी नीति यह है कि उत्पादक मूल्य और उसके साथ-साथ किसान को भी लाभदायक और प्रेरणात्मक मूल्य दिये जायें । खरीफ और रबी फसल के लिए एक तदर्थ समिति विचार कर रही है और दीर्घकालीन नीति कृषि मूल्य आयोग निश्चित करेगा ।

मूल्यों के ढांचे के उचित प्रशासन के लिए एक खाद्यान्न निगम स्थापित किया जा रहा है । इस निगम को रेलवे के यातायात का एकाधिकार भी होगा । यह केवल एक व्यापारी संस्था ही नहीं होगी बल्कि बहुत से अन्य कार्य भी करेगी । हो सकता है कि यह निगम उत्पादकों को पहले से पेशगी देगा, ताकि वे अपना खाद्यान्न निगम के हाथ बेचें और बनिये को नहीं । ये पेशगियां लाभदायक शर्तों पर दी जायेंगी जब इस निगम की कार्यवाहियां

बढ़ जायेंगी, तो हो सकता है निजी व्यापार बन्द ही कर दिया जाये ।

**डा० रानेन सेन :** खाद्यान्न व्यापार निगम कितना प्रतिशत उत्पादन अपने हाथ में ले सकेगी ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** इसका निर्णय निगम व्यापारिक सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर करेगा ।

खाद्यान्न का अपमिश्रण एक ऐसी कार्यवाही है जिसे किसी हालत में भी ठीक नहीं कहा जा सकता और इसकी जितनी निन्दा की जाये उतनी कम है । इसके लिये केवल सरकार संस्थाओं को नहीं, बल्कि स्वयंसेवी संस्थाओं को भी मैदान में आना पड़ेगा ।

अन्त में यह समस्या केवल उत्पादन बढ़ाने से ही हल हो सकती है एक रूढ़िगत कृषि अर्थ-व्यवस्था को आधुनिक कृषि अर्थ-व्यवस्था बनाना कोई आसान काम नहीं है । किन्तु सौभाग्य से हम इस मामले में अन्य देशों के अनुभव से लाभ उठा सकते हैं। सब से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी भूमि का ज्ञान होना चाहिये। इस बुनियादी ज्ञान के बिना क्रांति नहीं लाई जा सकती । अमेरिका की सहायता से हम बड़े पैमाने पर एक भूमि सर्वेक्षण शुरू कर रहे हैं। चौथे वर्ष के अन्त से पहले यह भूमि सर्वेक्षण समाप्त हो जायेगा, यदि हम इसे उचित ढंग से करें ।

हमें यह भी देखना है होगा कि हम ने भूत काल में कहां पर गलतियां की है । और हमें अपने कार्य की कमियों को दूर करना होगा । हम बीज निगम के आधार पर जिसने बहुत अच्छा काम किया है शीघ्र ही एक कार्यक्रम बना रहे हैं हम विभिन्न क्षेत्रों के लिए निगम स्थापित कर रहे हैं जो बीजों के उत्पादन, उन्हें उत्पादकों से खरीदने, उनकी किस्म का नियंत्रण करने और उनका उचित वितरण करने का कार्य करेंगे । हमें नये तरीके भी निकालने होंगे जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी ।

हाल ही में किये गये एक निर्णय के अनुसार लघु सिंचाई कार्यों के विकास के लिए अपेक्षित धन बिना किसी सीमा के दिया जायेगा । राज्य सरकारों को बता दिया गया है कि सभी संभव लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा किया जाये । हम यह भी व्यवस्था कर रहे हैं कि ऐसी योजनाओं को दो मौसमों से अधिक समय तक उठा न रखा जाए ।

उर्वरकों के बारे में हमारा एक बहुत बड़ा उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम है। हम तृतीय योजना में इसका लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके किन्तु हमें चौथी योजना में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के 22 लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त करने का हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं । मुझे यह बताने में हर्ष है कि बहुत से देश हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं । यह भी हर्ष का विषय है कि हर राज्य से उर्वरकों की मांग बढ़ रही है । हम इन्हें आयात करने के लिये अधिक विदेशी मुद्रा भी आवंटित कर रहे हैं । पिछले दो तीन वर्षों में इनके मूल्यों में भी कमी हुई है । और कमी अधिक उत्पादन करने से ही हो सकती है ।

**श्री शिवाजीराव देशमुख :** आयात उर्वरक की तुलना में मूल्य कितना है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह लगभग बराबर ही है। हर एक देश में मांग है, इस लिये मूल्य भी बढ़ रहा है। हम देश के अन्दर ही उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि इसका मूल्य बहुत ऊंचा निश्चित किया गया, तो कृषि उत्पाद के मूल्य भी बढ़ाने पड़ेंगे।

पौधों के संरक्षण के सम्बन्ध में जो कार्यक्रम बनाया जायेगा, वह क्षेत्रों के आधार पर होगा। यदि आवश्यकता हुई तो यह सामूहिक आधार पर भी क्रियान्वित किया जायेगा।

इन सब क्षेत्रों में किसानों में हर प्रकार की सुविधाओं से लाभ उठाने का मौका दिया जायेगा। मैं और मेरे सहयोगी यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि सामुदायिक विकास योजना की सारी कार्यवाही खाद्यान्न बढ़ाने के लिये की जाये।

इन सब सुविधाओं से किसान तभी लाभ उठा सकता है, यदि उसे ऋण मिल सके। सरकार उन्हें ऋण उपलब्ध करायेगी। यदि सहकारी संस्थायें इस आवश्यकता को पूरा न कर सकीं, तो अन्य संस्थाओं से काम लिया जायेगा।

किसानों के लिये लाभप्रद मूल्य का बुनियादी महत्व है और इन्हें निश्चित करना सरकार की बुनियादी नीति रहेगी।

कृषि में क्रान्ति विज्ञान और टेकनालोजी के जोर से लाई जा सकती है। इसलिये सरकार कृषि वैज्ञानिकों को पूरा मान देगी। हम अपनी अनुसंधान संस्थाओं को अधिक प्रभावोत्पादक बनाने-का प्रयत्न कर रहे हैं और अनुसंधान कार्य का पुनर्गठन किया जा रहा है। इस काम के लिये बहुत से देश हमें सहायता देने के लिये तैयार हैं, जिनमें रूस भी है। इन कार्यक्रमों की सफलता से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है।

यदि आज कल हमारी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति है, तो इसका कारण हमारी कृषि उत्पादन की कमी है। भारी उद्योगों के कार्यों में भी तभी सफलता मिल सकती है, यदि हमें कृषि में सफलता मिले। इस काम में मैं सब सदस्यों से सहयोग चाहता हूं।

**श्री जसवन्त मेहता :** खंडों को हटाने की नीति की घोषणा कब करेगी और मोटा खाद्यान्न कमी वाले राज्यों से अधिक वाले राज्यों में कब से भेजा जायेगा ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मोटे खाद्यान्नों के बारे में नीति निश्चित कर दी गई है और सब राज्यों से कह दिया गया है कि वे इसे क्रियान्वित करें।

खंडों को समाप्त करने के बारे में मैं कह चुका हूं कि यह मौसम के बीच में नहीं किया जा सकता। जहां तक चावल और गेहूं का सम्बन्ध है, राज्यों के मुख्य मंत्रियों के परामर्श के बिना कोई निर्णय नहीं किया जायेगा।

**Shri Bagri :** At what price will rice and wheat be made available to the peopie and when will self sufficiency be achieved ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मूल्य के बारे में मैं सरकार की नीति स्पष्ट कर चुका हूं। कोई ऐसा मूल्य निर्धारित नहीं किया जायेगा जिस से उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यदि

हमारे सारे कार्यक्रम सफल हो गये तो हम चौथी योजना के अन्त से पहले आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे ।

**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी ) : खाद्यान्न के मूल्यों के स्तर को घाटे की अर्थ-व्यवस्था से कैसे जोड़ा जायेगा ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** उत्पादकों के लिए मूल्य वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित गिये जायेंगे ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** उत्तर प्रदेश को कोटा क्यों घटाया गया है ।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** पंजाब से उत्तर प्रदेश को 25,000 टन गेहूं दिया जा रहा है। उनकी उचित मूल्यों की दुकानों के लिये हम ने 105,000 टन प्रतिमास देना मंजूर किया है ।

**श्री नम्बियार** (तिरूचिरापल्ली) : भूमि सुधार के बारे में क्या नीति है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** सरकार की नीति यह है कि जो कानून बनाये गये हैं उनको तीसरी योजना की अवधि से पहले क्रियान्वित किया जाये ।

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad) : The points raised by me during the course of my speech on economic development were not answered by the Minister.

**Mr. Speaker :** It is upto the ministers to reply and the decision in the end is to be taken by the House. I cannot extort any answer from the minister.

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मैं डा० लोहिया के एक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं । उन्होंने गेहूं का जो नमूना सदन में पेश किया था, उसका विश्लेषण किया गया था और उसे अच्छा पाया गया है ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** मेरा निवेदन है कि श्री मुसाफिर के स्थानापन्न प्रस्ताव की अनुमति अविश्वास प्रस्ताव के होते हुए नहीं दी जानी चाहिये थी ।

**अध्यक्ष महोदय :** नियम 342 के अन्तर्गत स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं । आपत्ति यह है कि नियम 343 के अन्तर्गत अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा इसमें पूर्वानुमानित होती है । किन्तु यह एक अलग चर्चा है और अविश्वास प्रस्टाव में केवल खाद्यस्थिति की ही चर्चा नहीं होगी उसमें अनेकों बातें होंगी इसलिये मैं स्थानापन्न प्रस्ताव की अनुमति देने से इन्कार नहीं कर सकता ।

**Dr. Ram Manohar Lohia :** The food situation will be a major factor in the no-confidence motion.

**Mr. Speaker :** How can I accept this argument ? But if the Opposition wanted that it should get barred, then they should not have tabled the substitutemotions.

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** जब अविश्वास प्रस्ताव केवल खाद्यस्थिति पर नहीं है, तो आप इस प्रस्ताव की अनुमति कैसे देते हैं ?

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के सभी विभागों की चर्चा होगी, सदन को इस समय किसी एक विषय पर अपनी राय नहीं देनी चाहिये ।

**श्री हरि विष्णु कामत :** अविश्वास प्रस्ताव में भी खाद्यस्थिति की चर्चा होगी ।

**पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) :** परन्तु इस विषय पर जो चर्चा हो चुकी है, उसका क्या होगा ।

**अध्यक्ष महोदय :** अविश्वास प्रस्ताव सामान्य शब्दों में प्रस्तुत किया गया था । इस लिये मैं अपने आप को केवल खाद्यस्थिति की चर्चा तक सीमित नहीं रख सकता था । इसलिये इसकी अनुमति दी गई । श्री मुसाफिर के प्रस्ताव पर अलग चर्चा नहीं होगी । यह केवल नीति के अनुमोदन के लिये है ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** आप इस प्रस्ताव को मतदान के लिये रख रहे हैं । पर हमें खेद है हम मतदान में भाग नहीं लेंगे ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह अविश्वास प्रस्ताव महत्वहीन हो गया है ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये ।**

[*Shri H. N. Mukharjee and some other Hon. Members left the House.*]

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री यशपाल सिंह के स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 को लूंगा ।

**Shri Yashpal Singh :** I do not press it.

**स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।**

*The substitute Motion No. 1 was, by leave, withdrawn.*

**अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

*The substitute Motion No. 3 was put and negatived.*

**अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

*The substitute Motion No. 4 was put and negatived.*

**अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

*The substitute Motion No. 5 was put and negatived.*

**अध्यक्ष महोदय :** मैं अब डा० लोहिया का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 मतदान के लिये रखता हूं :

**लोक-सभा में मत विभाजन हुआ**

*The Lok Sabha divided*

| | |
|---|---|
| **पक्ष में 10;** | **विपक्ष में 203 ।** |
| *Ayes : 10;* | *Noes : 203.* |

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

*The Motion was negatived.*

**अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

*The substitute Motion No. 8 was put and negatived.*

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 9 मतदान के लिये रखता हूं ।

**सदन में मत विभाजन हुआ**

*The Lok Sabha divided*

| | |
|---|---|
| **पक्ष में 11;** | **विपक्ष में 202 ।** |
| *Ayes : 11;* | *Noes : 202* |

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

*The Motion was negatived*

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7 मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न रख दिया जाये :

'कि देश की खाद्य स्थिति पर तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर विचार करने के बाद यह सभा खाद्य स्थिति का सामना करने के लिये भारत सरकार की नीति का अनुमोदन करती है ।' "

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ**

*The Lok Sabha divided*

| | |
|---|---|
| **पक्ष में 201;** | **विपक्ष में 34 ।** |
| *Ayes : 201;* | *Noes : 34.* |

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

*The Motion was adopted.*

---

## केरल राज्य के बारे में उद्घोषणा

## RE: PROCLAMATION IN REGARD TO KERALA STATE

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) :** आपकी अनुमति से केरल राज्य के बारे में सदन को एक सूचन देना चाहता हूं ।

राष्ट्रपति ने, संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के अन्तर्गत आज जारी की गई एक उद्घोषणा के द्वारा केरल राज्य की सरकार के सभी कृत्य और अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं। उन्होंने यह घोषणा की है कि केरल राज्य के विधान मंडल के अधिकारों का

[श्री नन्दा]

प्रयोग संसद् के प्राधिकार के द्वारा उसके अधीन किया जायेगा, केरल की राज्य विधान सभा का विघटन कर दिया गया है और उद्घोषणा में लिखित अन्य प्रासंगिक तथा अनुषंगिक उपबन्ध बनाये गये ।

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद ) : क्या गृह-कार्य मंत्री कह सकते हैं कि केरल में आम चुनाव जनवरी या फरवरी में निश्चित समय पर होंगे ।

**श्री नन्दा :** जहां तक तिथियों का सम्बन्ध है, इसका निर्णय चुनाव आयोग करेगा ।

**इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार 11 सितम्बर, 1964/भाद्र 20, 1886 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 11th September, 1964/Bhadra 20, 1886 (Saka).*



GMGIPND—LS III—1197(Ai) LSD—10-10-64—600